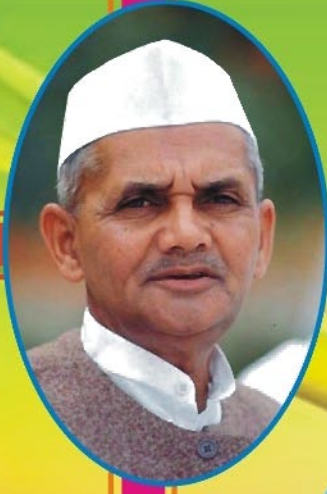




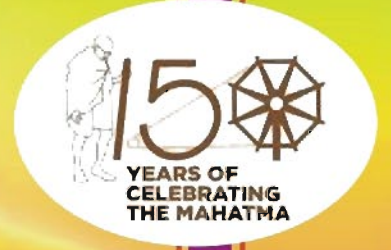
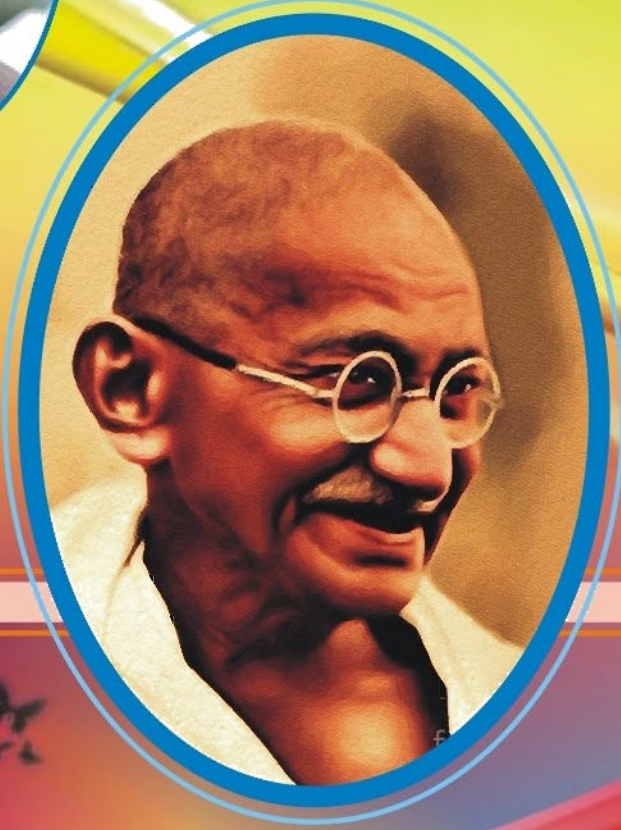
www.rajteachers.com



शिबिरा

मासिक
पत्रिका

वर्ष : 61 | अंक : 04 | अक्टूबर, 2020 | पृष्ठ : 52 | मूल्य : ₹20





श्री गोविन्द सिंह डोटासरा

राज्य मंत्री

शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) विभाग
(स्वतंत्र प्रभार)

पर्यटन एवं देवस्थान विभाग
राजस्थान सरकार

“विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु आने वाले सभी विद्यार्थी मेरे बच्चे हैं। सभी शिक्षक मेरे भाई-बहन हैं। छोटे-छोटे बच्चे मेरी आँखों के तारे हैं। मैं उनके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ।”

अपनों से अपनी बात

बढ़े चलो-बढ़े चलो

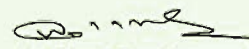
सा मान्यतः शैक्षणिक सत्र का श्रीगणेश जुलाई माह से होता है। इस दृष्टि से सत्र 2020-21 के तीन माह व्यतीत हो चुके हैं। यह कैसा शैक्षणिक सत्र है-समय का पहिया तो निरन्तर चल रहा है, निर्बाध अपनी निश्चित गति से, मगर शिक्षण-अधिगम एवं सम्बन्धित अन्य प्रवृत्तियों के आयोजन के नाम पर सामान्य वर्षों की तरह काम नहीं हो रहा है। मैंने इस सत्र से करने के लिए न जाने क्या-क्या सोच रखा था, लेकिन उन पर महामारी का असर पड़ना स्वाभाविक है पर मैं हार मानने वाला नहीं हूँ।

मैं बहुत आशावादी एवं उत्साही व्यक्ति हूँ। निराशा एवं नकारात्मकता को पास नहीं फटकने देता। आँधी के बाद वर्षा तथा काली अंधेरी रात्रि का भेदन कर सुनहरी सुबह आने के शाश्वत सिद्धांत का हिमायती हूँ। विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु आने वाले सभी विद्यार्थी मेरे बच्चे हैं। सभी शिक्षक मेरे भाई-बहन हैं। छोटे-छोटे बच्चे मेरी आँखों के तारे हैं। मैं उनके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। शिविरा के मेरे इस पृष्ठ के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि-

- (1) शिक्षक भाई-बहन अपने पदस्थापन एवं निवास क्षेत्र में शिक्षा का माहौल बनाने का कार्य करें। वे अभिभावकों, जन प्रतिनिधियों, आम नागरिकों एवं विद्यार्थियों से सम्पर्क बनाए रखें। उन्हें केवल शिक्षा के लिए ही नहीं अपितु इस महामारी से बचाव के लिए आवश्यक ऐडवाइजरी के सम्बन्ध में भी समझाइश करनी है। आप समाज के अग्रणीजन हैं। आपकी वाणी एवं संदेश के पीछे श्रद्धा व विश्वास छिपा है। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही व्यक्तिगत सम्पर्क करने वाले विद्यार्थियों को आत्मीय संरक्षण एवं मार्गदर्शन आप प्रदान करें।
- (2) संस्थाप्रधान एवं फील्ड में कार्यरत शिक्षा अधिकारी पूर्ण सजग रहकर शिक्षा का प्रभावी माहौल बनाने में आगे रहे। विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं के आवेदन समय पर भरवाकर उन्हें देय लाभ दिलाकर परोक्ष पुण्य के भागीदार बनें।
- (3) अभिभावक एवं छात्र-छात्राओं को वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई स्थितियों को ध्यान में रखकर अपेक्षित निर्देशों एवं मर्यादाओं का पालन करते हुए ऑनलाइन शिक्षण एवं गुरुजन से मार्गदर्शन की सुविधों का लाभ उठाना है। एक की सावधानी में सब की सुरक्षा है, क्योंकि एक-एक करके ही हम सब बनते हैं।

इस माह में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की जयन्ती, दुर्गाष्टमी, महानवमी, विजयादशमी (दशहरा) तथा बारावफात हैं। हमें इनसे मिलने वाली प्रेरणा से प्रेरित होकर जीवनपथ पर अग्रसर होना चाहिए। मेरी चिन्ता को आप समझ ही रहे हैं। हमें एक और नेक रहकर इस विपदा पर विजय प्राप्त करनी है। आप सभी के प्रति शुभकामनाओं के साथ बाबू जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं:-

अराति सैन्य सिन्धु में, सुबाइवाग्नि से जलो,
प्रवीर हो जयी बनों, बढ़े चलो-बढ़े चलो।


(गोविन्द सिंह डोटासरा)



मासिक शिविर पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते - श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 61 | अंक : 4 | आश्विन-आश्विन, २०७७ | अक्टूबर, 2020

प्रधान सम्पादक
सौरभ स्वामी

वरिष्ठ सम्पादक
अनिल कुमार अग्रवाल

सम्पादक
मुकेश व्यास

सह सम्पादक
सीताराम गोदारा

प्रकाशन सहायक
नारायणदास जीनगर
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ 20

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 100
- राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों/विद्यालयों के लिए ₹ 200
- गैर राजकीय संस्थाओं के लिए ₹ 300
- मनीऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट/पोस्टलऑर्डर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम देय हैं।
- चेक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएँ।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविर पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर-334 011

दूरभाष : 0151-2528875

E-mail : shivira.dse@rajasthan.gov.in

शिविर पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
-वरिष्ठ संपादक

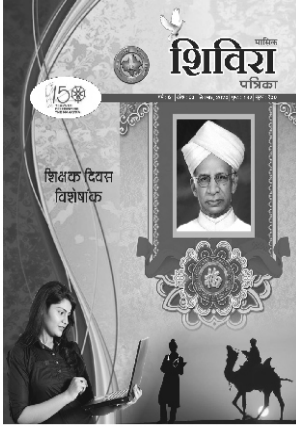
इस अंक में

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ		
● सतत प्रयत्न करते रहें	5	● विशेष आवश्यकता वाले बालक और शिक्षक
आलेख		कालूराम मीना
● महात्मा गाँधी-साधारण मानव से महामानव तक का सफर	6	● प्राथमिक स्तर पर शिक्षण
नव प्रभात दुबे		अब्दुल कलीम खान दायरा
● तरु और गुरु	8	● डिजिटल लर्निंग की जरूरत व महत्त्व
ओमप्रकाश वर्मा		सुदेश कुमार यादव
● गाँधी जी का शिक्षा दर्शन	9	● क्यों आवश्यक है जल का संरक्षण एवं संग्रहण
ठाकराराम प्रजापत		प्रियंका पांडिया
● गाँधी जी के महत्त्वपूर्ण संदेश	10	● सामाजिक समरसता की स्थापना में भारतीय विचिन्तकों का योगदान
महेश कुमार शर्मा		डॉ. राजरानी अरोड़ा
● मातृभाषा में शिक्षण का आनन्द	11	● शिक्षा के क्षेत्र में स्काउटिंग का महत्त्व
ओमप्रकाश सारस्वत		चान्द मोहम्मद कलर
● कक्षा-कक्ष वातावरण : सामाजिक समायोजन	13	● कविता : कब बरसेगा रैन ?
डॉ. सावित्री माथुर		सपन कुमार डे
● ठहराव के लिए शिक्षक वर्ग के कदम	14	स्तम्भ
डॉ. मीनाक्षी सुथार		● पाठकों की बात
● सामुदायिक बाल सभाओं का प्रभावी संचालन	16	● आदेश-परिपत्र
अनुकम्पा अरड़ावतिया		● बाल शिविरा
● पुस्तकालय की महत्ता व प्रबंधन	17	● शाला प्रांगण
डॉ. वंदिता माथुर		● चतुर्दिक समाचार
● मानवता के महारक्षक गाँधी व शास्त्री	20	● हमारे भामाशाह
सुभाष चन्द्र कस्वाँ		पुस्तक समीक्षा
● विद्यालय के विकास हेतु भामाशाहों का सहयोग कैसे लें ?	31	● राजस्थान रा रूख
नरेन्द्र श्रीमाल		लेखक : अर्जुन दान चारण
● नो बेग डे : संभावनाओं की उड़ान	33	समीक्षक : पृथ्वी राज रतनू
डॉ. रणवीर सिंह		● स्त्री देह का सच
		लेखक : डॉ. रेणुका व्यास 'नीलम'
		समीक्षक : डॉ. असमा मसूद

मुख्य आवरण :

नारायणदास जीनगर, बीकानेर

विभागीय वेबसाइट : www.education.rajasthan.gov.in/secondary



▼ चिन्तन

उतिष्ठत जाग्रत प्राप्य
वरान्निबोधत॥ क्षुरस्य धारा निशिता
दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो
वदन्ति॥१४॥

-कठोपनिषद् (कृष्ण यजुर्वेद)

भावार्थ: हे मनुष्यों! उठो, जागो (सचेत हो जाओ)! श्रेष्ठ (ज्ञानी) पुरुषों को प्राप्त (उनके पास जा) करके ज्ञान प्राप्त करो। त्रिकालदर्शी (ज्ञानी पुरुष) उस पथ (तत्त्वज्ञान के मार्ग) को छुरे की तीक्ष्ण (लाँघने में कठिन) धार के सदृश दुर्गम (घोर कठिन) कहते हैं।



- माह सितम्बर 2020 का शिविरा अंक 'शिक्षक दिवस विशेषांक' के रूप में प्राप्त हुआ। शिविरा शिक्षा जगत राजस्थान की सिरमौर पत्रिका के रूप में स्थापित है। इस अंक के सुन्दर आवरण के साथ बहु उपयोगी एवं पठनीय सामग्री ने अंक को संग्रहणीय अंक बना दिया है। बहुविधाओं का समावेश कर सम्पादक मण्डल परिवार ने नवोदित रचनाकारों व लेखकों की रचनाओं को प्रकाशित कर उत्साहवर्धन किया। मंत्री जी व निदेशक जी ने शिक्षकों का सम्मान करते हुए उनको ज्ञान का दूत बताया। शिक्षकों द्वारा किए जा रहे नवाचारों एवं बाल शिविरा में बालकों की रचनाएँ कम रही हैं। बाल साहित्य में संकलित बाल रचनाओं को नियमित रूप से भी प्रकाशन हो तो बेहतर होगा। संकलित सामग्री चयन के विधावार प्रकाशन हेतु पुनः सम्पादक मण्डल को बहुत बधाई एवं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएँ।

राधेश्याम कोटी, संगरिया, हनुमानगढ़

- हर वर्ष की भाँति शिक्षक दिवस विशेषांक के रूप में माह सितम्बर 20 की शिविरा आकर्षक कवर के साथ समय पर मिला। डॉ. राधाकृष्णन् की आवरणीय चित्र की सजावट से मुख्य आवरण सुन्दर बन पड़ा है। इसी अंक में माननीय मंत्री जी एवं निदेशक जी के संदेश उत्साहवर्धक लगे। यह अंक अनेकानेक विधाओं का संकलन है जिसमें शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग कर्मचारियों की रचनाओं को प्राथमिकता से प्रकाशित कर सम्पादक मण्डल ने नव सृजकों का उत्साहवर्धन किया है। इसी अंक में शिविरा के पूर्व सम्पादकों श्री ओमप्रकाश सारस्वत, श्री गोमाराम जीनगर एवं सुमन सिंह की रचनाएँ पढ़ने को मिली। साथ ही 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' की सार्थक जानकारी शिक्षकों को समझने में सहायक रहेगी। शैक्षिक चिन्तन में संकलित आलेख एवं विविधा में कहानियाँ, कथाएँ तथा राजस्थानी

की रचनाएँ मातृभाषा के नजदीक ले आती हैं। बाल साहित्य का संकलन बहुत ही बाल उपयोगी रहा। सम्पूर्ण अंक ही संग्रहणीय बन गया है इसके लिए समस्त सम्पादक मण्डल टीम को बहुत-बहुत बधाई।

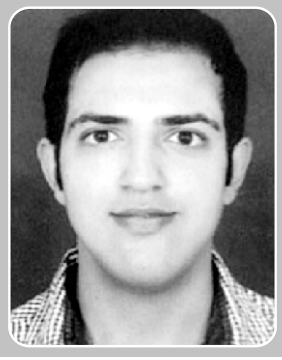
सुरेश पंवार, रामपुरा, बीकानेर

- माह सितम्बर 2020 का शिविरा अंक शिक्षक दिवस सम्मान में विशेषांक के रूप में समय पर प्राप्त हुआ। आवरण बहुत सुन्दर व आकर्षक रहा। अपनों से अपनी बात में मंत्री जी ने शिक्षक को ज्ञान का दूत बताया और शिक्षकों का मान बढ़ाया तो निदेशक महोदय ने दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ में शिक्षकों को कर्तव्यों की पालना से सम्मान को याद दिलाया। अंक में सभी आलेख, कहानियाँ, कविताएँ, बाल शिविरा, बाल साहित्य एवं राजस्थानी रचनाएँ प्रेरणादायी हैं। शाला प्रांगण, पुस्तक समीक्षा व भामाशाह के स्थाई स्तंभों को भी समाहित कर विशेषांक को पूर्णता प्रदान करते हुए सम्पादक मण्डल ने अंक को और अधिक उपयोगी बना दिया। सम्पादक मण्डल को बधाई।

जगदीश सोलंकी, सिणधरी, बाड़मेर

- शिविरा पत्रिका का सितम्बर 2020 का अंक समय पर उपलब्ध हुआ। पत्रिका का मुख्यावरण सुन्दर व आकर्षक लगा। निदेशक महोदय का दिशाकल्प 'कर्तव्य और सम्मान' बहुत पसंद आया, सितम्बर माह की शिविरा पत्रिका शिक्षक दिवस विशेषांक पर अनेक रोचक आलेखों से संग्रहित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से शिक्षा जगत में अनेक परिवर्तन एवं बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली में किए जाने वाले दिशा-निर्देश भी इस अंक के माध्यम से पता चले। राजस्थान प्रदेश भर में शिक्षा विभाग की संपूर्ण गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करती यह पत्रिका विस्तृत जानकारी प्रदान कराना इसकी श्रेष्ठता है। अंक में सभी आलेख, कहानियाँ, कविताएँ व रचनाएँ प्रेरणादायी हैं। सुमन ओझा जी द्वारा लिखी गई 'माँ' कविता बहुत स्नेहशील लगी तथा सितम्बर माह का शिक्षक दिवस विशेषांक बहुत प्रभावी लगा।

संगीता भाटी, बीकानेर



सौरभ स्वामी
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

“ हम सभी दृढ़ संकल्प लें कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो हमें अपने कर्तव्यपालन करते रहना ही सही अर्थ में राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देना है। ”

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

सतत प्रयत्न करते रहें

सम्मानित पाठकों,

आप और हम सौभाग्यशाली हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यह क्षेत्र राष्ट्र निर्माण में हमारी भागीदारी के लिए न केवल गर्व की अनुभूति करवाता है अपितु अपनी महती जिम्मेदारी के प्रति सचेत भी करता है। शिक्षा मनुष्य के जीवन के जीवन की दिशा और दशा में परिवर्तन लाती है। शिक्षित मनुष्य की अन्तर्दृष्टि उसे विशिष्ट बनाती है, घटनाओं और समस्याओं के प्रति उसका दृष्टिकोण समाधान के रास्ते खोलता है। वर्तमान समय अनेक कारणों से विषम होते हुए भी विशिष्ट है इन्हीं घुमावदार मार्गों से हमें जीवन की गाड़ी को एक कुशल चालक की तरह आगे ले जाना है। हमें न केवल स्वयं अपितु अपने आस-पास सभी को स्वस्थ, प्रसन्न रखते हुए उन्नत शिक्षित समाज की रचना में लगे रहना है।

मुझे आपसे यह विचार साझा करने में भी गर्वानुभूति हो रही है कि हमारे प्रिय महात्मा गाँधी के जन्म दिवस को सम्पूर्ण विश्व 'अन्तरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में मनाता है। अहिंसा के पुजारी महात्मा गाँधी, दृढ़ता और कर्तव्य के पर्याय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिन समस्त भारतीयों के लिए गर्व और गौरव का ऐतिहासिक दिवस है। महात्मा गाँधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को सच्ची श्रद्धांजलि उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहने से ही होगी। हम सभी दृढ़ संकल्प लें कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो हमें अपने कर्तव्यपालन करते रहना ही सही अर्थ में राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देना है। हमारे विद्यालयों को सही अर्थ में आदर्श और उत्कृष्ट बनाने में प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हम अपनी लगन और निष्ठा के साथ सतत प्रयत्न करते रहें।

आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।

मंगलकामनाओं के साथ,

(सौरभ स्वामी)

गाँधी जयन्ती विशेष

महात्मा गाँधी - साधारण मानव से महामानव तक का सफर

□ नव प्रभात दुबे

महात्मा गाँधी मोहनदास करमचंद गाँधी यह नाम जेहन में आते ही एक दुबला, पतला, लंबा, वृद्ध व्यक्ति धोती पहने, चश्मा लगाए, हाथ में लाठी लिए व्यक्ति की कल्पना उभरती है। आत्मविश्वास से भरा यह अहिंसा का पुजारी, सभी धर्मों की एकता में विश्वास करने वाला था। इस व्यक्ति ने भारत ही नहीं वरन विश्व में अपनी पहचान कायम की। वर्तमान में यह नाम किसी व्यक्ति का न होकर एक ऐसी विचारधारा का है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही खरी उतरती है जितनी की पूर्व में। गाँधी की इस आँधी ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी और इनके सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वधर्म सद्भाव के अस्त्रों ने अंग्रेजी साम्राज्य रूपी वृक्ष को भारत से उखाड़ कर फेंक दिया। गाँधी दर्शन आज भी देश के अनेक विश्व विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल है।

महात्मा गाँधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ प्रांत के पोरबंदर में हुआ। जहाँ के दीवान इनके पिता करमचंद गाँधी थे। माता का नाम पुतली बाई था। जिनका इनके जीवन पर गहरा प्रभाव था। 13 वर्ष की आयु में 1883 में इनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। इनके वैवाहिक जीवन में चार संतानें हुईं- हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 22 फरवरी 1944 में कस्तूरबा का निधन हो गया था। 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए, पढ़ाई पूरी कर 1891 में भारत वापस लौटे।

1893 में फारसी फर्म दादा अब्दुल्ला एण्ड कम्पनी के केस के सिलसिले में द. अफ्रीका गए। जहाँ 22 वर्ष तक रहे और भारतीयों के खिलाफ रंगभेद नीति और अन्य अमानवीय कार्यों का विरोध किया। जिस प्रकार सोना आग में तप कर और निखर जाता है, उसी प्रकार इस काल में गाँधीजी ने कई प्रयोग किए और उनमें सफल रहे। सितम्बर 1906 को द. अफ्रीका के ट्रान्सवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में जीवन का



प्रथम सत्याग्रह किया। यहाँ निम्न आश्रम स्थापित किए- टालस्टाय फार्म-जोहान्सबर्ग द. अफ्रीका एवं फिनिक्स फार्म-डरबन द. अफ्रीका।

9 जनवरी 1915 को गाँधीजी भारत लौटे। भारत आने पर पूरे भारत में भ्रमण कर यहाँ के हालात को जाना। 1915-1948 की यह अवधि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गाँधी युग के नाम से जानी जाती है।

1916 में गुजरात के अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के चम्पारन में किसान आन्दोलनों का नेतृत्व कर रहे राजकुमार शुक्ला नामक किसान ने जहाँ नील बागान मालिक, किसानों को नील की खेती करने पर बाध्य करते थे एवं तय कीमत पर नील बेचने को मजबूर करते थे ने 1917 में एक पत्र लिखकर गाँधी को चम्पारन आने का न्यौता भेजा। चम्पारन पहुँचने पर राजकुमार शुक्ला ने ही सर्वप्रथम उन्हें बापू कहकर पुकारा था। इनके प्रयासों से किसानों की समस्या में कमी आई। इस प्रकार 1917 चम्पारन में गाँधीजी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कर भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रवेश किया।

1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आन्दोलन में मालिक और मजदूरों के विवाद में हस्तक्षेप कर मजदूरों को राहत दिलाई और

गुजरात के खेड़ा में फसल नष्ट होने पर भी लगान वसूल किए जाने पर किसानों के लिए संघर्ष कर लगान माफ कराया।

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार की सहायता के लिए सेना में भर्ती होने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया तो आलोचनाकर्ताओं ने उन्हें रिक्रूमेंट सारजेंट कहा व अंग्रेज सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिन्द की उपाधि से नवाजा। जिसे बाद में उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के विरोध में त्याग दिया।

1920 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। आन्दोलन के चलते 5 फरवरी 1922 को उ.प्र. के देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस के दमन से उत्तेजित होकर उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी जिसमें 1 थानेदार व 21 सिपाही मारे गए। इस कारण गाँधीजी ने यह आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। लेकिन अंग्रेजों का दमन चक्र कम नहीं हुआ व 10 मार्च 1922 को गाँधी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल की सजा सुनाई। किंतु फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया। जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान खादी को बढ़ावा देने व छुआछूत को कम करने में लगा दिया। 1924 में कांग्रेस के बेलगाँव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1929 के पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 11 सूत्री माँगें जिनमें लगान में कमी, सैन्य व्यय में कमी, नमक कर की समाप्ति, रुपये की विनिमय दर घटाना, विदेशी कपड़ों के आयात को नियंत्रित करना, नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद करना, रानेती कैदियों को छोड़ना आदि लॉर्ड इरविन के समक्ष रखीं जिन्हें अस्वीकार किए जाने पर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ किया।

12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए 240 मील लम्बी यात्रा 24 दिन में पूरी कर

6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून तोड़ा। सुभाषचन्द्र बोस ने गाँधीजी की इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की एलबा के पेरिस मार्च से की। मार्च 1931 में गाँधी इरविन समझौता हुआ फलस्वरूप लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गाँधीजी भाग लेने गए लेकिन कोई भी प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होने से दिसम्बर 1931 में भारत वापस आ गए।

जैसा कि विदित है कि अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों में चर्चा के लिए 1930 से 1932 तक लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवम्बर से 19 जनवरी 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितम्बर से 24 दिसम्बर 1931 तक तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 17 नवम्बर 1932 तक।

इस दौरान भी अंग्रेज सरकार का दमन चक्र जारी रहा। इरविन के स्थान पर नए वायसराय लार्ड विलिंगटन से गाँधीजी की वार्ता असफल होने पर 3 जनवरी 1931 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ किया। जिसके फलस्वरूप गाँधीजी को जेल में बंद कर दिया लेकिन हालात बिगड़ने पर 23 अगस्त 1933 को गाँधीजी रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने पर गाँधीजी राजनीति से अलग हो गए और अछूतों के कार्यक्रम में लग गए। 18 मई 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया।

अक्टूबर 1940 में गाँधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जिसका लक्ष्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित करना था। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बनें।

1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के बाद सम्पूर्ण भारत में कहीं न कहीं विद्रोह होते रहे और अंग्रेज सरकार उनका दमन करती रही साथ ही संवैधानिक सुधारों के नाम पर कुछ राहत देने का ढोंग करती रही। जिनमें 1909 का अधिनियम, रोलट एक्ट, 1919 का अधिनियम, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, 1935 का अधिनियम क्रिप्स मिशन। ये सब राहत के कागज में लपेटे अंग्रेजी सरकार के स्वार्थ के बीज थे जिन्हें भारतीयों ने कभी स्वीकार नहीं किया।

1942 का भारत छोड़ो आंदोलन:

द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की स्थिति कमजोर होने से भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा गया जिसमें युद्ध के बाद भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होकर एक औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया गया लेकिन वास्तविक शक्ति तत्काल भारतीयों को नहीं सौंपी गई थी। महात्मा गाँधी ने इसे 'आगे की तारीख का चेक' कहा। इस मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध से कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने से जनता का आक्रोश तीव्र हो गया। ऐसे में गाँधीजी ने एक आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया और कहा 'भारत की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। 8 अगस्त 1942 को मुम्बई के गवालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया और विशाल ऐतिहासिक सभा में उन्होंने कहा मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ। आप इसे दिल में संजोकर रखें और इसका जाप करें वह मंत्र है—**करो या मरो**, हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएँगे या इस प्रयास में मारे जाएँगे, मगर हम अपनी पराधीनता का स्थायित्व देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे।

कांग्रेस को 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारम्भ करना था। लेकिन अंग्रेज सरकार को इसकी भनक लग गई और रात्रि ऑपरेशन जीरो हॉवर के तहत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गाँधी व सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खाँ पैलेस में और अन्य नेताओं को अहमद नगर दुर्ग में नजरबंद कर दिया। इन नेताओं की गिरफ्तारी से जन आक्रोश फैल गया और स्थान-स्थान पर स्वतः स्फूर्त आंदोलन होने लगे। स्कूल, कॉलेज, कारखानों में हड़तालें की गईं। भीड़ ने ब्रिटिश सरकार के प्रतीकों, पुलिस थानों, डाकघर, न्यायालय, रेलवे स्टेशन आदि पर आक्रमण किए और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराया जाने लगा। रेल की पटरियाँ उखाड़ने, पुल उड़ा देने व टेलीफोन व तार की लाइनें काट देने एवं मुखबिरों व सरकारी अधिकारियों पर हमलों का क्रम चलता रहा। आंदोलन हिंसक होता जा रहा था। सरकार भी

क्रूरता से आंदोलन को दबाने का प्रयास करने लगी। श्रीमती अरुणा आसफ अली एवं अन्य नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन को जारी रखा। कई स्थानों पर आंदोलनकारियों ने समानांतर सरकारें स्थापित कर लीं। 10 फरवरी 1943 को गाँधीजी ने जेल में उपवास प्रारम्भ कर दिया और बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया। मुस्लिम लीग इस आंदोलन से अलग रही। नेतृत्व विहीन यह आंदोलन भारतीयों के बलिदान व संघर्ष की कहानी को बयां करता है। इससे घबराकर अंग्रेज अपने को भारत में चंद दिनों का मेहमान समझने लगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऐटली ने भारत की बिगड़ती हुई दशा को देखते हुए घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को जिम्मेदार हाथों में सौंप देना चाहती है। इस घोषणा का कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने स्वागत किया। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आए और विभिन्न दलों से बात कर इस नतीजे पर पहुँचा कि भारत की समस्या का एकमात्र समाधान देश का बंटवारा और पाकिस्तान का निर्माण है। गाँधीजी ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ बंटवारे के लिए कभी राजी न होऊंगा। कांग्रेस इसे स्वीकार करती है तो उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। लेकिन देश में साम्प्रदायिक दंगों की भयावहता को देखकर उनका दिल दहल उठा और वे मान गए। इस प्रकार भारत विभाजन और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ।

4 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया और 18 जुलाई 1947 को सम्राट के हस्ताक्षर होते ही यह पारित हो गया। 14 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को दो नए राष्ट्र पाकिस्तान और भारत बनें। पाकिस्तान में मुहम्मद अली जिन्ना गवर्नर व लियाकत अली प्रधानमंत्री बने।

भारत में लार्ड माउंट बेटन गवर्नर जनरल व जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। गाँधी जी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में गोली मारकर हत्या कर दी। नई दिल्ली के राजघाट पर उनकी समाधि पर देवनागरी लिपि में हे राम लिखा हुआ है। जो उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे। इनकी मृत्यु पर जवाहर लाल नेहरू ने कहा था हमारे

जीवन से प्रकाश चला गया। मानव मात्र से प्रेम करने वाले गाँधीजी को लोग प्रेम से कई नामों से पुकारते हैं। 12 अप्रैल 1919 को रवीन्द्रनाथ टैगोर ने एक पत्र में महात्मा गाँधी को 'महात्मा' कहकर सम्बोधित किया था। विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्द्ध नग्न फकीर कहा। सुभाष चन्द्र बोस ने 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी कहा था। महात्मा गाँधी अपना आध्यात्मिक गुरु लियो टालस्टाय व राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे।

बापू का सम्पूर्ण जीवन उनके संघर्षों की कहानी है। वे एक सफल लेखक थे। उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन काल में अनेक पुस्तकें लिखीं। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के सम्पूर्ण घटना को उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग-एक आत्म कथा नामक पुस्तक में पूरी सच्चाई के साथ गुजराती में कलमबद्ध किया जिसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई ने किया। उनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें हिन्दु स्वराज दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता पदार्थ कोश सहित गीता पर टीका, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, शाकाहार के नैतिक आधार, स्वास्थ्य की कुंजी, शिक्षा पर मेरे विचार आदि।

उन्होंने कई पत्र-पत्रिकाओं का संपादन भी किया जिनमें हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नव जीवन आदि। गाँधीजी ने जॉन रस्किन की पुस्तक 'अन टू दिस लास्ट' का गुजराती भाषा में अनुवाद किया।

विदेश के कई व्यक्तियों को गाँधी के उपनाम से सम्बोधित किया गया है:-
सीमान्त गाँधी- खान अब्दुल गफ्फार खान
बिहार के गाँधी- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
आधुनिक गाँधी - बाबा आमटे श्री
लंका के गाँधी - ए. टी. आरियाराटने
अमेरिकन गाँधी- मार्टिन लूथर किंग
अफ्रीका गाँधी/अश्वेतों का गाँधी- नेल्सन मंडेला
बर्मी गाँधी - जनरल आंग सान

व्याख्याता (इतिहास)

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडौदिया,
बूँदी (राज.)

मो: 9414745053

सामाजिक चिन्तन

तरु और गुरु

□ ओमप्रकाश वर्मा

ए क बड़ा ही विचारणीय बिन्दु है 'तरु और गुरु' इन दोनों में क्या समानता है और इनका मानव जीवन पर, समाज, पर्यावरण और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह एक गंभीर विषय है अगर गुरु शब्द की व्याख्या की जाए तो हम देखते हैं ये दो वर्णों 'गु' व 'रु' से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ है- 'अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना।' गुरु हमारे दुर्गुणों को हटाता है। अंधेरे में जैसे हम कोई वस्तु टटोलते हैं, नहीं मिलती है वैसे ही गुरु के बिना टटोलने वाली जिंदगी बन जाती है जहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताता है। जिस राह पर चलकर जीवन और समाज को संवारा जा सकता है। एक नई ऊँचाई को छुआ जा सकता है इसलिए गुरु हमारे लिए किसी मूल्यवान वस्तु से कम नहीं है। माता-पिता तो हर किसी को मिल जाते हैं परंतु जीवन को बदलने वाले गुरु कठिनाई से मिलते हैं।

गुरु सीधा सादा होता है। भले ही वह कैसा भी है लेकिन गुरु, गुरु होता है वह अपने शिष्य के प्रति छल कपट का भाव नहीं रखता है वरन् समानता का भाव रखता है और शिष्य को पारंगत कर देना ही उसका परम लक्ष्य होता है। वह अपने शिष्य को उन्नति के पथ पर देखना चाहता है इसलिए वह उसकी हर कमी को दूर करना चाहता है। गुरु अपने शिष्य को सम्पूर्ण बनाने में समस्त ज्ञान उसके सम्मुख उडेल देता है यही तो एक सच्चे गुरु का गुणधर्म है। किसी भी प्रकार की कला सीखने के लिए गुरु परम आवश्यक है। चाहे फिर वह कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ड्राइविंग, केश सज्जा या फिर डॉक्टर, वकील, कक्षाध्यापक, इंजीनियर ही क्यों ना हो गुरु जरूरी है। गुरु की सहायता से जीवन सुगम तो होता ही है और साथ ही हम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में 'तरु' का भी महत्त्व है।

'तरु' अर्थात् वृक्ष, पेड़, पादप या वितप कुछ भी कह सकते हैं। 'तरु' से 'त' तथा 'रु' अर्थात् प्रदूषण रूपी अंधकार को दूर कर स्वच्छ पर्यावरण की ओर ले जाने वाला। जो मानव

जीवन में स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार बिना गुरु के हमारा जीवन अंधकारमय है वैसे ही 'तरु' के बिना ही हम जीवन, समाज और पर्यावरण की स्वच्छता की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अतः हम सब को 'गुरु' के समान ही 'तरु' को भी महत्त्व देकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। एक अभियान चलाकर 'वृक्षारोपण और संरक्षण' की जागरूकता पैदा करनी चाहिए। पेड़ हमारे जीवन को सुगम बनाने का कार्य करते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित खेजडली (1734 ई.) को कौन भूल सका है? अमृता देवी के नेतृत्व में 363 व्यक्तियों ने वृक्षों की रक्षा करते हुए अपने प्राण बलिदान कर दिए। कहा भी गया है कि 'अगर शीश के बदले रूख (पेड़)/वृक्ष मिलता है तो भी सौदा सस्ता है ठीक उसी प्रकार व्यक्ति अपनी जान देकर अगर एक भी वृक्ष को बचा लेता है तो भी सस्ता है।' इनके बलिदान आत्मोसर्ग से हम पेड़ों का महत्त्व समझ सकते हैं। 'तरु' हमारे पर्यावरण की शुद्धता के मानक हैं इनसे ताजी हवा, वातावरण में ठण्डक, वर्षा, छाया, औषधियाँ, फर्नीचर, चारा इत्यादि क्या कुछ नहीं मिलता। इन सबके कारण 'तरु' मुझे 'गुरु' के समान दिखाई देते हैं। जैसे 'गुरु' अपना सर्वस्व शिष्य को प्रदान कर देता है वैसे ही 'तरु' भी हमारे जीवन के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है। जिसका मूल्य चुकाना किसी की भी सीमा में नहीं है। इतना त्याग एक गुरु ही कर सकता है या फिर तरु।

अतः जिस तरह अपने गुरु को महत्त्व देते हैं, मान-सम्मान करते हैं वैसे ही हमें 'तरु' रूपी गुरु को मान-सम्मान करते हुए वृक्षारोपण का पुनीत कार्य करना चाहिए तथा वृक्षों के संरक्षण को अपना ध्येय बनाना चाहिए। तभी सही मायने में 'तरु-गुरु' को सम्मान दे सकते हैं।

राह दिखाते जीव को, गुरु-तरु दोऊ एक।
अंधकार मिटा नर का, पुण्य किया है नेक।।

व्याख्याता (हिन्दी)

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भजेड़ा,
किशनगढ़बास, अलवर (राज.)

मो: 9982189171

गाँधी जयन्ती विशेष

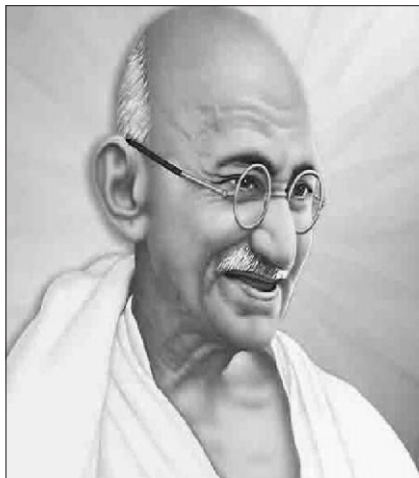
गाँधीजी का शिक्षा दर्शन

□ ठाकराराम प्रजापत

शिक्षा एक ऐसा अमूल्य अस्त्र है, जिसके द्वारा राष्ट्रोत्थान एवं समाजोत्थान की दिशा में लोगों को जागरूक, आत्मनिर्भर एवं सक्रिय किया जाता है। जिसके लिए अक्षर ज्ञान से आगे जाकर देश, समाज की परंपराओं, जीवन मूल्यों का अभिज्ञान कराया जाता है।

जन-जन के प्रेरणा स्रोत गाँधीजी ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा के समर्थक थे। वे शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम मानते थे। गाँधीजी की सूक्तियों, चिंतनशील विचारों में समाहित अनगिनत शिक्षाओं को ग्रहण करने से जीवन में अंधेरे की जगह उजास और प्रेरणा भर जाती है। जीवन पथ प्रशस्त करने वाले राजनीतिक आंदोलनान्तर्गत रचनात्मक कार्यों जैसे- खादी प्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण, गरीबों के उत्थान आदि सामाजिक उत्थान की कड़ी बने। जिनमें गहरी सोच व तपस्या निहित होने के साथ विचार, वाणी, कर्म के संतुलन से व्यक्तित्व में विश्वसनीयता का प्रकाश प्रदीप्त होता है। क्योंकि हमारे विचार ही शब्द बनकर कर्म करते हैं और अद्वैत पराशक्ति में विश्वास रखते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे संकल्प शक्ति दृढ़ होती है तथा प्रार्थना, व्रत और मौन तीनों साबुन, पानी और तैलिये के समान होने चाहिए, जिसके द्वारा प्रतिदिन अपने हृदय को निर्मल बनाया जा सके। ये एक प्रकार के आध्यात्मिक आहार हैं जिसकी ऊर्जा देश सेवा, समाज सेवा जैसे कार्यों में लगनी चाहिए।

स्वावलंबन को महत्त्व दिए जाने के कारण गाँधीजी का स्पष्ट मानना था कि शिक्षा लोगों में कौशल को बढ़ावा दें, ताकि व्यक्ति लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से स्वावलंबी बन सकें। सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से जुड़ी बुनियादी राष्ट्रीय सभ्यता एवं संस्कृति के नजदीक थी। आधारभूत शिल्प में कृषि, कताई, बुनाई, लकड़ी, चमड़े, मिट्टी का



काम, मछली पालन, फल, सब्जी का बागान अर्थात् व्यवहारिक व व्यवसायिक शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए बच्चों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। बालिका उच्च अध्ययन करें तथा विषय में पारंगत होकर स्वावलंबी जीवन व्यतीत कर सकें। शारीरिक श्रम को महत्त्व देकर स्थानीय व भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूल ऐसी शिक्षा का अक्षर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे नैतिक, शारीरिक व आर्थिक विकास भी हो सके।

गाँधीजी ने अंग्रेजों द्वारा विकसित शिक्षा पद्धति की महत्त्वपूर्ण तीन कमियाँ बताईं-

1. यह विदेशी संस्कृति पर आधारित थी।
2. यह हृदय और हाथ की संस्कृति की उपेक्षा कर पूर्णतः दिमाग तक ही सीमित थी।
3. विदेशी भाषा के माध्यम से सही शिक्षा संभव नहीं है। गाँधीजी ने अंग्रेजी शिक्षा को मानसिक गुलामी का कारण बताया। वे कहते हैं 'अंग्रेजी शिक्षा लेकर हमने अपने राष्ट्र को गुलाम बनाया।'

गाँधीजी का यह मानना था कि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा को अधिक रुचि तथा सहजता के साथ ग्रहण कर सकता है।

गाँधीजी ने आध्यात्मिक व सामाजिक मूल्यों की शिक्षा द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति को परिष्कृत कर निश्चेष्ट, निष्प्राण मानवों के हृदय में बुझी ज्योति को नई ऊर्जा प्रदान की जा सकती है। सर्वोदय, स्वावलंबन प्रवृत्ति का प्रस्फुटन से ही व्यक्ति में सुधारवादी, सहनशीलता, दृढ़ता जैसे उच्च मूल्य स्थापित कर उनमें आत्मविश्वास व प्रखरता की वृद्धि की जा सकती है। क्योंकि घर्षण के बिना चमक नहीं आती है। शारीरिक दंड के प्रबल विरोधी गाँधीजी आत्मानुशासन पर जोर देते हैं तथा आलोचनाओं से ज्यादा आत्मावलोकन, आत्मानुशासन व आत्मसुधार द्वारा स्वावलंबी व स्वाभिमानी भारत के निर्माण करने के पक्षधर थे।

सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले गाँधीजी शिक्षा को बच्चों का मूल अधिकार मानते हुए कहते थे कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के 3H अर्थात् Head, Heart, Hand इन तीनों का समन्वित विकास करना चाहिए। विभिन्न व्यक्तित्व वाले बच्चों के विचारों तथा उनकी कर्मठता और उसके संपूर्ण आचरणों को इस प्रकार परिमार्जित तथा संगठित करना चाहिए जिससे वे मानव कल्याण में योगदान कर सकें।

समदृष्टि गाँधीजी ने सिखाया कि सत्य का साया, धर्मनिरपेक्षता का स्तंभ और विनम्रता व सहयोग से संघर्षों की पाठशाला में समस्याओं का समाधान, मैं और मेरी की भावना को त्यागकर असहयोग आंदोलन, अहिंसा की व्यापकता में है। सत्य सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है तो मौन कई समस्याओं का समाधान है तथा आचरण रहित विचार खोटे मोती की तरह होते हैं। 'अति सर्वत्र वर्जयेत' को ध्यान में रखकर मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए तथा स्वाध्याय ज्ञान, संचय, आत्मविकास का सर्वोच्च साधन है।

अध्यापक

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमरलाई,
बाड़मेर (राज.)

गाँधी जी के महत्वपूर्ण संदेश

□ महेश कुमार शर्मा

- देशभक्ति मनुष्य का पहला गुण है, इसके बिना वह सिर उठाकर नहीं चल सकता।
- स्वावलंबन सफलता की पहली सीढ़ी है।
- एक पुरुष को पढ़ाओगे, तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, एक महिला को पढ़ाओगे तो परिवार शिक्षित होगा।
- बुद्धि का सच्चा विकास उस शिक्षा द्वारा होना चाहिए, जिसमें शरीर के अंगों-हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक आदि का व्यायाम हो।
- जो धर्म, सत्य और अहिंसा का विरोधी है, वह धर्म नहीं है।
- दुनिया के सभी धर्म, भले ही और चीजों में अंतर रखते हो लेकिन सभी इस बात पर एक मत हैं कि दुनिया में सत्य हमेशा जीवित रहता है।
- आधुनिक शिक्षा में सुधार लाने का मुख्य विचार यह है कि बालक की शिक्षा किसी उद्योग के चारों ओर केन्द्रित करके की जाए।
- अहिंसा कोई वस्त्र नहीं जो पहन लिया जाए और फिर उतार दिया जाए। इसका स्थान हृदय में होता है और यह हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।
- उच्च शिक्षा वही है जिसे पाकर इंसान विनम्र, परोपकारी, सेवाभावी और कार्य तत्पर बन जाए।
- उत्तम परिवार से बढ़कर कोई पाठशाला नहीं है और गुणवान माता-पिता से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं है।
- व्यक्तिगत जीवन में पवित्र होना एक पूर्ण शिक्षा के लिए अनिवार्य शर्त है।
- स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है।
- यदि हम अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से पालन करते हैं तो हमें अपने वांछित अधिकार आसानी से प्राप्त हो जाएँगे।
- व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है, वह जो सोचता है, वह बन जाता है।
- देश की महानता और नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहाँ जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं।
- जो शिक्षा स्वशासित नहीं है वह अपने विद्यार्थियों को कभी स्वशासित नहीं बना सकती।
- अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ कर देता है।

- आप प्रत्येक दिन अपने भविष्य की तैयारी करते हैं।
- यदि मनुष्य सीखना चाहे, तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है।
- जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखना चाहिए जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो।
- आपको खुद में ऐसे बदलाव करने चाहिए जैसा आप दुनिया के बारे में सोचते हैं।
- काम की अधिकता ही नहीं, अनियमितता भी आदमी को मार डालती है।
- पूर्ण धारणा के साथ बोला गया 'नहीं' सिर्फ दूसरों को खुश करने या समस्या से छुटकारा पाने के लिए बोले गए 'हाँ' से बेहतर है।
- केवल प्रसन्नता ही एक मात्र इत्र है, जिसे आप दूसरों पर छिड़के तो उसकी कुछ बूँदें अवश्य ही आप पर भी पड़ती हैं।
- पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं।
- धार्मिक वह व्यक्ति है जो दूसरों के दर्द को समझता है।
- मुस्कान मन की गाँठें आसानी से खोल देती है।
- जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है।
- एक विनम्र तरीके से, आप दुनिया को हिला सकते हैं।
- थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है।
- मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे-धीरे दुनिया आपको सुनेगी।
- व्यक्तियों के केवल अच्छे गुणों को देखें न कि उनकी गलतियों को गिनें।
- खुशी तब मिलेगी जब आप जो कहते हैं और जो करते हैं, उसमें सामंजस्य हो।
- कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता है,

- क्षमाशीलता ताकतवर की निशानी है।
- प्रयास करने में ही संतोष निहित है, प्राप्ति में नहीं।
- बुराई को सहना भी उतना ही बुरा है जितना खुद बुराई करना।
- हमारे काम की गुणवत्ता ही भगवान को खुश करेगी।
- प्रार्थना में शब्दों के बजाए दिल का होना बेहतर है।
- जो व्यक्ति मन से कमजोर होता है वही हिंसा कर सकता है।
- कोई भी हमारे आत्मसम्मान के साथ नहीं खेल सकता, जब तक हम इसकी इजाजत न दें।
- गुस्सा और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन हैं।
- एक अच्छा इंसान सभी जीवों का मित्र है।
- सत्य बिना समर्थन के भी खड़ा रहता है।
- अगर हम इस दुनिया में वास्तविक शांति तक पहुँचना चाहते हैं, तो हमें बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर देना चाहिए।
- जब तक विनम्रता और सीखने की इच्छा न हो तब तक कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता।
- किसी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आप को किताबें नहीं जलानी होंगी, बस लोग उन्हें पढ़ना बंद कर दें।
- चरित्र के बिना ज्ञान केवल बुराई को शक्ति देता है।
- पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि पुस्तकें अन्तःकरण को उज्ज्वल करती हैं।
- यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है।
- समय ही धन है, इसे बर्बाद न करें।
- भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं।

व्याख्याता

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा,
बारां (राज.)

मो: 9460174051

शैक्षिक चिंतन

मातृभाषा में शिक्षण का आनन्द

□ ओमप्रकाश सारस्वत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विभिन्न स्तरों पर चिन्तन-मनन एवं बहस की प्रक्रिया से होकर शीघ्र ही लागू होने को है। सन् 1986 की शिक्षा नीति के उपरान्त तीन दशक से अधिक का समय निकल गया है। एक तिहाई सदी लगभग सभी पूर्व मानकों को बदलकर नए मानक स्थापित कर देने वाली होती है। 1986-2019 का कालखण्ड तो वैज्ञानिक प्रगति एवं सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से बहुत अहम् कहा जा सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान शताब्दी के स्वर्ण जयन्ती वर्ष 2050 तक का विजन दृष्टि में रखकर बनाई गई है। इस नीति में मातृभाषा की उपादेयता एवं महत्त्व को ध्यान में रखते हुए कहा गया है, 'कम से कम कक्षा 5 तक लेकिन प्राथमिकतः कक्षा 8 तक, जहाँ भी जरूरी हुआ एक लचीले भाषा दृष्टिकोण के साथ शिक्षा स्थानीय भाषा/मातृभाषा में होगी।' इस प्रकार प्रस्तावित शिक्षा नीति में मातृभाषा को नए दृष्टिकोण में महत्वांकित किया गया है। यह निश्चय ही सराहनीय है।

मातृभाषा बहुत ही संवेदनशील एवं व्यक्ति की आत्मा से जुड़ा विषय है। बालक जिस भाषा को सबसे पहले सीखता एवं जिसमें स्वयं को अभिव्यक्त करता है, वह मातृभाषा ही होती है। यह सीखना सहज एवं स्वतः होता है। इसे सिखाना नहीं पड़ता। माँ का दूध पीते, उसके साथ चुहल करता, आ ऊँ करता बच्चा इसे सहजतापूर्वक सीख लेता है। दरअसल सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषागत पहचान व्यक्ति की अपनी मातृभाषा ही होती है। व्यक्ति जितना सटीक एवं प्रभावी अभिव्यक्ति मातृभाषा में कर सकता है, कदाचित् अन्य किसी भाषा में नहीं। मातृभाषा के संस्कार उसे माँ के दूध में मिलते हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि उसमें निखार लाती है।

शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने की हिमायत शिक्षा पर बनी समितियों, आयोगों एवं



शिक्षाविदों ने एक स्वर में की है।

एक छोटा बालक जब स्कूल जाता है। या यों कहे कि वह जब घर रूपी पाठशाला से औपचारिक विद्यालय/आँगनबाड़ी में माँ रूपी शिक्षक के पास जाता है तो वह वहाँ घर के आँगन एवं अपनी माँ को तलाशता है। उसे वह गंध घर-आँगन व माँ की याद दिलाती है। वह रोता है। मचलता है। जरा विचार करें, यहाँ माँ नहीं हो सकती और न ही घर का वह आँगन। अब इन दो से परे एक तीसरी चीज और होती है जिसे पाकर वह ठिठक जाता है और वह तीसरी ताकत उसकी मातृभाषा होती है। मातृभाषा जैसी घर में होती है और जिस प्रकार माँ तथा अन्य परिवारजन उसे बोलते-उच्चारते हैं, कमोबेश वैसा ही स्कूल में हो सकता है। जो बच्चे मातृभाषा रूपी वाहन में सवार होकर स्कूल आते हैं, वे शिक्षा एवं संस्कार का प्रसाद लेकर ही घर जाते हैं।

मातृभाषा के उच्च स्थान को उजागर करते हुए हमारे वेदों में कहा गया है; 'मातृभाषा, मातृ संस्कृति तथा मातृभूमि ये तीनों वरदायिनी देवियाँ स्थिर होकर हमारे हृदय में विराजे।' इसका भावानुवाद अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार किया गया है, "One should respect his mother tongue, motherlands and

mother culture because they are Happiness giver in a ture sense"

मातृभाषा चित को शान्ति प्रदान करती है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण-अधिगम के समय बच्चों के चेहरे पर तैरती खुशियाँ उनकी भाव भंगिमा बता देती है। हमारे विद्यालयों में प्रायः आठवें कालांश में प्राथमिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ बिठाकर समवेत स्वर में गिनती/पहाड़े/दोहे/चौपाइयाँ आदि बुलवाने की परम्परा रही है। गिनती व पहाड़ों के मामले में उसे मालणी (म्हालणी) कहते हैं। जरा बारीकी से अवलोकन कीजिए। पहले कालांश से पढ़ता-पढ़ता बालक सातवें कालांश तक निद्राल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आठवें कालांश में समवेत स्वर से कुछ बोलने हेतु उन्हें बुलाया जाता है। उनकी चाल एवं रंगत दोनों बदल जाती हैं। कारण, उन्हें इस दौरान मातृभाषा व घर के संस्कारों की तरह बोलना तथा अभिव्यक्त करना होता है। यह बहुत आनन्ददायी होता है। अतः फलदायी भी होता है।

मातृभाषा के प्रभाव का एक प्रयोग एक नर्सरी स्कूल में किया गया है। लगभग तीन वर्ष के बच्चे एक तरह से माँ के विरह में विलाप करने लगते। स्कूल में ऐसे बच्चों को चिह्नित किया। उनकी माताओं को बुलाकर उनसे बच्चे के साथ वे गीत रिकॉर्ड किए जिन्हें वे घर में गाते थे। बच्चा जब रोता है, समझाने-बुझाने से नहीं मानता, तब एक पर्दे के पीछे टेप रिकॉर्डर चलाकर माँ की आवाज में कुछ सुनवाया जाता। इस बीच शिक्षक कुछ क्रियाएँ करती। कुल मिलाकर बच्चा शान्त हो जाता। यह है मातृभाषा की ताकत। स्वामी अवधेशानंद गिरि ने कहा है- 'मातृभाषा का अर्थ आत्माभिव्यक्ति से है। ऐसी भाषा जिसमें स्वयं की संस्कृति, संस्कार और व्यवहार को सही अर्थों में अभिव्यक्त किया जा सके।' इसी के साथ हिन्दी का महत्त्व बताते हुए स्वामीजी कहते हैं कि हिन्दी मात्र एक भाषा नहीं अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति है।

मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर सीखने-सिखाने की प्रक्रिया प्रभावी एवं अधिक फलदायी हो जाती है। इसके साथ ही स्थानीय परिवेश के उदाहरण एवं दृष्टान्त सोने में सुहागे के समान होते हैं। एक शिक्षक हिन्दी भाषा का शिक्षण कराते। व्याख्या एवं उदाहरण देने में स्थानीय भाषा का सहारा लेते। विद्यार्थी बहुत रुचि लेकर पढ़ते। उन्हें आनन्द आता और पक्का अधिगम होता। स्थानीय भाषा के माध्यम से हिन्दी भाषा का शिक्षण करवाने वाले इन गुरुजी का रिजल्ट शत प्रतिशत रहता। हिन्दी भाषा में अनेक विद्यार्थी विशेष योग्यता (75 प्रतिशत व ज्यादा) अंक प्राप्त करते। शिक्षण बहुआयामी होना चाहिए। विषयगत शिक्षण के साथ-साथ उदाहरण/दृष्टान्तों के माध्यम से शिक्षक सामाजिक रीति-रिवाजों, परम्पराओं को भी पढ़ा रहा होता है। यह सही है कि जब शिक्षण में मातृभाषा/स्थानीय भाषा का पुट रहता है तब यह सब शिक्षण मनोहारी एवं प्रभावकारी सिद्ध होते हैं।

प्रत्येक समाज में लोकगीत एवं भजन होते हैं जिन्हें सुन-सुनकर बच्चे बड़े होते हैं। उत्सव पर्व तथा मेले-मगरियों में इन्हें कैसिट्स के जरिए सुना जाता है। जब ये बजते हैं तो सुनने वालों के पैर ठिठक जाते हैं। ऊँची से ऊँची पढ़ाई करके करोड़ों रुपये पैकेज के साथ बड़े से बड़ा पद प्राप्त करने वाले हाई प्रोफाइल व्यक्ति भी जब अपने पैतृक स्थान पर यह सब देखते-सुनते हैं तो झूमने को मजबूर हो जाते हैं। कारण ये सब उनके खून में हैं। जो खून में रमी है-वह आपकी मातृभाषा है। वे आपके वंशानुगत संस्कार हैं जिन्हें कोई भूल नहीं सकता। इस समय 50-60 आयु वर्ग के व्यक्ति अपने बाल्यकाल को जरा याद करें। उस दौर में दादी-दादा के द्वारा गाए जाने वाले प्रभाती भजनों से उनकी नींद खुलती थी। वे प्रभातियाँ आज भी उनके कानों में गूँज रही हैं। जब भी कहीं उन्हें सुनने का मौका मिलता है, अच्छा लगता है। बाल्यकाल एवं किशोरावस्था में देखे-सुने नाटक, रम्मत, जागरण, जगराते चाहकर भी कोई भूल नहीं सकता। कारण वही, ये सब हमारे खून में हैं। लोक संस्कृति एवं लोक परम्पराएं तथा स्थानीय मातृभाषा बहुत वजनी होती है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि उन्हें संगीत के संस्कार एक स्थानीय बांग्ला

लोकगीत को सुनने से मिले। ऐसा हम सभी के साथ है। मातृभाषा (स्थानीय भाषाएँ) लोक संस्कृति एवं उज्ज्वल सांस्कृतिक परम्पराओं की संवाहक होती हैं। विडम्बना यह है कि हम संस्कृति की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्द्धन चाहते हैं लेकिन उसके मजबूत आधार से परहेज रखते हैं। अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाकर सांस्कृतिक संरक्षण की बात किसी दिवास्वप्न से कम नहीं है। अतः मातृभाषा/स्थानीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाकर उनका संबलन करना ही चाहिए। इसमें हमारा खान-पान तथा खाने-पीने का ढंग भी शामिल है। ये सब मिलकर लोक संस्कृति को आकार देते हैं।

अमेरिका में रहने वाले राजस्थान मूल के अप्रवासियों ने वहाँ एक संगठन बना रखा है। वे समय-समय पर मिलते रहते हैं। घर में अनिवार्य रूप से मातृभाषा में संवाद करते हैं। लोक गीत एवं संगीत सुनते हैं। राजस्थानी परिधान (साफा, कुर्ता, पायजामा, धोती) समय-समय पर पहनते हैं। राजस्थानी भोजन बनाते तथा परम्परागत तरीके से जमीन पर पालथी लगाकर बाजोट पर थाली रखकर भोजन करते हैं। मनुहार करना तथा किसी भी सूरत में झूठन न छोड़ना के संस्कार बच्चे सहज ही में सीखते हैं। कुछ वर्ष पूर्व उनका एक सम्मेलन जयपुर बिड़ला सभागार में हुआ था। वहाँ 10 वर्ष से छोटे अनेक बच्चे थे जिनका जन्म अमेरिका में हुआ और जो पहली बार राजस्थान आए थे लेकिन उनका व्यवहार, वस्त्र, बोलचाल देखकर यही लगता था कि वे ठेट राजस्थानी हैं। मातृभाषा की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। मातृभाषा वृक्ष बहुत विशाल होता है।

इस धरती की गौरव गाथा गायी

राजस्थान ने

इसे पुनीत बनाया अपने

वीरों के बलिदान ने

मीरा के गीतों की इसमें

छिपी हुई झंकार है।

हमकों अपनी धरती की

माटी से अनुपम प्यार है।

इसकी छाया बहुत शीतल होती है। हमें मातृभाषा के महत्त्व को समझकर इसे यथोचित सम्मान देना चाहिए। भाषा के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दो पहलू होते हैं। हमें सांस्कृतिक पहलू पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मातृभाषा उन सब जगहों पर है जहाँ माँ और बालक है। वह सार्वभौमिक है। वही भाषा शिक्षा का माध्यम बन सकती है जो सार्वभौमिक हो। गाँधीजी ने कहा है कि सार्वभौमिकता की कसौटी पर खरी उतरने वाली भाषा ही शिक्षा का माध्यम बन सकती है।

इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जिन लोगों के हाथों में युवाओं की शिक्षा है, वे यदि निर्णय लेना चाहेंगे तो पाएंगे कि मातृभाषा मनुष्य के मानसिक विकास के लिए उसी प्रकार स्वाभाविक है जिस प्रकार माँ का दूध शिशु के शरीर के विकास के लिए है। इसके अलावा कोई और बात भला हो भी कैसे सकती है? शिशु अपना पहला पाठ माँ से सीखता है। इसलिए बच्चों के मानसिक विकास के लिए उनके ऊपर मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा थोपना मैं मातृभूमि के विरुद्ध समझता हूँ।

नीति और नियमों में भले ही कुछ भी प्रावधान हो जाए, जब तक उनकी उचित क्रियान्विति न की जाए, तब तक अर्थहीन है। यह क्रियान्विति करने वाले शिक्षक हैं। उन्हें सम्पूर्ण मन और क्षमता के साथ इस दिशा में आगे आना होगा। सैंकड़ों विद्यालयों एवं हजारों शिक्षकों से साक्षात्कार (निरीक्षण एवं संवाद) के उपरान्त सार बात यही है कि जिन शिक्षकों ने कुछ नया करने का ठाना है और पूर्ण प्रतिबद्धता एवं समर्पण के साथ उसे करने में संलग्न हुए हैं, उन्हें सफलता मिली है। प्रकृति एवं परमात्मा का विधान भी कुछ ऐसा है। जो सच्चे भाव से लग जाता है, उसे आगे से आगे रास्ते मिलते चले जाते हैं। शिक्षा के साथ तो कुछ ज्यादा ही है। मातृभाषा एवं मातृ संस्कृति के उत्थान के लिए शिक्षकों से हरावल दस्ते के रूप में प्रभावशाली भूमिका निभाने की अपेक्षा की जानी चाहिए और यह निश्चित है कि वे अपनी उज्ज्वल परम्परा के अनुसार उसमें सफल होंगे।

संयुक्त शिक्षा निदेशक (सेवानिवृत्त)
ए-विनायक लोक, बाबा रामदेवजी रोड,
गंगाशहर (बीकानेर)-334401
मो: 9414060038

शैक्षिक-चिन्तन

कक्षा-कक्ष वातावरण : सामाजिक समायोजन

□ डॉ. सावित्री माथुर

यह तो हम सभी जानते हैं कि यदि आरंभ से ही बालक को उपयुक्त शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जाए तो बालक का बौद्धिक विकास तीव्र गति से होगा। इसीलिए उच्च शैक्षिक वातावरण प्राप्त एवं उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले परिवार के बालक भी अधिकांशतः उच्च शैक्षिक उपलब्धि सरलता से प्राप्त कर लेते हैं।

इसके विपरीत प्रतिकूल शैक्षिक वातावरण में उपलब्धि स्तर न्यून रहता है। गैरट का तो यहाँ तक कहना है कि शैक्षिक वातावरण अच्छा-बुरा होने पर उपलब्धि स्तर भी 10 बिन्दु तक घटता-बढ़ता देखा जा सकता है। थार्नडाइक द्वारा भी ये ही निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं कि अनुपयुक्त वातावरण बालक के मानसिक विकास में बाधा पहुँचाते हैं अर्थात् वातावरण बालक के मानसिक विकास में तथा अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

यह वातावरण परिवार का ही नहीं वरन् विद्यालय एवं कक्षा-कक्ष का भी है। सामान्यतः कक्षा-कक्ष के वातावरण की ओर ध्यान जाता ही नहीं है। जिन कक्षा-कक्ष में बालक अध्ययन कर रहे हैं वहाँ का न केवल भौतिक वातावरण सुविधाजनक हो बल्कि सामाजिक वातावरण भी आनन्ददायक होना चाहिए। बाहरी तौर पर रोशनी, हवादार कक्ष में अध्ययन की सुविधाएँ तो आधुनिकतम हो सकती हैं किन्तु यदि प्रेरक तत्व अर्थात् अध्यापक द्वारा निर्मित वातावरण अध्ययन योग्य एवं प्रेरणादायक न हो तो समस्त सुविधाएँ कारगर सिद्ध नहीं हो सकती हैं।

अतः कक्षा-शिक्षण के आरंभ से ही प्रत्येक बालक के हृदय से यह झिझक समाप्त कर देनी होगी कि यहाँ हमें मात्र अध्ययन कार्य ही नहीं करना है वरन् इसके साथ अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व का भी विकास एवं निर्माण करना है तभी प्रत्येक बालक कक्षा-शिक्षण का अभिन्न अंग बन सकेगा। तभी परिवार की भाँति स्वयं को कक्षा में भी समायोजित कर पाएगा। इस प्रकार कक्षा-कक्ष वातावरण का विस्तृत अर्थ सम्पूर्ण,

शैक्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक अंतर्सम्बन्धों से है, जो अध्यापक एवं विद्यार्थी के मध्य क्रिया-प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित होते हैं। कक्षा-कक्ष वातावरण के अंतर्गत भौतिक सुविधा के साथ-साथ वे सभी मूल्य, अभिवृत्तियाँ, व्यवहार, प्रभाव, रचनात्मक योग्यता सहित वे सभी सामाजिक, संवेगात्मक मूल्य भी सम्मिलित हैं जो एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से प्राप्त करते हैं।

वे परिणाम, विश्वास, समायोजन यहाँ तक कि संज्ञानात्मक, भावात्मक मूल्यों के साथ अधिगम शैली को भी कक्षा-कक्ष में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार बालक का भी मानसिक रूप से कक्षा में समायोजित होना आवश्यक है।

जे.ई. वालेन्स बताते हैं कि सामान्यतः 1000 प्रारंभिक विद्यालय के विद्यार्थी समूह (विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के) में 500 विद्यार्थियों को विशेष शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक समायोजन की आवश्यकता होती है। अतः यदि एक बार कक्षा में सामाजिक रूप में बालक समायोजित हो गया है तो अन्य प्रकार के समायोजन में बालक को कम परेशानी होगी एवं अध्यापक की भी कई समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा।

चूँकि मानसिक विकास में एवं सामाजिक समायोजन में घनिष्ठ सम्बन्ध है अतः अध्यापकों एवं अभिभावकों को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बालक यदि आक्रामक अथवा शर्मीला है तो उसके व्यवहार को समायोजित एवं परिमार्जित करने में उसकी विशेष सहायता करें ताकि ऐसे बालकों का शैक्षिक विकास तीव्र गति से हो सके एवं स्वयं को सहज महसूस कर सकें। गैरट ने अपने अध्ययनों के माध्यम से यह निष्कर्ष भी पाया है कि कक्षा एवं पारिवारिक शैक्षिक वातावरण आदर्श अथवा निम्न स्तर का होने पर बालक की शैक्षिक उपलब्धि अत्यधिक प्रभावित होती है। अतः छात्र-छात्राओं में भी तथा छात्र अध्यापक में जो अंतः क्रिया होती है वह भी बालक को वांछित दिशा एवं समायोजन शक्ति प्रदान करती है। ब्लूम ने कक्षा के

वातावरण एवं बालक के समायोजन में संस्थागत एवं भौतिक वातावरण को सम्मिलित करते हुए कक्षा-कक्ष वातावरण को आंतरिक तथा बाहरी शक्तियों का जाल बताया है, जो बालक को चारों ओर से घेरे रहती हैं तथा अधिगम एवं समायोजन दोनों को प्रभावित करती हैं।

हरबर्ट थैलन ने कक्षा वातावरण को तीन निर्माणकारी तत्वों के संदर्भ में वर्णित किया है-

1. **आधिकारिता (Authenticity)**- इसमें अधिगम क्रियाओं में विद्यार्थियों की अर्थपूर्णता, अवबोध, आनन्दपूर्ण, अनुभवों, जीवन्त उत्तेजक एवं नाट्यपूर्ण स्थितियों को समाहित किया है।
2. **वैधानिकता (Legitimacy)**- इसमें विद्यार्थी संतुष्टि एवं उद्देश्यपूर्णता हेतु स्वयं को तैयार करता है एवं इस दिशा में प्रयास करता है।
3. **उत्पादकता (Productivity)**- इसमें विद्यार्थी उत्पादक क्रियाओं के माध्यम से स्व अध्ययन एवं स्व अधिगम करता है।

इस प्रकार कक्षा के अंतर्गत सामूहिक अधिगम के रूप में क्रिया करके बालक सामाजिक रूप में गतिविधि द्वारा व्यक्तिगत रूप में भी अधिगम के साथ समायोजित होने की क्षमता भी ग्रहण करता है।

वर्तमान समय में हमारा बाहरी सामाजिक वातावरण भी विद्यार्थियों को उच्च आकांक्षा एवं प्रतियोगिता का माहौल प्रदान कर रहा है, जिसमें सफलता मात्र शिक्षा के माध्यम से तथा विद्यालय के सामाजिक वातावरण से ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि बालक का सामाजिक समायोजन जितना अच्छा होगा, शैक्षिक समायोजन भी उतना ही अधिक अच्छा होगा। इसीलिए व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन का तो यहाँ तक कहना है कि 'मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे बना सकता हूँ।'

इसी प्रकार स्ट्रैंग ने भी स्वीकारा है कि 'वास्तविक ग्रहणशीलता और योग्यता वाले

शिक्षकों का दैनिक सम्पर्क बालकों के सामाजिक विकास में अतिशय योगदान होता है अतः अध्यापकों को चाहिए कि न केवल कक्षा में बल्कि पुस्तकालय, प्रयोगशाला यहाँ तक कि खेल के मैदान में भी बालक के साथ सहज व्यवहार करें, जिससे उसके सामाजिक मूल्य, सामाजिक प्रवृत्ति, सामाजिक व्यवहार का परिमार्जन हो सके। ये सभी बालक के निर्माण स्थल हैं। यहाँ उसे प्रदान किए जाने वाले सामाजिक एवं यांत्रिक उपकरण भी उसके सामाजिक विकास में सहायता देते हैं। अंतर्निहित क्षमता को प्रकाश में लाने हेतु प्रत्येक स्थान के वातावरण से सामंजस्य की भी आवश्यकता होती है।

वन्दुरा व हस्टन के शोध से ये प्रमाणित होता है कि विद्यार्थियों ने उस वातावरण में अधिक अधिगम किया, जब अध्यापक के कक्षा शिक्षण के वातावरण में सामाजिक विशेषताओं की अधिकता पाई गई। इसी प्रकार अध्यापक का व्यवहार एवं भविष्य हेतु दिए जाने वाले निर्देश एक बड़े दायरे तक कक्षा-कक्ष में विद्यार्थियों के शैक्षिक और सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक समायोजन क्षमता को प्रभावित एवं निर्धारित करती है। ऐसे शिक्षकों का छात्र, अपने जीवन में भी आदर्श के रूप में अधिकाधिक अनुसरण करते हैं। यदि अध्यापक शांत, शिष्ट, सहयोगी, संयमी, जनतांत्रिक वातावरण का पक्षधर है तो बालक भी उससे अविराम गति से अपना निर्बाध विकास करता चल जाता है। अतः कक्षा का वातावरण जितना क्रियाशील, गतिशील, सामाजिक एवं प्रभावी होगा, अन्तःक्रिया भी उतनी ही प्रभावी हो सकेगी जिसके परिणामस्वरूप अधिगम की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी तथा गुणात्मकता में भी वृद्धि होगी। अतः प्रत्येक अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा-कक्ष में ऐसा सामाजिक वातावरण निर्मित करे जिसमें न केवल विभिन्न धर्म, जाति, स्तर बल्कि विभिन्न योग्यता एवं मानसिक, शारीरिक स्तर वाले विद्यार्थी भी समायोजित होकर अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकें।

प्राचार्या

श्री भवानी निकेतन शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय
सीकर रोड, जयपुर
मो: 9784617616

नामांकन व ठहराव

ठहराव के लिए शिक्षक वर्ग के कदम

□ डॉ. मीनाक्षी सुथार

आ म तौर पर ढाई-तीन वर्ष में बालक 'प्ले स्कूल' में एडमिशन लेते ही अपने शिक्षक से जुड़ जाता है और यह सफर स्नातक/स्नातकोत्तर या कोई उच्च डिग्री पाने तक चलता है। इतना ही नहीं अगर किसी छात्र या छात्रा को नई नौकरी मिलने पर किसी कर्मचारी को प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो वह प्रशिक्षण भी किसी शिक्षक द्वारा ही दिया जाता है। ऐसे में बालपन से वयस्क होने तक विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर अपने शिक्षकों का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए शिक्षक का दायित्व केवल कक्षा-कक्ष तक ही नहीं सिमटता बल्कि यह दायित्व बालकों के व्यक्तित्व के विकास और चरित्र निर्माण का भी एक अहम् हिस्सा है।

1. बहिष्कृत बच्चे :-

प्रत्येक सामाजिक समूह में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उपेक्षित बालक बहुत दुःखी रहता है तथा उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसे लक्षण आ जाते हैं कि उनकी और भी निन्दा की जाती है। बालक की अपनी प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि अपने ही गुणों और अवगुणों पर निर्भर करती है जो बालक समूह के अन्य सदस्यों की तुलना में बुद्धि, व्यक्तित्व, सौन्दर्य, रुचि आदि में बहुत अधिक भिन्न होता है और लोग उन्हें विचित्र समझते हैं और उसे अपने समूह में रखने को तैयार नहीं होते हैं और समूह से बहिष्कृत किए जाते हैं। ऐसे बच्चों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:- (1) शान्त या दबू

(2) उधमी या समस्याग्रस्त बालक।

शान्त, दबू बालक किसी विषम परिस्थिति से भागने की चिन्ता में रह सकता है जैसे:- स्कूल से भाग जाना, डर के मारे उधमी बच्चों से छिपा रहना, अकेले खेलना, दूसरों की बातों को न मानना, अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ खेलना इत्यादि।

उधमी बालक बिना सोचे-विचारे दूसरे बालकों पर आक्रमण कर देता है, पीटता है, उनकी वस्तुओं को नष्ट कर देता है।

2. बच्चों का विद्यालय से अलगाव:-

विद्यालय और उसमें अध्ययनरत विद्यार्थी समुदाय का एक अंग है। जब पहली बार बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वह उसके जीवन की एक विशेष घटना होती है। पहली बार परिवार के सुरक्षित, संरक्षित परिवेश से बाहर निकलकर पूर्णतः अपरिचित परिवेश में प्रविष्ट होता है। जहाँ से उसे अनुशासन का भी अधिगम करना होता है। विद्यालय परिवेश के प्रति पूर्वाभिमुखीकरण की आवश्यकता इस अवस्था में विशेषतः सार्थक होती है परन्तु नवीन परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करते समय उसे सम्मान और परिवार की तरह प्रेम नहीं मिलता साथ ही अपने साथी बच्चे उसे चिढ़ाते हैं या मजाक बनाते हैं तब धीरे-धीरे उस बालक के हृदय में दूसरों के प्रति हीन भावना पनपने लगती है। माता-पिता के समझाने के बाद भी वह स्कूल आना नहीं चाहता। बालक का हृदय बहुत कोमल होता है। इस अवस्था में उसे प्रेम की भाषा ही विद्यालय से जोड़ सकती है। उसे प्रेम नहीं मिलता तो वह कक्षा के स्तर में तो बढ़ जाएगा परन्तु उसका मानसिक और भावात्मक विकास नहीं हो सकेगा।

अतः इस प्रकार के बच्चे विद्यालय से विमुख होने लगते हैं या यह कह सकते हैं कि विद्यालय नाम से चिढ़ने लगते हैं।

3. समूह का प्रभाव :-

बच्चे के सर्वांगीण विकास में परिवेश अथवा वातावरण का प्रमुख स्थान है। अनुवांशिकता के साथ यदि बालक को उचित वातावरण न मिले तो सफलता की उच्चतम सीमा तक नहीं पहुँचा जा सकता है अर्थात् दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समूह का तात्पर्य पारिवारिक समूह और विद्यालयी समूह दोनों का महत्त्व

बालक के विकास में समान भूमिका निभाते हैं।

माता-पिता व सम्बन्धियों का प्रेम पूर्वक व्यवहार तथा सहयोग होना आवश्यक है। माता-पिता व गुरुजन का सही मार्गदर्शन तथा सहयोग मिलने पर व्यक्ति उच्च कार्य प्रदर्शन कर सकता है। साथ ही शिक्षा काल में किशोर के साथ सम्पर्क करते हैं उनका बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चा जिन किशोरों के सम्पर्क में है वह सकारात्मक विचार वाले हों।

विद्यालय में बालक पर हमउम्र के साथियों का प्रभाव होता है तथा यह उस बालक के शारीरिक, मानसिक व भावात्मक विकास में सहयोग करता है।

बालक के मानसिक विकास पर उसके संगी-साथियों का प्रभाव पड़ता है। बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है वह घर से बाहर टोली के साथ खेलने जाता है। वहाँ वह समूह के सदस्यों से प्रभावित होता है। यदि समूह के सदस्य अच्छे हैं तो वह अच्छी बातें सीखेगा और समूह के सदस्यों के गलत होने पर वह कुसंगति में फँस सकता है।

अतः बालक को घर, विद्यालय तथा समुदाय पृथक्-पृथक् रूप से नहीं अपितु समन्वित रूप से प्रभावित करते हैं।

4. बच्चों को पुनः जोड़ने के लिए शिक्षक वर्ग के कदम :-

विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध हमारा देश आज भी शिक्षा के नए आयाम छू रहा है, फिर चाहे वह विद्यालय हो या महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रदान की जाने वाली औपचारिक, अनौपचारिक, आधुनिक शिक्षा ही हो। शिक्षण में शिक्षक और शिक्षिका की निरन्तर बढ़ती और नई ऊँचाइयाँ छूती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार- “शिक्षक का स्तर किसी समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाता है।”

हमारे शिक्षक ही एक सुदृढ़ और विकासशील देश की नींव हैं बच्चों के माता-पिता के अलावा शिक्षक ही बच्चों के ज्ञान और

जीवन मूल्यों का मुख्य आधार हैं। किसी भी छात्र और समाज का भविष्य शिक्षकों के हाथ में पुरी तरह सुरक्षित होता है।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली का यदि विश्लेषण किया जाए तो सर्वप्रथम समस्या शिक्षक के सामने यह आती है कि जो बालक स्कूल से टूट चुके हैं या किसी प्रयोजन के चलते विद्यालय आना नहीं चाहते हैं, उन्हें पुनः विद्यालय से जोड़ना और बच्चों का शत्रु प्रतिशत ठहराव। इस हेतु शिक्षा विभाग व उसकी प्रत्येक कड़ी अपना पूर्ण सहयोग दे रही है और इस सहयोग में शिक्षक वर्ग भी हर सम्भव प्रयास कर रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के व्यवसाय का ऐसा ही महत्त्व है जैसे कि ऑपरेशन के लिए किसी डॉक्टर का। शिक्षक ही शिक्षा और शिष्य के उद्देश्य तय करते हैं। इसलिए किसी भी योजना की सफलता और असफलता शिक्षा क्षेत्र के सुत्रधार शिक्षकों के रवैये पर निर्भर करती है।

यदि शिक्षक वर्ग अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करता है तो हमारे सामने उपस्थित चुनौतियों को सरलता से जीत सकते हैं। उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को निम्न कदम उठाने की आवश्यकता है-

1. यदि हमें अपने छात्रों की प्रगति करनी है तो हमें छात्रों के नामांकन और ठहराव बढ़ाने के साथ ही रोचक नावाचारों के माध्यम से विद्यालय परिवेश में बदलाव लाना होगा।
2. शिक्षा को सार्वजनिक करने हेतु सबसे महती आवश्यकता है विद्यार्थियों की

नियमितता और ठहराव। यदि यह सम्भव हो जाता है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की राह में निरन्तर प्रगति संभव है।

3. विद्यालय की हर गतिविधि को परिस्थितिवश कुछ नया जोड़कर छात्रों के अनुकूल बनाया जा सकता है।
4. शनिवारीय बाल सभा को अधिक आकर्षक बनाने हेतु विविध विधाओं में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को आमन्त्रित अतिथियों द्वारा उनकी तरफ से प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार दिलाए जा सकते हैं।
5. चॉक-डस्टर के साथ आई.टी. का कक्षा में उपयोग।
6. पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षा के छात्रों को पारिवारिक और स्नेहिल व्यवहार देकर विद्यालय के प्रति बच्चों का जुड़ाव बढ़ा सकते हैं।
7. शिक्षक और शिक्षा का मूल उद्देश्य स्वयं व दूसरों के हित के प्रति संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच विकसित करना है। इस उद्देश्य को सफल करने हेतु शिक्षक वर्ग का समर्पित होना अत्यावश्यक है।
8. सर्वाधिक उपस्थिति वाले छात्र, ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र, खेल में हिस्सा लेने वाले छात्र एवं समस्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र इत्यादि को एस.एम.सी./ एस.डी.एम.सी./ बालसभा या राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर पुरस्कार प्रदान करना।
9. विद्यालय द्वारा समय-समय पर रोचक अभियान, समय-समय पर उत्तर-पुस्तिकाओं का उपयोग महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाने के लिए किया जा सकता है।

अन्ततः शिक्षक छात्र-छात्राओं के समक्ष मार्गदर्शक होने के साथ ही देश के भाग्य विधाता और भविष्य निर्माता भी है।

अध्यापिका (हिन्दी)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाखरोण,

झौथरी, झुंगरपुर (राज.)

मो. 9166616754

आप जो करते हैं उसका असर

पूरी दुनिया पर होता है

और

जो पूरी दुनिया करती है

उसका असर आप पर

होता है।

बाल सभा

सामुदायिक बाल सभाओं का प्रभावी संचालन

□ अनुकम्पा अरड़ावतिया

‘ज्ञान कर्मेषु कौशलम्’

अर्थात् कर्म क्षेत्र में कुशलता लाना ही ज्ञान है।

पौराणिक काल से आज तक शिक्षा पद्धति में कर्म को प्रधान मानते हुए शामिल किया गया है। गुरुकुल में रहकर गुरु के सान्निध्य में भगवान राम और कृष्ण ने भी गुरु वशिष्ठ व संदीपनी ऋषियों के आश्रम में रहते हुए व कर्म करते हुए अस्त्र-शस्त्र विद्या का अर्जन किया।

शिवाजी महाराज की तो गुरु रामदास जी ने परीक्षा लेते हुए शेरनी का दूध लाने की आज्ञा दे डाली और गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर शिवाजी अपने गुरु की बीमारी दूर करने के लिए शेरनी का दूध लाए और परीक्षा में सफल रहे।

आज की शिक्षा पद्धति NCF 2005 (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नियम 2005) भी यही है। बच्चा अर्जित अनुभव से सीखता हुआ कर्म में कुशलता प्राप्त करे व अपना सर्वांगीण विकास करे। यह सब इन सहशैक्षिक गतिविधियों के द्वारा ही संभव है जिसमें बाल सभा भी समाहित है।

बाल सभा में सभी प्रकार की सहशैक्षिक गतिविधियों को समाहित किया जा सकता है। अतः इसे और प्रभावी बनाए जाने हेतु निम्नानुसार कार्य निर्धारित किए जा सकते हैं-

(1) बाल सभा वार्षिक योजना:-

जिस प्रकार निदेशालय द्वारा बाल सभाओं के आयोजन बाबत वार्षिक पंचांग जारी किया गया, उसी प्रकार विद्यालयों में भी सभी प्रकार की गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए पूरे वर्ष का कार्यक्रम तैयार कर लेना चाहिए। बाल सभा वार्षिक योजना में सभी गतिविधियों को दो गुप में विभाजित कर योजना बनाई जाए-

1. मनोरंजक गतिविधियाँ : नृत्य, गीत, नाटक, एकाभिनय, मूकाभिनय, कविता पाठ।
2. बौद्धिक क्षमता संवर्धन करने वाली गतिविधियाँ : निबंध लेखन, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, प्रेरक प्रसंग, अंत्याक्षरी।

- एक दिन में दो प्रकार की गतिविधियाँ लें। जैसे एक मनोरंजनात्मक व दूसरी बौद्धिक क्षमता संवर्धनात्मक। इससे बच्चों का मनोरंजन भी होगा व बौद्धिक क्षमता संवर्धन भी और बच्चे बोर भी नहीं होंगे।
- बच्चों के गुप बनाते हुए सभी को भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाए गुप प्रभारी बनाकर शून्य कालांश लगाकर प्रभावी तैयारी करवाई जाए।

(2) समय प्रबंधन:- बाल सभा का आयोजन 80 मिनट में संभव नहीं हो सकता। अतः 10 मिनट का समय मध्यावकाश से ले सकते हैं व प्रत्येक कार्यक्रम का समय निश्चित कर आशानुरूप परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक समय लेने वाले गुप या बच्चों के नंबर काटे जाएं जिससे अधिक समय न लिया जाए।

(3) आमंत्रण/निमंत्रण:- बाल सभा को प्रभावी बनाने हेतु हर बाल सभा में विभिन्न अतिथियों को बारी-बारी से आमंत्रित करें ऐसा न हो कि सभी को एक साथ ही आमंत्रित कर लिया गया हो। किसी बाल सभा में अधिकता से अतिथि आएँ और किसी में कोई न हो। अतिथियों में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व भामाशाह लिए जा सकते हैं। अभिभावकों को आमंत्रित करने हेतु बच्चों द्वारा ही निमंत्रण पत्र बनवाकर भेजे जा सकते हैं।

(4) मंच व्यवस्था:- मंच व्यवस्था उत्सवी माहौल जैसी की जाए जिससे जन समुदाय बरबस खिंचा चला आएगा।

(5) बैठक व्यवस्था:- प्रभावी बैठक व्यवस्था आवश्यक है ताकि स्पष्ट हो जाए कि कौन कहाँ बैठेगा व आने वाले महानुभावों को भी बैठने में आसानी रहे। उचित व्यवस्था के लिए तख्तियों पर यथा- मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, गणमान्य नागरिक, अभिभावक, बाल संसद, बालक, बालिकाएँ, स्टाफ सदस्य लिखा जाए व उचित स्थानों पर होर्डिंस की तरह लगा दिया जाए। इससे आने वाले सभी आम व खास को

उचित सम्मान मिलेगा।

(6) बाल संसद की प्रभावी भूमिका:- बाल संसद विद्यालयों में गठित है अतः सभी प्रभारों के मंत्रियों को अपने-अपने कार्यों का दायित्व समझाएं। बच्चे ही बाल सभा की व्यवस्था बनाएं व देखें। मौके पर आई परेशानियों को दूर करने का भी बाल संसद प्रयास करे। इससे व्यवस्थाएँ भी बनी रहेंगी व अभिभावक अपने बच्चों में भावी नेतृत्वकर्ता भी देखेंगे। बच्चों में भी अपनी जिम्मेदारी वहन करने का बोध आएगा व सुयोग्य नागरिक बनने की नींव डलेगी।

(7) स्काउट/गाइड की प्रभावी भूमिका:- अधिकतर विद्यालयों में स्काउट/गाइड गतिविधि संचालित है अतः प्रशिक्षक स्वयं स्काउट/गाइड की वेशभूषा में आए व स्काउट/गाइड छात्र-छात्राओं को भी वेशभूषा में आने के लिए प्रेरित करें और सेवा कार्य करें। इससे विद्यालयों में संचालित गतिविधि का अभिभावकों को ज्ञान होगा व आगामी कार्यक्रमों में बच्चों को सेवा कार्य हेतु भेजने में तत्पर रहेंगे।

(8) पारितोषिक वितरण:- बाल सभा में विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले बच्चों का मनोबल बढ़ाने हेतु पारितोषिक अवश्य दिया जाए इससे सभी बच्चे आगामी कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। पारितोषिक वितरण किसी भामाशाह द्वारा भी किया जा सकता है या अन्य विकास कोष या छात्र कोष से कर सकते हैं।

(9) विद्यालय की उपलब्धियाँ व सम्मान:- विद्यालय की विभिन्न उपलब्धियाँ जैसे बोर्ड कक्षाओं में टॉपर, खेलकूद में अव्वल, वृक्ष मित्र, स्काउट/गाइड राज्यपाल प्रशस्ति पत्र, चार्ट प्रतियोगिता, विज्ञान इंस्पायर अवार्ड व अन्य स्तर पर विजेता विद्यार्थियों को बाल सभा में भी सम्मानित किया जाए जिससे लोगों में विद्यालय की प्रतिभाओं के प्रति सम्मान बढ़े।

(10) हाउस (ग्रुप) के अनुसार

जिम्मेदारियाँ सौंपना:- विद्यालय में सभी स्तर के विद्यार्थियों को हाउस में बाँटा हुआ होता है अतः प्रत्येक बाल सभा का जिम्मा किसी एक हाउस या ग्रुप को दिया जाए। उस दिन की सारी व्यवस्थाएँ जैसे टैट, बिजली, पानी, मंच, माइक व्यवस्था यहाँ तक कि उस दिन का भामाशाह भी वही ग्रुप चुने व खर्च का पूरा जिम्मा उठाए जिससे बच्चों को भी आय-व्यय का ज्ञान होगा। इस हेतु ग्रुपों को व्यवस्थाओं हेतु सम्मानित भी किया जाए व उस दिन के भामाशाह को भी सम्मानित किया जाए।

(11) उत्सवों व त्योहारों को मनाया

जाना:- बाल सभा के पूर्व आने वाले उत्सव व त्योहारों को बाल सभा में मनाया जाए जिससे अपनी संस्कृति, रीति-रिवाजों की जानकारी होगी व सामाजिक समरसता भी बनेगी। महापुरुषों की जयंतियाँ व पुण्य तिथि मनाए जाने से महापुरुषों के गुणों को जानेंगे व अपनाएँगे। ऐसे विभाग के आदेश भी हैं।

(12) प्रभावी संबलन:-

उच्चाधिकारियों द्वारा प्रभावी संबलन भी आवश्यक है। जिससे सभी निष्ठापूर्वक कार्य संपादित करेंगे।

(13) विभाग की कल्याणकारी

योजनाओं की जानकारी:- इस मंच से विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रभारियों द्वारा दी जाए। लाभान्वित विद्यार्थियों की सूची भी जारी करें ताकि सभी को विश्वास व ज्ञान हो।

(14) छुपी हुई प्रतिभा को जानने का

अवसर:- इन बाल सभाओं के द्वारा बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को जानने का मौका मिलेगा। जिससे शिक्षकों को उनकी योग्यतानुसार प्रतिभाओं को निखारने का अवसर मिलेगा। बच्चा किस क्षेत्र में अपना भविष्य निर्माण कर सकता है इसकी जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों की क्षमताओं को जानते हुए उनकी शैक्षिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक, मानसिक, रचनात्मक, सृजनात्मक कौशल क्षमता को बढ़ा पाएँगे।

अतः सामुदायिक बाल सभा व आनंददायी शनिवार को और आनंददायी बनाएँ।

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खानपुर,
मेहराना, झुंझुनू (राज.)

मो: 9799682560

पुस्तक-मित्र

पुस्तकालय की महत्ता व प्रबन्धन

□ डॉ. वंदिता माथुर

पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है। पुस्तकालय सेवा शैक्षिक कार्यक्रम से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। इसको शैक्षिक कार्यक्रम का एक अंग मानना उपयुक्त होगा। पुस्तकालय को विद्यालय के एक सहायक अंग के रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। वरन् इसको एक अनिवार्य सेवा के रूप में स्वीकार किया जाए। यह अपने उच्चतम महत्त्व को तभी प्राप्त कर सकता है, जब यह छात्रों को शिक्षा देने के लिए मुख्य साधन के रूप में कार्य करता है। इसीलिए पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा गया है। इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि जब पुस्तकालय विद्यालय के प्रत्येक अंग के लिए पुस्तकों तथा अन्य सामग्री को प्रदान करे तभी पुस्तकालय वास्तविक सेवा को पूर्ण कर सकता है। पुस्तकालय वह स्थान है जिसका बालकों को शिक्षित करने के लिए अनिवार्य रूप से सहारा लेना चाहिए। पुस्तकों को पढ़ लेना ही शिक्षा का मर्म नहीं है, वरन् यह एक क्रिया है जो उत्तम रूप में शिक्षित होने के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध होती है। इसलिए पुस्तकालय को शिक्षा की एक अनिवार्य सेवा के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए।

विद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य:-

विद्यालय पुस्तकालय के निम्नलिखित उद्देश्य माने जाते हैं:-

1. बालकों में पढ़ने एवं स्वाध्ययन की आदतों का निर्माण करना।
2. बालकों को अपने विद्यालय अध्ययन की पूर्ति हेतु पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का उपयोग करने के लिए तैयार करना।
3. बालकों में विभिन्न रुचियों का विकास करना तथा उनमें बौद्धिक कार्य करने का साहस उत्पन्न करना।
4. बालकों में साधन सम्पन्नता, जिज्ञासा-प्रवृत्ति को प्रोत्साहित एवं वैयक्तिक खोज करने के गुणों का विकास करना।

5. बालकों में शब्दकोश, संदर्भ पुस्तकों आदि का उचित प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना तथा उनके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना।
6. बालकों में सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करना तथा उनको अपने नागरिक दायित्वों को समझने के योग्य बनाना।
7. अध्यापकों के विषय ज्ञान व सामान्य ज्ञान की पूर्ति व वृद्धि करना तथा उनको नवीनतम शिक्षण-विधियों की सूचना-प्राप्ति का साधन प्रदान करना।

कुछ पुस्तकों के संग्रहमात्र को ही पुस्तकालय का नाम नहीं दिया जा सकता है। बालकों को लाभ पहुँचाने तथा शैक्षिक कार्यक्रम को रोचक एवं बोधगम्य बनाने के लिए पुस्तकालय की उचित व्यवस्था करना आवश्यक है। प्रधानाध्यापक का इस सम्बन्ध में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण दायित्व है। उन्हें इसकी समुचित व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त स्थान एवं साज-सज्जा, उचित वातावरण, योग्य एवं प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, उपयोगी पुस्तकों एवं अन्य अध्ययन सामग्री का संकलन तथा उसका अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए बालकों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य करना होगा। इन सब बातों का विस्तृत विवेचन नीचे दिया जा रहा है-

पुस्तकालय-कक्ष एवं साज-

सज्जा- एक उत्तम पुस्तकालय का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व यह है कि उसके पास आवश्यकतानुसार पर्याप्त स्थान हो। जिस समय विद्यालय-भवन का निर्माण किया जा रहा हो, उस समय पुस्तकालय के लिए सबसे उपयुक्त स्थान प्राप्त किया जा सकता है। यदि उस समय पुस्तकालय का ध्यान न किया गया हो, तो इसको ऐसे कक्षा-कक्ष में व्यवस्थित किया जाए जहाँ उसके अधिक विस्तार के लिए स्थान पर्याप्त होने में कठिनाई न हो। पुस्तकालय जहाँ तक संभव हो सके, केन्द्र में स्थित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके चारों ओर का

वातावरण शान्त होना चाहिए, अर्थात् पुस्तकालय ऐसी जगह स्थापित किया जाए जहाँ कम से कम शोरगुल हो एवं अन्य बाधाएँ उपस्थित न हों। पुस्तकालय कक्ष के साथ ही एक अध्ययन कक्ष हो जिसका एक दरवाजा पुस्तकालय कक्ष में जाने के लिए हो। इसके अतिरिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष का पृथक कमरा भी होना चाहिए।

पुस्तकालय कक्ष तथा सहायक कक्षों में प्राकृतिक रोशनी आने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कृत्रिम प्रकाश की भी समुचित रूप से व्यवस्था की जाए। इन कक्षों में दीवारों की अलमारियों की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की जानी चाहिए। इन कक्षों के फर्श ध्वनिरोधक हों तो अच्छा है। इन बातों के अतिरिक्त पुस्तकालय को विद्यालय में सबसे आकर्षक बनाया जाना चाहिए। इसके लिए पुस्तकालय को ऐसे ढंग से सजाया जाए कि इसकी सुन्दरता व स्वच्छता बालकों को आमंत्रित करे। इसके सजाने में बालकों का सहयोग लेना चाहिए। यदि उनके सहयोग को प्राप्त किया गया तो उनमें स्वतः ही यह भावना उत्पन्न हो सकेगी कि यह हमारा पुस्तकालय है।

एक उत्तम पुस्तकालय में पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि के अतिरिक्त निम्नलिखित साज-सज्जा का होना आवश्यक है-

1. पढ़ने के लिए मेजें इनका आकार 3×5 होना चाहिए। इनकी ऊँचाई का निर्धारण उन बालकों के आकार के अनुसार होना चाहिए जो इनका उपयोग करेंगे।
2. कुर्सियाँ- इनकी ऊँचाई मेजों की ऊँचाई के अनुपात में हो। जहाँ तक सम्भव हो सके, ये हल्की हों।
3. मैगजीन, समाचार पत्र और एटलस स्टैंड।
4. पुस्तकालय की मेज।
5. कार्ड-तालिका बॉक्स।
6. काउन्टर।
7. घड़ी।
8. सूचना पट्ट।
9. पुस्तकों के लिए अलमारियाँ।

अध्ययन सामग्री का चयन

अध्ययन-सामग्री की उपयुक्तता पर अधिकांशतः पुस्तकालय का महत्त्व निर्भर है। इसका चयन करते समय विद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। एक

उत्तम पुस्तकालय विद्यालय के प्रत्येक विभाग, विषय, क्रिया एवं बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

पुस्तकालय के महत्त्व को उच्च बनाने तथा इन सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पुस्तकालय में उपयुक्त अध्ययन-सामग्री होना आवश्यक है। प्रश्न उठता है कि किस अध्ययन-सामग्री को उपयुक्त कहा जा सकता है? वस्तुतः इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है जिसके अनुसार उसे चुन लिया जाए परन्तु निम्नांकित कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, जिनको ध्यान में रखकर उपयुक्त अध्ययन सामग्री का चयन किया जा सकता है-

1. अध्ययन सामग्री का चयन करते समय बालकों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखकर पुस्तकालय के लिए विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, कहानी-संग्रह, विभिन्न कुशलताओं से सम्बन्धित विश्व-साहित्य की सर्वोत्तम पुस्तकें, बालकों में निरीक्षणात्मक आदतों, मानवीय गुण, नागरिक एवं सामाजिक आदर्श आदि विकसित करने वाली पुस्तकें चयन की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अध्ययन सामग्री के चयन में बालकों की आयु का भी ध्यान रखा जाए अर्थात् उन पुस्तकों का भी चयन किया जाए जो विभिन्न आयु के बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। विकास के प्रत्येक स्तर पर बालक की कुछ अपनी विशेषताएँ होती हैं। उन विशेषताओं को ध्यान में रखकर अध्ययन सामग्री का चयन किया जाए।
2. अध्ययन सामग्री के चयन में शिक्षकों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। अतः उनके दृष्टिकोण के अनुसार भी पुस्तकों का चयन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उनके विषयों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए।
3. पुस्तकालयाध्यक्ष तथा विद्यालय अधिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकालय प्रयोग करने के लिए है, न कि प्रदर्शन के लिए। अतः उन्हें पुस्तकों की संख्या पर बल न देकर उनके गुणों पर बल देना चाहिए।

4. पुस्तकों का चयन करते समय निम्न बातों पर भी ध्यान देना परमावश्यक है-

- i. पुस्तकों का बाह्य स्वरूप
 - ii. जिल्द- इस सम्बन्ध में जिल्द की सुदृढ़ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
 - iii. कागज की किस्म।
 - iv. छपाई की स्पष्टता- इस सम्बन्ध में बालकों की आयु को ध्यान में रखा जाए। छोटे बालकों के लिए मोटे छापे की तथा युवकों के लिए उससे कुछ मोटे छापे की पुस्तकें चयन की जानी चाहिए।
 - v. भाषा, शैली, विषय- प्रतिपादन एवं उसकी निरपेक्षता आदि।
 - vi. पुस्तकों के लेखक तथा उनका अनुभव एवं प्रसिद्धि।
5. विद्यालय-अधिकारियों के पास पुस्तकों को खरीदने के लिए छोटी-सी धनराशि होती है। अतः उन्हें इसी धनराशि से अधिक उत्तम विभिन्न पुस्तक-विक्रेताओं से मूल्य आदि के विषय में खरीदने से पहले सूचनाएँ प्राप्त करनी चाहिए।

पुस्तकों के चयन का कार्यभार किसी एक व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए, वरन् उनके लिए लोकतंत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया जाए। पुस्तकालयाध्यक्ष को इस कार्य में सहायता देने के लिए एक पुस्तकालय समिति का निर्माण किया जाना चाहिए। जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष के अतिरिक्त शिक्षकों तथा बालकों-दोनों के प्रतिनिधि हों। इस समिति की सहायता से बालकों की रुचियों एवं आवश्यकताओं का पता लग सकेगा। इससे एक और लाभ यह होगा कि उपलब्ध धन सभी विषयों में उनकी आवश्यकतानुसार बाँट सकेगा।

समाचार-पत्र, पत्रिकाओं आदि का चयन:- प्रत्येक पुस्तकालय में बालकों की रुचियों एवं आयु के अनुसार पत्र-पत्रिकाओं का चयन किया जाना चाहिए। इसमें से कुछ मनोरंजन प्रदान करने वाली कुछ विषयों से सम्बन्धित होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में एक या अधिक समाचार-पत्र अवश्य मँगवाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त स्थानीय समाचार-पत्रों को पुस्तकालय हेतु मँगवाया जाए। शिक्षकों के दृष्टिकोण से विभिन्न विषयों से सम्बन्धित शिक्षण-विधियों का विवेचन किया गया हो ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए।

पुस्तकालयाध्यक्ष एवं उसके कार्य:-

जिस प्रकार शिक्षक वर्ग अधिकांशतः विद्यालय को बनाता है उसी प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय को बनाता है। जैसा पुस्तकालयाध्यक्ष होगा, वैसा ही पुस्तकालय होगा। यदि हमारे पास उत्तम पुस्तकों का संकलन, पुस्तकालय एवं अध्ययन-कक्ष अपनी समस्त सामग्री के साथ उपलब्ध है परन्तु इनको कुशलतापूर्वक संचालित करने वाला पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं है तो उपयुक्त सामग्री बहुत ही कम लाभ प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। अतः प्रत्येक विद्यालय के लिए प्रशिक्षित एवं योग्य पुस्तकालयाध्यक्ष की आवश्यकता है। इसकी नियुक्ति पूर्ण समय के लिए की जानी चाहिए। बहुधा हमारे विद्यालयों में या तो थोड़े समय के लिए एक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त करके या किसी शिक्षक के अध्यापन-कार्य के लिए कुछ घण्टे कम करके पुस्तकालय का कार्य सौंप दिया जाता है परन्तु ऐसी व्यवस्था संतोषजनक नहीं होती, क्योंकि इस व्यवस्था के द्वारा पुस्तकालय का सदुपयोग नहीं हो पाता है और पुस्तकालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाता है। पुस्तकालय की सफलता एक कुशल सेवा पर ही निर्भर है। यह कुशल सेवा तभी प्राप्त की जा सकती है जब एक योग्य तथा प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष को पूर्ण समय के लिए नियुक्त किया जाए।

पुस्तकालयाध्यक्ष को वेतन, सेवा-दशाओं आदि बातों में शिक्षक के समान रखा जाना चाहिए क्योंकि उसका कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि शिक्षक का। उनमें शिक्षक के समान ही कुछ गुणों की अपेक्षा की जाती है। उदाहरणार्थ- उत्साह, चातुर्य, समझदारी, सहृदयता, उपगम्यता सामान्य मिलनसारी, मनःशान्ति या संतुलन आदि। उसमें इन गुणों का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह एक शैक्षिक संस्था में व्यावसायिक एवं प्रशासकीय दोनों प्रकार के कार्यों को पूर्ण करता है। इसके साथ ही वह विद्यालय के प्रत्येक भाग की सेवा भी करता है तथा बालकों एवं बालिकाओं की सहायतार्थ उनकी रुचि के प्रत्येक क्षेत्र पर बातचीत करता है। उसके निम्नलिखित कार्य महत्वपूर्ण हैं-

1. पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि का वर्गीकरण करना तथा उनका लेखा रखना।

2. उत्तम पुस्तकों की बालक तथा शिक्षकों को जानकारी कराने के लिए उनका विभिन्न ढंगों से प्रचार करना।
3. बालकों तथा शिक्षकों को पढ़ने के लिए पुस्तकें देना और उनको लेखाबद्ध करना।
4. विभिन्न स्तरों के बालकों के लिए उत्तम पुस्तकों की सूची तैयार करना तथा उनके पास तक पहुँचाना।
5. पुस्तकालय में आई हुई नवीन पुस्तकों के (Title Page) मुखपृष्ठों तथा विभिन्न पुस्तकों के पुनर्निरीक्षणों को सूचनापट्ट पर लगाना।
6. बालकों को पुस्तकों के विषय में सलाह देना। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत या सामूहिक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उनके विषय में बालकों को बताना।
7. पुस्तकालय में सुव्यवस्था रखना।

पुस्तकालय के अधिकाधिक उपयोग

को प्रोत्साहन:- बहुधा कहा जाता है कि 'पुस्तकालय एक विश्वविद्यालय' है। परन्तु यह कथन पूर्णतया सत्य नहीं है। इसमें केवल आंशिक सत्यता है। यदि हमारे पास सुव्यवस्थित पुस्तकालय-कक्ष, मूल्यवान साज-सज्जा, उत्तम पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएँ तथा कुशल पुस्तकालयाध्यक्ष आदि हैं, परन्तु यदि हम इनका उपयोग न करें तो वे न्यूनतम महत्त्व की वस्तुएँ होंगी। बहुधा देखा जाता है कि हमारे बालकों का अधिकांश भाग पुस्तकालय का प्रयोग कभी-कभी करता है या बिल्कुल भी नहीं करता है। पुस्तकालयों की स्थापना केवल देखने के लिए नहीं की जाती है, वरन उनका उपयोग करने के लिए की जाती है। यदि यह कहा जाय कि 'प्रयोग किया जाने वाला पुस्तकालय एक विश्वविद्यालय है तो अधिक उत्तम होगा। पुस्तकालय के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष एवं विद्यालय अधिकारियों को निम्नलिखित साधनों को अपनाना चाहिए-

1. पुस्तकालय दिवस मनाया जाए।
2. सूचना पट्ट पर पुस्तकों के मुख-पत्र, पुनर्निरीक्षण, अध्ययन-सामग्री की सूची एवं अन्य रोचक सामग्री प्रदर्शित की जाए।
3. पुस्तकों की विषयानुसार प्रदर्शनी लगानी चाहिए।

4. अलमारियों पर उनकी विषय-सामग्री की सूची लगानी चाहिए।
5. विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरणों पर पुस्तकों की सूची तैयार करके उनके प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
6. पुस्तकालयाध्यक्ष प्रत्येक पढ़ने वाले में व्यक्तिगत रुचि रखें। वह उनके साथ सद्व्यवहार करें तथा उनकी कठिनाइयों को जानने का प्रयत्न करें।
7. विभिन्न पुस्तकों के विषय में संक्षेप में बताकर पुस्तकालय के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
8. बालकों की पुस्तकालय समिति बनाई जाए जिसका प्रमुख कार्य बालकों में पुस्तकालय के प्रति रुचि एवं उसके प्रयोग के लिए प्रचार करना होगा।
9. शिक्षकों की भी एक पुस्तकालय समिति बनाई जाए जो पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकों के चयन, पुस्तकालय के प्रशासन एवं उसके अधिकाधिक प्रयोग के लिए सुझाव देने में सहायता देगी।
10. कक्षा-पुस्तकालय स्थापित किए जाएं। पुस्तकालय कक्षाध्यापक के अधीन रहेंगे। इनमें समस्त विषयों की बालकों के स्तर के अनुसार पुस्तकें रखी जानी चाहिए। इन पुस्तकालयों के द्वारा बालकों में पढ़ने की आदत का निर्माण किया जा सकता है। यह पुस्तकालय केन्द्रीय पुस्तकालय का अंग होगा। इसके द्वारा बालकों में पुस्तकों के उचित प्रयोग एवं उनके प्रति प्रेम रखने व स्वाध्ययन की भावना का विकास किया जा सकता है।
11. पुस्तकालय के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने में विषय पुस्तकालय का भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। इसके द्वारा बालकों में विशेष रुचियों का विकास किया जा सकता है तथा उनमें पढ़ने की आदत की नींव डालने में बहुत सहायता दी जा सकती है। विषय पुस्तकालय में विषय से सम्बन्धित पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ होंगी। इनके द्वारा शिक्षक तथा बालकों के मध्य अधिकाधिक सम्पर्क स्थापित होने के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

विभागाध्यक्ष पुस्तकालय विभाग
राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर
(राज.)

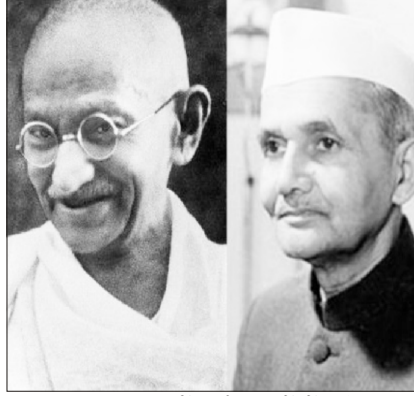
जयन्ती विशेष

मानवता के महारक्षक गाँधी व शास्त्री

□ सुभाष चन्द्र कस्वाँ

वह देश और धरती वाकई भाग्यशाली और खुशमिजाज है जिसने एक युग में दो महानायकों को जन्म दिया। गाँधी और शास्त्री एक युग का नाम है जिनके विचार एवं कार्य दीप स्तंभ बन भटके हुए को राह दिखाने का काम करेंगे। दोनों ही स्वभाव से संत थे लेकिन विचारों में क्रांतिकारी। दोनों के विचारों में बहुत सी समानताएं थी। गाँधी व शास्त्री बच्चों से बेहद लगाव रखते थे। गाँधीजी बच्चों को दण्ड देने में विश्वास नहीं रखते थे। पढ़ाई में तो बच्चों को दण्ड देने के सख्त विरोधी थे यदि बच्चा शैतानी करता है तो उसे समझाया जा सकता है। उसे डाँटने-फटकारने की नौबत भी नहीं आनी चाहिए। एक बार दक्षिण अफ्रीका के टॉल्सटॉय आश्रम में एक उदुण्डी लड़का जब गाँधीजी के बार-बार कहने पर भी नहीं माना तब गाँधीजी ने गुस्से से उसकी बांह पर रूल (डंडा) दे मारा। यह तो गाँधीजी से हो गया। बाद में गाँधीजी के हाथ काँपने लगे। गाँधीजी की यह हालत उस लड़के से देखी नहीं गई तथा वह रो पड़ा और माफी माँग ली। वह लड़का डंडे की चोट से नहीं रोया बल्कि गाँधीजी की हालत देखकर रोया था। गाँधीजी को उस बालक को पीटने का पछतावा ताउम्र रहा। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बनें तब प्रधानमंत्री निवास में आसपास के बच्चे पेड़ों पर चढ़कर खेलने लग जाते, शास्त्रीजी आते-जाते उन्हें खेलते हुए देखते तो प्रसन्न हो जाते। कभी-कभी वे दोपहर की नींद में भी खलल डालते परन्तु शास्त्रीजी उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुँचाना चाहते थे। जब बागवान को इस बात का आभास हुआ तब एक रोज उसने बच्चों को वहाँ से भगा दिया तथा फिर वहाँ न आने की नसीहत भी दे डाली। शास्त्रीजी को दोपहर में जब उनका शोर सुनना बंद हो गया तब उन्हें तनिक शंका हुई। उन्होंने बागवान से बच्चों के अब न जाने का कारण पूछा। बागवान ने जब वस्तुस्थिति से अवगत करवाया तब उन्हें बड़ा दुख हुआ तथा बागवान से उन बच्चों को पुनः दोपहर में वहाँ खेलने के लिए बुलाने को कहा।

दोनों ही महानायक स्त्रियों के सम्मान के प्रति हमेशा संवेदनशील व जागरूक रहे।



शास्त्रीजी की नजर में कई मायनों में महिला का स्थान पुरुष से ऊपर था। महिला को त्याग की जीवंत मूर्ति तथा ममता की न शुष्क होने वाली नदी मानते थे। अपनी माँ के प्रति उम्र भर जो सम्मान व कर्तव्य उन्होंने मंत्री रहते दिखाया वह बेमिसाल था।

असहाय, गरीब एवं शोषित व्यक्ति के प्रति दोनों में ही कुछ उनके लिए कर गुजरने की तमन्ना हर समय हिलीरै मारती थी। फिज़ी में अंग्रेज भारतीय लोगों को मजदूर बनाकर ले गए जिनकी हालत वहाँ पर बड़ी दयनीय हो गई। उन्हें 'गिरमिटिया' कहा जाता था। गाँधीजी को जब उनकी दयनीय हालत का पता चला तब अपना प्रतिनिधि वहाँ पर भेजा। तत्पश्चात उन्होंने एन्ड्रयूज को वहाँ की स्थिति जानने के लिए भेजा। गाँधीजी के प्रयत्नों से ही उन गिरमिटियों को वहाँ से मुक्ति मिली। ऐसी ही घटना शास्त्रीजी के साथ भी थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद ताशकंद जाने से पहले शास्त्री जी इलाहाबाद आजकल प्रयागराज से करीब 35 मील दूर एक गाँव जिसे मांडा कहते हैं, गए थे। मांडा एक पिछड़ा हुआ गाँव था जहाँ उस समय एक पानी का गिलास करीब पन्द्रह पैसे में मिलता था। पैसा देकर पानी पीने वालों की परिस्थिति ने उनकी मनःस्थिति को पीड़ा से भर दिया। उन्होंने अपने भाषण में वहाँ के निवासियों को आश्वासन दिया कि ताशकंद से लौटने के पश्चात मांडा के लिए कुछ करेंगे। परन्तु विधाता को यह मंजूर न था और अचानक सोवियत रूस में ही उनकी मृत्यु हो गई।

शास्त्री व गाँधीजी दोनों को ही खादी से प्रेम था। खादी से बने हुए वस्त्र ही वे दोनों पहना करते थे। गाँधीजी व शास्त्री जी दूसरों को कुछ करने के लिए तब ही कहते थे, जब वे खुद उस पर अमल शुरू कर देते। अगर दूसरों को वे अपने जूते खुद साफ करने के लिए कहते थे, तो वे स्वयं भी ऐसा ही करते थे।

शास्त्री व गाँधीजी में स्वावलंबन की भावना कूट-कूट कर भरी थी। शास्त्रीजी पैसे के अभाव में वर्षा ऋतु में नदी पार करते स्कूल जाते समय किसी साथी के मुँह की ओर नाव का किराया देने के लिए नहीं ताकते थे बल्कि उसे तैर कर पार कर जाते। गाँधीजी भी अपने कामों के लिए किसी का इंतजार नहीं किया करते थे। काम चाहे कैसा भी हो खुद उसमें लग जाते। एक बार शास्त्री जी गाँधीजी से मिलने गए। उनका कमीज कमर की जेब वाले हिस्से से फटा हुआ था। शास्त्री जी फटे हुए कमीज के भाग को छुपाने का प्रयत्न कर रहे थे। गाँधीजी की नजर कमीज के फटे हुए भाग पर पड़ी। गाँधीजी ने कहा- 'यह कमीज तो फट गया है। इसे टांका लगा लेते।' शास्त्रीजी ने संकोच में बताया दर्जी के पास गया तो था परन्तु मिला नहीं। गाँधीजी ने कमीज को उतारने व स्वयं उसे टांका लगाने की बात कही। जब सुई-धागा लाने के लिए गाँधीजी उठे तब शास्त्रीजी की आँखों में पानी आ गया। इस प्रकार एक स्वावलंबी ने भूले हुए एक स्वावलंबी के स्वावलंबन को पुनः उसे लौटा दिया।

गाँधीजी व शास्त्रीजी के कार्य एवं विचार महज किताबों एवं लेखों के विषय ही नहीं हैं, इसमें एक संदेश है जो संदेह से परे है जिसमें व्यवहार की मजबूत नींव भी शामिल है। आज की कठिन परिस्थितियों व संकटों से उबरने के लिए गाँधीजी व शास्त्रीजी का कहा व किया सुना जाए तो हमें सीधे, सरल व सटीक उपाय आसपास ही मिल सकते हैं।

स्वतंत्र लेखक
पुत्र श्री हनुमान सिंह कस्वाँ
ग्रा.पो.- हेतमसर (वाया-नूँआ), झुंझुनू
(राज.)-334041
मो: 9460841575

आदेश-परिपत्र : अक्टूबर, 2020

1. राजकीय व्यय में मितव्ययता।
2. चाइल्ड केयर लीव के संबंध में।
3. बाल केंद्रित शिक्षण तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) की समन्वित प्रक्रिया के संचालन हेतु दिशा-निर्देश।

1. राजकीय व्यय में मितव्ययता।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
● क्रमांक: शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25557/2020-21 दिनांक: 04.09.2020 ● समस्त आहरण वितरण अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग ● विषय: राजकीय व्यय में मितव्ययता। ● प्रसंग: वित्त (आय-व्यय अनुभाग) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.9 (1) वित्त-1(1)/आ.व्यय/2020 जयपुर दिनांक 03.09.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के प्रासंगिक परिपत्र द्वारा राज्य के सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग किए जाने एवं राज्य के सभी कार्यकलापों में कुशल प्रबंधन अपनाते हुए मितव्ययता बरती जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

शासन के उक्त परिपत्र की पालना में इस विभाग के अधीनस्थ समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि परिपत्र में दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना तुरन्त प्रभाव से की जानी सुनिश्चित की जावे।

● संलग्न: परिपत्र

● वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

● राजस्थान सरकार वित्त विभाग (आय-व्यय अनुभाग)
● क्रमांक: प. 9 (1) वित्त-1 (i) आ. व्य./2020 जयपुर दिनांक: 03.09.2020 ● परिपत्र ● विषय: राजकीय व्यय में मितव्ययता।

कोविड-19 महामारी की चुनौती से लड़ने हेतु चिकित्सा सुविधाओं के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार किए जाने तथा महामारी से प्रभावित वर्ग को सहायता उपलब्ध कराने हेतु जहाँ एक ओर, अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की महती आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर, देशव्यापी लॉकडाउन के कारण औद्योगिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक गतिविधियाँ एवं सेवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटकों के कार्यकलापों में अत्यधिक शिथिलता आने से राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कमी हुई है।

उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत राज्य के सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाना आवश्यक है। यह तभी संभव है कि जब राज्य के सभी कार्यकलापों में कुशल प्रबंधन अपनाते हुए मितव्ययता बरती जाए।

कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के वित्तीय संसाधनों पर

पड़ने वाले असाधारण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजकीय व्यय के विनियमन हेतु पूर्व में जारी किए गए मितव्ययता परिपत्रों की निरंतरता में निम्नलिखित दिशा-निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किए जाते हैं:-

1. संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर व्यय को सीमित किया जाना-

- i. वर्ष 2020-21 के विभिन्न बजट मदों यथा-कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय, मुद्रण एवं लेखन, प्रकाशन, पुस्तकालय एवं पत्र-पत्रिकाओं पर व्यय हेतु बजट में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष विभागों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय को 70 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा तथा इन मदों में किसी भी स्थिति में पुनर्विनियोजन द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
- ii. वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में POL मद में स्वीकृत प्रावधान के विरुद्ध व्यय को 90 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा।
- iii. राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को देय उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान की नई स्वीकृतियाँ इस वित्तीय वर्ष में जारी किया जाना स्थगित रखा जाएगा।
- iv. समस्त राजकीय कार्यक्रम, भूमि पूजन तथा उद्घाटन समारोह आदि सादगी एवं सम्पूर्ण मितव्ययता बरतते हुए जहाँ तक संभव हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे।
- v. राजकीय भोज के आयोजन पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा।
- vi. उपहार क्रय तथा सत्कार/आतिथ्य व्यय पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा।

2. राजकीय यात्रा

- i. शासकीय कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं को आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्यों की पूर्ति हेतु न्यूनतम रखा जावे तथा यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की जाएं।
- ii. जो अधिकारी हवाई यात्रा के लिए अधिकृत हैं, इकॉनोमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एकजीक्यूटिव/बिजनेस क्लास में यात्रा पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी।
- iii. विमान किराए पर लेने पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में विमान किराए पर लेने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति आवश्यक होगी।
- iv. राजकीय व्यय पर विदेश यात्रा पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

3. क्रय पर प्रतिबंध-

- i. कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने, संक्रमितों के उपचार तथा महामारी से पीड़ितों की सहायता हेतु आवश्यक सामग्री/उपकरणों के क्रय को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की मशीनरी और साज सामान/औजार एवं संयंत्र तथा New Items के क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। योजनान्तर्गत प्रावधित केवल Functional Equipments जो कि योजना के संचालन हेतु

आवश्यक हैं, का क्रय किया जा सकेगा।

ii. वाहनों के क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

4. योजनाओं पर व्यय-

i. जिन कार्यों/योजनाओं हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त हो चुकी है उन योजनाओं/निर्माण/गतिविधियों में राज्य निधि की धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध कराई जाएगी।

ii. वर्तमान विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत सभी विभागों द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की समीक्षा की जाकर राज्य निधि से वित्त पोषित उन्हीं योजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित किया जाए, जो अपरिहार्य प्रतीत होती है। इस हेतु विभाग अपने स्तर पर समीक्षा कर प्रभारी मंत्री महोदय के अनुमोदन उपरान्त प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

iii. ऐसी योजनाएँ जो अपरिहार्य या अत्यावश्यक न हों, उनका क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष में स्थगित रखा जाए।

यह प्रतिबंध चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, पोषण, मिड-डे-मील, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, आपदा राहत, ऊर्जा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा पुलिस से संबंधित योजनाओं पर लागू नहीं होगा।

5. स्वीकृत पदों की समीक्षा एवं रिक्त पदों पर भर्ती-

i. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100 प्रतिशत राज्य निधि से वित्त पोषित कोई भी नया कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी तथा पूर्व में स्वीकृत कार्यालय जो आरम्भ नहीं हुए हैं उन्हें भी इस वित्तीय वर्ष में स्थापित नहीं किया जाएगा।

ii. विभागीय कार्य प्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आदि कारणों से अनेक पद वर्तमान में अप्रासंगिक हो गए हैं उन्हें विभागों द्वारा चिह्नित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

6. प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, उत्सव और प्रदर्शनियाँ-

i. वित्तीय वर्ष 2020-21 में समस्त प्रकार के प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, उत्सव और प्रदर्शनियों का आयोजन, जहाँ तक संभव हो, ऑनलाइन किया जाएगा।

ii. अपरिहार्य/अति आवश्यक परिस्थितियों में सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएँ/प्रशिक्षण/प्रदर्शनियाँ आदि का आयोजन राजकीय संस्थाओं/शासकीय भवनों/राजकीय परिसर में ही किया जाए।

iii. प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय, उत्सव और प्रदर्शनियाँ व्यय मदों में बजट में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष विभागों द्वारा व्यय में कम से कम 50 प्रतिशत की कमी की जाए।

7. परिपत्र की प्रभावशीलता एवं क्षेत्राधिकार-

i. व्यय नियंत्रण हेतु उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की कठोरता से अनुपालना के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रभारी सचिव, विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

ii. उपर्युक्त दिशा-निर्देश राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स,

समस्त विश्वविद्यालयों, अनुदानित संस्थाओं, निकायों एवं राज्य सरकार पर वित्तीय दृष्टि से अथवा आंशिक रूप से निर्भर सभी संस्थाओं पर भी लागू होंगे। इन आदेशों की अनुपालना के लिए स्वायत्तशासी संस्थाओं/राजकीय उपक्रमों, विश्वविद्यालयों आदि के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी/संस्थाप्रधान जिम्मेवार होंगे।

राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में अपरिहार्य कारणों से शिथिलता आवश्यक होने पर संबंधित संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

iii. राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य निर्वाचन आयोग तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग पर यह परिपत्र प्रभावी नहीं होगा।

8. अति आवश्यक प्रकरणों में विभागों से पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रतिबंधों में शिथिलता दिया जा सकेगा।

● निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।

2. चाइल्ड केयर लीव के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

● क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी/34848/2017 दिनांक : 03.09.2020

● निर्देश।

संयुक्त निदेशक, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.5 (56)/शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक 10.08.2020 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार महिला कर्मचारी को विधि मान्य संतान की देखभाल हेतु ही चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की जा सकती है। सरोगेसी से उत्पन्न संतान को समुचित विधिक प्रावधानों के अभाव में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। अतः सरोगेसी से प्राप्त संतान की देखभाल हेतु चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

उक्त मार्गदर्शन वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या 212000317 दिनांक 24.07.2020 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर प्राप्त हुआ है।

● वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

3. बाल केंद्रित शिक्षण तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) की समन्वित प्रक्रिया के संचालन हेतु दिशा-निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

● क्रमांक : शिविरा/प्राशि/SIQE/दिशा-निर्देश/19568/2019/1656 दिनांक : 17.09.2020 ● विषय: बाल केंद्रित शिक्षण तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) की समन्वित प्रक्रिया के संचालन हेतु दिशा-निर्देश।

राज्य में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) की प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes)

के अनुरूप शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से बालकेंद्रित शिक्षण व व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन की प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत बाल केन्द्रित शिक्षण (CCP), गतिविधि आधारित शिक्षण (ABL) तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) के समन्वित क्रियान्वयन द्वारा विद्यार्थियों में रचनात्मक/सृजनात्मक क्षमता तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य अन्तःक्रिया का विकास करना आवश्यक है। विद्यालय का वातावरण ऐसा बनाया जाए जहाँ शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया गतिविधि आधारित हो और संस्थाप्रधान/शिक्षक इसमें मददकर्ता की भूमिका में हो। प्रत्येक बच्चे को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाये जाए तथा उनका सतत् मूल्यांकन करते हुए निरन्तर सुधार हेतु प्रयास किए जाए।

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT) उदयपुर द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम, शिक्षण विधा एवं आंकलन की प्रक्रिया की इस समन्वित प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के साथ-साथ बाल केंद्रित पेडागोजी (CCP), सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) तथा गतिविधि आधारित शिक्षण (ABL) प्रक्रिया को अपनाया गया है। इस प्रक्रिया का क्रियान्वयन निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (RCSCE), जयपुर तथा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT) उदयपुर के माध्यम से किया जा रहा है। इस शिक्षण प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सफल संचालन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं।

1. उद्देश्य :-

- 1.1 बालकेन्द्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना।
- 1.2 बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना।
- 1.3 गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनन्ददायी एवं प्रभावी बनाना।
- 1.4 ज्ञान को स्थायी एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना।
- 1.5 बच्चों में सृजनात्मकता एवं मौलिक चिन्तन का विकास करना।
- 1.6 स्तरानुसार शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य करते हुए शैक्षिक प्रगति को नियमित रूप से दर्ज करना।
- 1.7 बच्चों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाते हुए उन्हें संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान करना।
- 1.8 बालकों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास के साथ-साथ नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना।
- 1.9 शिक्षकों का समुदाय से जुड़ाव के तहत बच्चों की उपलब्धि एवं प्रगति को अभिभावकों के साथ नियमित रूप से साझा करना।

2. कार्यक्रम संचालन हेतु समितियाँ:

कार्यक्रम के संचालन हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया

गया है-

- 2.1 राज्य के शीर्ष निकाय के रूप में नीति निर्धारण के लिए प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है।
- 2.2 गतिविधियों की नियमित क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्यकारी समूह का गठन किया गया है।
- 2.3 शैक्षिक एवं तकनीकी पक्षों से सम्बन्धित निर्णय लेने के लिए राज्य शैक्षिक समूह का गठन किया गया है।
- 2.4 जिला स्तर पर शैक्षिक एवं अकादमिक पक्षों से सम्बन्धित निर्णय लेने के लिए जिला अकादमिक समूह का गठन किया गया है।
- 2.5 जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला कोर ग्रुप का गठन किया गया है।
- 2.6 ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए ब्लॉक कोर ग्रुप का गठन किया गया है।
3. **कार्यक्रम का क्रियान्वयन :**
- 3.1 कार्यक्रम का संचालन एवं शैक्षिक कार्य संयुक्त रूप से निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा किया जाएगा।
- 3.2 कार्यक्रम संचालन के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के माध्यम से किया जाएगा।
- 3.3 कार्यक्रम संचालन हेतु मॉनिटरिंग कार्य संयुक्त रूप से निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर एवं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (आर.एस.सी.ई.आर.टी.), उदयपुर द्वारा किया जाएगा।
- 3.4 समस्त अकादमिक कार्य राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (आर.एस.सी.ई.आर.टी.), उदयपुर द्वारा किया जाएगा।
4. **प्रक्रिया संचालन हेतु दस्तावेज की उपलब्धता :**
- 4.1 पूर्व के वर्षों में अध्यापक योजना डायरी, रचनात्मक एवं योगात्मक आंकलन सूचक अंकन पुस्तिका (चैकलिस्ट), वार्षिक आंकलन अभिलेख पुस्तिका तथा विद्यार्थी वार्षिक आंकलन प्रतिवेदन इत्यादि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध करवाई जाती रही है किन्तु इस वर्ष संस्थाप्रधान/पीईईओ. द्वारा उक्त के प्रारूप शालादर्पण पोर्टल से डाउनलोड कर शिक्षकों को विद्यालय प्रारम्भ होने से एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध करवाएँ जाएँगे। इस हेतु विद्यालय विकास कोष/स्कूल कम्पोजिट ग्रांट से राशि का उपयोग किया जायेगा।
- 4.2 शिक्षक आंकलन प्रक्रिया के दौरान उक्त समस्त आवश्यक दस्तावेजों का संधारण समयानुसार शिक्षकों द्वारा आवश्यक रूप से किया जाना है। सम्बलन के दौरान यदि इन दस्तावेजों का संधारण उचित रूप से नहीं किया हुआ पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध

विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

- 4.3 समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित कक्षा 1 से 5 में शिक्षण-कार्य, मूल्यांकन/आंकलन कार्य एवं अभिलेख का संधारण प्रक्रिया के दिशा-निर्देशानुसार किया जाएगा।

5. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया :

5.1 आधार रेखा मूल्यांकन एवं पदस्थापन की प्रक्रिया:-

किसी कक्षा में नामांकित सभी बच्चों का स्तर शैक्षिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न होता है। स्तर की इसी भिन्नता को आंकलन दूर की सहायता से जानना आवश्यक है। इस आंकलन की प्रक्रिया से बच्चों का अधिगम स्तर एवं कक्षा स्तर का निर्धारण होता है। जिससे प्रत्येक बच्चे के साथ उसके कक्षा एवं अधिगम स्तर के अनुसार कार्य आरम्भ कर सम्बन्धित टर्म/सत्र के अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यथा कक्षा 5 में नामांकित बच्चों का स्तर यदि न्यून पाया जाता है तो उन बच्चों के साथ अतिरिक्त कार्य करते हुए आर.टी.ई. की धारा 24 (1) (घ) के अनुसार शिक्षक न्यून स्तर वाले बच्चों को कक्षा स्तर तक लाएँ एवं आगामी कार्य करवाते हुए स्तर में सुधार करें। यह कार्य प्रत्येक शिक्षक (जो कक्षा 1 से 5 में पढ़ाता है) को करना है जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी व गणित के बुनियादी कौशलों (भाषा में पढ़ना और लिखना तथा गणित में संख्या ज्ञान व संक्रियाओं) को ध्यान में रखते हुए न्यून स्तर वाले बच्चों के साथ स्तर उन्नयन हेतु सतत् रूप से शिक्षण कार्य करते हुए सुधार के प्रयास आवश्यक है।

आधार रेखा मूल्यांकन/पदस्थापन हेतु विद्यालय पुनः खुलने के प्रथम पखवाड़े में बच्चों के साथ पूर्व की कक्षा के कार्यों का दोहरान कार्य करवाने के पश्चात एक व्यापक कार्य पत्रक/प्रश्न-पत्र (प्लेसमेन्ट टूल) द्वारा बच्चों का आंकलन किया जाना है। इस आंकलन के आधार पर बच्चों को दो समूह निर्धारित किए जाने हैं, समूह-1 में वे बच्चे जो कक्षा स्तर के अनुरूप दक्षता रखते हैं और समूह-2 में वे बच्चे जो कक्षा स्तर से न्यून दक्षता वाले हैं। यहाँ शिक्षक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह बालकेन्द्रित शिक्षण करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा समूह-2 के बच्चों के साथ अतिरिक्त कार्य करते हुए समूह-1 में लाने का अधिकतम प्रयास करें।

पूर्व के वर्षों में नवप्रवेशित विद्यार्थियों का आधार रेखा मूल्यांकन किया जाता था जबकि पूर्व प्रवेशित विद्यार्थियों का पूर्व की कक्षा के सतत् आंकलन के आधार पर आंकलन किया जाता रहा है। सत्र 2020-21 में कोविड-19 के प्रभाव के कारण विद्यालयों में विद्यार्थी लम्बे समय से नहीं आने के कारण सीखने-सिखाने की प्रक्रिया बाधित हुई है। अतः ऐसे में Summer Loss के कारण विद्यार्थियों के लर्निंग गैप को ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रारम्भ होने के समय अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का आधार रेखा आंकलन प्रपत्र तैयार करते हुए मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

उक्त आधार रेखा आंकलन प्रपत्र की जाँच कर उसे विद्यार्थी के पोर्टफोलियो में आवश्यक रूप से संधारित किया जाना है। आधार रेखा मूल्यांकन करने के पश्चात शिक्षक द्वारा उनके साथ सतत् रूप से कार्य करते हुए निश्चित समयान्तराल पर पदस्थापन द्वारा बच्चे की स्थिति/स्तर

का आंकलन किया जावे। इसकी जानकारी समय-समय पर अभिभावक को अनिवार्य रूप से दी जावे। इस हेतु आंकलन कार्य पत्रकों को भली भाँति जाँचकर, अशुद्धियों को रेखांकित/गोला करके, त्रुटि सुधार करवाते हुए अभिभावकों के हस्ताक्षर हेतु बच्चे के साथ घर भेजा जाना चाहिए। आगामी कार्यदिवस में बच्चों से प्राप्त कार्य पत्रकों को एकत्र करते हुए पोर्टफोलियो में संधारित करते हुए निर्धारित दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

किसी कक्षा में नामांकित बच्चों का कक्षा स्तर व कक्षा स्तर से न्यून की स्थिति का संधारण अध्यापक द्वारा योजना प्रारूप/डायरी और कक्षावार टर्मवार आंकलन अंकन पुस्तिका (चैकलिस्ट) में विषयवार किया जाना है। इसी प्रकार प्रत्येक योगात्मक आंकलन पश्चात भी पदस्थापन करते हुए संधारित किया जाना है। आधार रेखा मूल्यांकन/पदस्थापन, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योगात्मक मूल्यांकन/आंकलन के पदस्थापन की प्रविष्टियाँ वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका में निर्देशानुसार (प्रथम पृष्ठ पर) संधारित की जानी है।

5.2 एक अकादमिक (शैक्षिक) सत्र के लिए योजना एवं आंकलन की संरचना:- प्रत्येक कक्षा एवं विषय के अधिगम उद्देश्यों को व्यवस्थित करते हुए शिक्षण-सत्र को तीन टर्म में विभाजित किया गया है। प्रत्येक टर्म के लिए आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) के अनुसार शिक्षण योजना का नियोजन करते हुए कक्षा-कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया में योजनानुसार कार्य करवाया जाना है। टर्म के दौरान सतत् रचनात्मक अभ्यास कार्य बच्चों से साप्ताहिक और पाक्षिक कार्य पत्रकों पर करवाया जाए।

कार्य पत्रकों को भली-भाँति जाँच करते हुए अशुद्धियों को रेखांकित/गोला कर शुद्ध करवाया जाए। जाँच किए गए कार्यपत्रक अभिभावकों से साझा करते हुए पोर्टफोलियो फाइल में संधारित किए जाएँ।

किसी एक कक्षा के संदर्भ में सम्पूर्ण सत्र की व्यापक शिक्षण एवं आंकलन की टर्मवार प्रक्रिया/गतिविधियों को चार्ट द्वारा को दर्शाया गया है।

5.3 सतत् शिक्षण आंकलन योजना कार्य:- शिक्षण एवं आंकलन योजना निर्माण (प्रारूप-शिक्षण आंकलन योजना के अनुसार) के समय विद्यार्थियों के समूह/शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखते हुए योजना का नियोजन किया जाना है। योजना निर्माण करते समय संपूर्ण कक्षा, समूह-1 व समूह-2 के लिए पृथक-पृथक शिक्षण की गतिविधियों का उल्लेख प्रारूप में निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से किया जावे। समूह-1 के लिए क्षमता संवर्धन योजना भी स्पष्ट रूप से बनाई जानी है।

5.4 रचनात्मक आंकलन हेतु व्यापक/समग्र कार्यपत्रक/टूल- किसी कौशल/पाठ, सूचक/अवधारणा एवं उप-अवधारणा के शिक्षण पश्चात अपेक्षित उद्देश्यों के सापेक्ष स्थिति आंकलन एवं आगामी योजना हेतु पृष्ठपोषण (Feedback) प्राप्त करने के लिए समग्र उद्देश्यों पर आधारित कार्य पत्रक तैयार किया जाना है।

5.5 योगात्मक आंकलन- पाठ्यक्रमणीय उद्देश्यों में मूल्यांकन के विविध टूल्स एवं उपलब्धि स्तर के परीक्षणों का उपयोग करते हुए

निश्चित अवधि के अन्त में संबंधित अधिगम उद्देश्यों के सापेक्ष उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन को योगात्मक आंकलन के रूप में देखा गया है। योगात्मक आंकलन दर्ज करने हेतु रचनात्मक आंकलन, नोटबुक, पोर्टफोलियो, योगात्मक आंकलन टेस्ट का सामूहिक रूप से आंकलन कर उसके पश्चात् योगात्मक आंकलन चैकलिस्ट में संबंधित अधिगम उद्देश्यों के सापेक्ष आंकलन दर्ज करना है। अतः यह ध्यान रखा जाए कि योगात्मक आंकलन दर्ज करने का आधार मात्र योगात्मक आंकलन टेस्ट ही नहीं माना जाए। निदेशालय स्तर से जारी शिविरा पंचांग में योगात्मक मूल्यांकन की तिथियों का निर्धारण किया गया है।

5.6 कक्षा 5 के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन एवं कक्षा 8 हेतु आयोजित प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा:- इस हेतु आरएससीईआरटी., उदयपुर, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ एवं इस कार्यालय से जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए टर्म विभाजन के अनुरूप शिक्षण कार्य सुनिश्चित किया जाए।

6. शिक्षकों हेतु निर्देश-

- 6.1 प्रथमतः शिक्षक बालक-बालिकाओं का निर्धारित समय पर आधार रेखा मूल्यांकन/पदस्थापन कर योजना प्रारूप, चैकलिस्ट तथा वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका में यथास्थान दर्ज करें।
- 6.2 प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों के कक्षावार एवं विषयवार पदस्थापन के आधार पर अध्यापक योजना डायरी (प्रारूप-शिक्षण आंकलन योजना के अनुसार) में योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करें एवं समय-समय पर आंकलन द्वारा यह सुनिश्चित करें कि बच्चों के स्तर में सुधार हो रहा है। साथ ही कक्षा शिक्षण के दौरान पीयर ग्रुप/व्यक्तिगत शिक्षण को भी सुनिश्चित करें।
- 6.3 शिक्षक द्वारा बच्चों का मूल्यांकन व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यक्षेत्र में किया जाना है। मूल्यांकन के कुछ आयाम समूह में विशेष तौर पर देखे जा सकते हैं, जैसे-समूह भावना, सहयोग लेने एवं देने का कौशल, न्याय एवं समता के प्रति दृष्टिकोण, नेतृत्व का गुण, एक दूसरे के कार्यों का सम्मान और गुणों की प्रशंसा करना इत्यादि।
- 6.4 शिक्षक यह देखें कि जो विषय वस्तु बच्चे को सीखनी थी वो सीखी या नहीं। इस हेतु टर्मवार निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन/आंकलन बच्चे के कक्षा कार्य, गृहकार्य, अभ्यास पत्रक, समूह पत्रक पर किए गए कार्य व गतिविधियों के दौरान किए गए कार्य पत्रकों पर गुणात्मक व सकारात्मक टिप्पणियों से किया जाना है एवं पोर्टफोलियो में संधारित किए जाने हैं।
- 6.5 शिक्षक, क्षमता संवर्धन हेतु आयोजित कार्यक्रमों/प्रशिक्षणों (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) में आवश्यक रूप से भाग लेंगे। शिक्षक अपने विषय से संबंधित दस्तावेज (अध्यापक योजना डायरी, पाठ्यक्रम, चैकलिस्ट, वार्षिक अभिलेख पंजिका, पोर्टफोलियो आदि) प्रशिक्षण के दौरान साथ रखेंगे। साथ ही

शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया संबंधी समस्या को अपनी अनुभव डायरी अथवा नोटबुक में दर्ज करें और संस्थाप्रधान द्वारा अग्रेषित करवाते हुए पीईईओ. विद्यालय के संस्थाप्रधान एवं दक्ष प्रशिक्षक के माध्यम से उच्च स्तर पर भिजवाएँ। क्षमता संवर्धन हेतु आयोजित कार्यक्रमों में शिक्षकों को शिक्षण कार्य में आ रही कठिनाइयों एवं चुनौतियों के निराकरण हेतु साथी शिक्षकों व दक्ष प्रशिक्षक से साझा करें। क्षमता संवर्धन हेतु आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के पश्चात् अपना प्रतिवेदन निश्चित रूप से संस्थाप्रधान को बैठक के आगामी दिवस में प्रस्तुत करें।

- 6.6 शिक्षक द्वारा योगात्मक मूल्यांकन (समेकित) पूर्ण करने के लिए प्रत्येक टर्म के दौरान सतत् रूप से रचनात्मक आंकलन की चैक लिस्ट में निर्धारित सूचकों के सापेक्ष उपलब्धि अनुसार ग्रेड दर्ज किया जाना है (रचनात्मक आंकलन- कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया के दौरान सतत् रूप से किया जाने वाला कार्य है)। विद्यार्थी की प्रगति निर्धारित प्रपत्रों में संधारित की जानी है।
- 6.7 बच्चों के रचनात्मक/योगात्मक मूल्यांकन/आंकलन के अंतर्गत निम्नांकित दस्तावेजों के आधार पर ग्रेड का निर्धारण करना है (1) अध्यापक योजना प्रारूप/डायरी की समीक्षा और स्व-अनुभव, (2) कक्षा कार्य, (3) कार्य पत्रकों पर की गई टिप्पणी, (4) गृहकार्य, (5) पोर्टफोलियो, (6) शिक्षक संवाद, (7) अभिभावक संवाद, (8) पेपर-पेंसिल टेस्ट
- 6.8 शैक्षिक सत्र के कक्षावार व विषयवार पाठ्यक्रम को तीन टर्म के आधार पर विभाजित किया गया है। जिसके अनुसार ही शिक्षक शिक्षण योजना एवं आंकलन को नियोजित करें।
- 6.9 शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों के सुलेख, वर्तनी एवं उच्चारण के सुधार हेतु विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए नियमित रूप से जाँच करें।
- 6.10 सत्रारंभ से बच्चों के साथ कक्षा में स्तरानुसार ऐसी गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ जो समग्र विकास को सुनिश्चित करती हों। प्रत्येक विद्यालय में नियमित रूप से ऐसी गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जावे। जिसमें सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जावे।
- 6.10.1 कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के सृजनात्मक कौशल को विकसित करने वाली गतिविधियों को आवश्यक रूप से करवाया जाएँ यथा : किसी घटना या दृश्य से संबंधित चित्र बनाना, शब्दों से कहानी बनाना, चित्र से कहानी बनाना इत्यादि।
- 6.10.2 भाषा कौशल (Language Skill): इसके अंतर्गत बच्चों को विभिन्न भाषाओं की शब्दावली, शब्दकोष, लेखन से संबंधित कार्य करवाए जाने हैं तथा दैनिक समाचार पत्र वाचन प्रार्थना सभा में करवाया जाना चाहिए जिससे बच्चों में भाषा कौशल विकसित हो सके।
- 6.10.3 इस प्रकार की गतिविधियों के कार्यपत्रक भी पोर्टफोलियो में संधारित किए जाएँ। इनमें से सर्वश्रेष्ठ का प्रदर्शन विद्यालय सूचना

पट्ट या अन्य निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से किया जाए। विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रवृत्ति (Reading Habits) विकसित करने के लिए पुस्तकालय, भाषा कौशल के लिए Vocabulary/शब्दावली, Dictionary/शब्दकोष इत्यादि, अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने हेतु बालसभा व प्रभावी प्रार्थना सभा तथा सृजनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रभावी शिक्षण के साथ-साथ सृजनात्मक क्षमता विकसित करने हेतु विशेष कार्य करवाएं।

7. संस्थाप्रधान की भूमिका :

- 7.1 संस्थाप्रधान कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पीयर ग्रुप/व्यक्तिगत विषय शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- 7.2 संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षकों द्वारा आधार रेखा/पदस्थापन का निर्धारण कर टर्मवार पाठ्यक्रम विभाजन के अनुसार अध्यापक योजना डायरी में शिक्षण आंकलन योजना तैयार कर शिक्षण कार्य (कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया) प्रारंभ कर दिया है तथा सतत् आंकलन करते हुए चैकलिस्ट का संधारण कर रहे हैं।
- 7.3 संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक शिक्षक के द्वारा कक्षा शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों के सुलेख, वर्तनी व उच्चारण सुधार पर भी गंभीरता से कार्य किया जा रहा है तथा बच्चों के गृहकार्य की जाँच तथा सुधारात्मक कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है।
- 7.4 विद्यार्थियों के लिए यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय में विद्यार्थियों के उत्कृष्ट कार्य को प्रदर्शित करने हेतु स्थान निर्धारित कर दिया है।
- 7.5 संस्थाप्रधान शिक्षकों के कार्यव्यवहार एवं शिक्षण की समीक्षा कर गुणात्मक सुधार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करें।
- 7.6 संस्थाप्रधान शिक्षकों द्वारा क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों/प्रशिक्षणों में भाग लेने के उपरान्त उनसे प्रतिवेदन प्राप्त कर संधारित करना सुनिश्चित करें।

संस्थाप्रधान बिन्दु संख्या 7.1 से 7.6 के बिन्दुओं के अनुसार अवलोकन करते हुए पाक्षिक लिखित प्रतिवेदन दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति पीईईओ./सीबीईईओ. को प्रेषित करें तथा द्वितीय प्रति विद्यालय में संधारित करेंगे।

8. पीईईओ. की भूमिका :

- 8.1 प्रत्येक पंचायत के पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ.) अपने अधीन आने वाले समस्त विद्यालयों का अवलोकन करते समय कक्षा-कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया का भी अवलोकन करें और शिक्षकों एवं संस्थाप्रधान को संबलन प्रदान करें।
- 8.2 पीईईओ. अपने अधीनस्थ विद्यालयों के संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों के कार्य-व्यवहार एवं शिक्षण की समीक्षा कर गुणात्मक सुधार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करें।
- 8.3 अवलोकन के दौरान यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में भित्ति पत्रिका प्रदर्शित की जा रही है।

8.4 साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को पोर्टफोलियो नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है।

8.5 शिक्षकों के क्षमता संवर्धन हेतु आयोजित होने वाली वी.सी., क्लस्टर कार्यशाला, ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण में परिक्षेत्र के संबंधित अध्यापकों/विषयाध्यापकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए वी.सी./कार्यशाला/ प्रशिक्षण उपरान्त प्रतिवेदन प्राप्त कर संधारित करना सुनिश्चित करें।

9. सीसीई. हेतु विद्यालय में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री:

9.1 अध्यापक योजना प्रारूप/डायरी-

- 9.1.1 सत्र में एक शिक्षक के लिए एक अध्यापक योजना डायरी के संधारण का प्रावधान रखा गया है।
- 9.1.2 सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सुगम एवं गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए योजना की आवश्यकता होती है। अतः योजना में बच्चों के समूहों/उपसमूहों एवं व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण, समग्रता के साथ शिक्षण गतिविधियों एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री आदि का उल्लेख किया जाएगा।
- 9.1.3 शिक्षण अधिगम के सापेक्ष सीखने की प्रगति को टर्म के दौरान आंकलन सूचकों के सापेक्ष दर्ज करना अनिवार्य है। यह सतत् आंकलन ही बच्चों का रचनात्मक आंकलन होगा।
- 9.1.4 अध्यापक योजना डायरी में प्रस्तावित गतिविधियाँ, आंकलन योजना समीक्षा एवं अनुभव से प्राप्त परिणामों को सृजनात्मक आंकलन के रूप में पृथक से पोर्टल पर उपलब्ध विषयवार टर्मवार 'आंकलन सूचक अंकन पुस्तिका' (चैकलिस्ट) में दर्ज किया जाएगा।
- 9.1.5 अध्यापक योजना प्रारूप/डायरी में उल्लिखित समूह-1 से तात्पर्य 'कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु आवश्यक योग्यता/दक्षता से है' जबकि समूह-2 से तात्पर्य अपेक्षित स्तर से न्यून होना है। तदनुसार ही शिक्षण आंकलन योजना का निर्माण एवं संधारण करते हुए तदनुसार कार्य किया जाना है। साथ ही समूह-1 के लिए क्षमता संवर्धन की योजना का निर्माण कर कार्य किया जाना है।
- 9.1.6 प्रत्येक टर्म के दौरान शिक्षण हेतु प्रत्येक माह में दो योजनाएँ तैयार की जानी हैं जिनकी अवधि 01 से 15 व 16 से माह के अन्तिम दिवस (28/30/31) तक होगी।

9.2 विषयवार, कक्षावार टर्मवार पाठ्यक्रम विभाजन पुस्तिका :

- 9.2.1 यह पुस्तिका पाठ्यक्रम, सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) एवं पाठ्यपुस्तकों पर आधारित है, जिसमें विषयवार, कक्षा 1 से 5 का पाठ्यक्रम विभाजन कक्षावार एवं टर्मवार किया गया है।
- 9.2.2 इसमें टर्मवार पाठ्यक्रमीय उद्देश्यों को विभाजित किया गया है ताकि निर्धारित समयावधि में समुचित अधिगम गतिविधियों का आयोजन किया जा सके।

9.2.3 इस पुस्तिका में शिक्षकों के कार्यों को सरल एवं समयबद्ध करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।

9.2.4 प्राथमिक स्तर के विषय की अवधारणाओं/दक्षताओं/कौशलों को अधिगम क्षेत्रवार, कक्षावार एवं टर्मवार संगठित तथा सुव्यवस्थित किया गया है। यह पुस्तिका बालक के उत्तरोत्तर शैक्षिक विकास हेतु शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले शिक्षण नियोजन (पाक्षिक योजना) में मदद के लिए तैयार की गई है।

9.3 विषयवार, टर्मवार 'आंकलन सूचक' अंकन पुस्तिका (चैकलिस्ट):

9.3.1 सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु इस पुस्तिका में विद्यार्थियों की अधिगम क्षेत्रों के सापेक्ष रचनात्मक (कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया के दौरान) आंकलन एवं टर्मवार योगात्मक आंकलन दर्ज किया जाना है।

9.3.2 इस पुस्तिका में कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया के दौरान ही अध्ययन करवाए गए अधिगम क्षेत्रों के सापेक्ष सतत् दर्ज किया जाना है।

9.3.3 यह पुस्तिका शिक्षक द्वारा वर्ष पर्यन्त विद्यार्थियों के साथ किए गए कार्यों की प्रगति का आईना है।

9.3.4 इस पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर प्रत्येक कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों में से समूह एक (कक्षा स्तर के अनुरूप दक्षता) व समूह दो (कक्षा स्तर से न्यून दक्षता) वाले विद्यार्थियों के अनुक्रमांक (Roll Number) लिखे जाने हैं।

9.3.5 रचनात्मक/योगात्मक आंकलन की चैकलिस्ट में विद्यार्थियों के अनुक्रमांक 1-25 तक अंकित हैं। नामांकन 25 से अधिक होने की स्थिति में चैकलिस्ट का अतिरिक्त पृष्ठ उपयोग लिया जाए।

9.3.6 रचनात्मक चैकलिस्ट में प्रत्येक विद्यार्थी का प्रत्येक अधिगम क्षेत्र के सूचकों के सापेक्ष टर्म के अन्तर्गत शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी की उपलब्धि को दर्ज किया जाना है।

9.3.7 योगात्मक आंकलन की ग्रेड निर्धारण के टूल्स (उपकरण) :- पोर्टफोलियो में संधारित कार्य-पत्रक, पेपर-पेंसिल टेस्ट, विद्यार्थी के द्वारा किए गए कार्य के उत्कृष्ट नमूने तथा कक्षाकार्य, गृहकार्य, अध्यापक योजना प्रारूप/डायरी की समीक्षा, रचनात्मक आंकलन की चैकलिस्ट एवं रचनात्मक व योगात्मक आंकलन प्रपत्र पर की गई गुणात्मक व सकारात्मक टिप्पणी, शिक्षक-अभिभावक संवाद, शिक्षक-शिक्षक संवाद इत्यादि।

9.3.8 प्रत्येक टर्मवार अधिगम कौशलों के सापेक्ष दर्ज योगात्मक आंकलन की ग्रेड को समेकित करते हुए अधिगम क्षेत्रवार 'वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका' में दर्ज किया जाना है।

9.3.9 इस पुस्तिका में दिए गए आंकलन (SA) चैकलिस्ट को सत्रान्त पर वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका के साथ फाईल कर विद्यालय अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाना है एवं शिविरा पंचांग के निर्देशानुसार शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाना है।

9.3.10 प्रत्येक टर्म के पश्चात् बच्चे का योगात्मक आंकलन किया जाना

है। इस योगात्मक आंकलन के आधार पर आगामी टर्म के लिए पदस्थापन भी किया जाना है।

9.3.11 प्रत्येक टर्म की अवधि शिविरा पंचांग के अनुसार निर्धारित है, उसी के अनुरूप कार्ययोजना तैयार की जानी है।

9.3.12 पदस्थापन, रचनात्मक एवं योगात्मक आंकलन/मूल्यांकन संबंधी निर्णय की पुष्टि के लिए साक्ष्य के रूप में लिखित एवं मौखिक आंकलन/मूल्यांकन किया जाना है। आंकलन के समस्त पत्रक संबंधित विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में साक्ष्य के रूप में संधारित करें।

9.3.13 सतत् एवं व्यापक आंकलन /मूल्यांकन में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को तीन ग्रेड्स (A, B, C) के द्वारा दर्ज किया जाना है, जिनकी व्याख्या निम्नानुसार होगी:-

A= स्वतन्त्र रूप से कार्य कर पाना या अपेक्षित स्तर की समझ/दक्षता होना।

B= शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाना या मध्यम स्तर की समझ/दक्षता होना।

C= शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाना या आरम्भिक स्तर की समझ/दक्षता होना।

सीखने-सिखाने में तीन स्तर की ही भूमिका रहती है। कुछ बच्चे तीव्रता से स्वतंत्र रूप से काम करने की ओर बढ़ते हैं तथा कुछ बच्चों को थोड़ा समय लगता है एवं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रारम्भ से ही शिक्षकों की अधिक मदद की आवश्यकता रहती है। इस विचार को समझा जाए और इसकी प्रक्रिया पर विश्वास किया जाए तो प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित किया जा सकता है।

9.4 शिक्षण अधिगम सामग्री:-

9.4.1 बाल केंद्रित शिक्षण एवं सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसके अधिगम स्तर के अनुरूप अध्ययन एवं अभ्यास के अवसर मिलें।

9.4.2 एक ही समय में अलग-अलग अधिगम स्तर के विद्यार्थियों के साथ कार्य करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक पर्याप्त शिक्षण-अधिगम सामग्री का निर्माण करें।

9.4.3 कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन करा रहे शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि बाल केंद्रित शिक्षण एवं सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यापन योजना बनाते समय विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई वर्क बुक्स के प्रयोग को शिक्षण योजना का हिस्सा बनाएं।

9.5 पोर्टफोलियो :-

9.5.1 सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के पास विद्यार्थियों का आंकलन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। इसके लिए विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्यों को संकलित करना आवश्यक है।

- 9.5.2 विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों को साक्ष्य के रूप में संधारित करने के लिए विद्यार्थीवार एक फाइल बनाई जाती है। इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता, मौलिकता एवं शैक्षिक प्रगति का आईना है।
- 9.5.3 एक निश्चित अवधि में विद्यार्थी की दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक (उत्तरोत्तर) अधिगम उपलब्धि के संचयी साक्ष्य के रूप में विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थीवार पोर्टफोलियो फाइल संधारित की जावे।
- 9.5.4 पोर्टफोलियो फाइल में मुख्य पृष्ठ पर प्रोफाइल आवश्यक रूप से लगा हो जिस पर विद्यार्थी की विद्यालय गणवेश में आकर्षक एवं नवीनतम फोटो भी चस्पा की जावे। (इस कार्यालय का आदेश क्रमांक : शिविरा/प्रारं/एसआईक्यूई/सीसीई/19568/2019/1404 दिनांक: 14.11.2019 की पालना सुनिश्चित की जावे।)
- 9.5.5 आधार रेखा मूल्यांकन/पदस्थापन के पत्रक (टूलस), रचनात्मक और योगात्मक आंकलन के पत्रक, कक्षा कार्य के कार्यपत्रकों को इस फाइल में संधारित किया जाना है।
- 9.5.6 विद्यार्थी के द्वारा किए गए कार्यों में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के सुधार हेतु दोहरान कार्य सुनिश्चित किया जावे।
- 9.5.7 पोर्टफोलियो में वर्षपर्यन्त विद्यार्थी के साथ किए गए रचनात्मक, योगात्मक आंकलन के कार्यपत्रकों को शिक्षक द्वारा भली प्रकार जाँचते हुए अशुद्धियों को रेखांकित/गोला करके सुधारात्मक कार्य करवाने के पश्चात सकारात्मक एवं गुणात्मक टिप्पणी के साथ दिनांक अंकित करते हुए हस्ताक्षर कर साक्ष्य के रूप में संधारित किया जावे।
- 9.5.8 विद्यार्थियों के सृजनात्मकता के साक्ष्य को भी उनके पोर्टफोलियो में संधारित किया जाना है।
- 9.5.9 प्रत्येक विद्यार्थी के पोर्टफोलियो में संधारित कार्यपत्रकों को समय-समय पर अभिभावकों से साझा करते हुए पत्रकों पर अभिभावकों के हस्ताक्षर भी करवाएँ जाएँ।
- 9.5.10 विद्यार्थियों से कार्यपत्रक पर कार्य करवाने के बाद शिक्षक द्वारा कार्यपत्रक पर अशुद्धियों को रेखांकित/गोला करते हुए शुद्ध करवाया जाकर सकारात्मक एवं गुणात्मक टिप्पणी की जाए। अभिभावक के हस्ताक्षर करवाने के लिए विद्यार्थी के साथ घर भिजवाते हुए हस्ताक्षरित पत्रक पोर्टफोलियो फाइल में संधारित करें।
- 9.6 वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका :-**
- 9.6.1 अभिलेख पंजिका में सत्र के दौरान किए गए तीन योगात्मक आंकलन (प्रत्येक टर्म अवधि के बाद) के आधार पर विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धियाँ दर्ज की जाएगी।
- 9.6.2 सत्रारम्भ में विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक स्तर का निर्धारण आधार रेखा आंकलन (नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों हेतु)/पदस्थापन विगत वर्ष के अन्तिम योगात्मक आंकलन (पूर्व प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु) के आधार पर किया जाएगा।
- 9.6.3 कला-शिक्षा, व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियाँ, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित योगात्मक आंकलन से प्राप्त स्थितियों/उपलब्धियों को सत्र में दो बार पंजिका में दर्ज किया जाएगा। पहला आंकलन द्वितीय योगात्मक आंकलन (SA-2) के समय एवं दूसरा आंकलन तृतीय योगात्मक आंकलन (SA-3) के समय होगा।
- 9.6.4 वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका बालक के सीखने की प्रक्रिया के समेकन के प्रमाण को एक दृष्टि में प्रस्तुत करती है।
- 9.6.5 विद्यालय में 50 तक नामांकन हेतु 1 वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका तथा 50 से अधिक नामांकन होने के स्थिति में अतिरिक्त पंजिका उपयोग में ली जाए।
- 9.6.6 वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका के प्रथम पृष्ठ पर कक्षावार विषयाध्यापकों के नाम एवं हस्ताक्षर की पूर्ति की जानी है जिसे संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना है।
- 9.6.7 प्रथम पृष्ठ पर ही विद्यालय के नामांकित विद्यार्थियों की कक्षा 1 से 5 में शैक्षिक स्तर की समेकित विषयवार स्थिति को निर्देशानुसार पदस्थापन प्रारूप में दर्ज किया जाना है।
- 9.6.8 वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका के घटकों को निम्नानुसार समझा जा सकता है-
- 9.6.8.1 विद्यार्थी के सम्बन्ध में विवरण यथा नाम, नामांकित कक्षा, आधार रेखा/पदस्थापन आंकलन से प्राप्त कक्षा स्तर (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी)।
- 9.6.8.2 व्यक्तिगत गुण व अभिवृत्तियाँ, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा आदि के सम्बन्ध में अंकन।
- 9.6.8.3 हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम क्षेत्रों के सापेक्ष बच्चों के ग्रेड का अंकन।
- 9.6.8.4 विद्यार्थी एवं अभिभावक टिप्पणी, बच्चे की उपस्थिति, नियमितता, आगामी कक्षा, विषयवार प्रस्तावित कक्षा स्तर (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित)।
- 9.6.9 वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका में कक्षावार पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट अधिगम क्षेत्रों के सापेक्ष आंकलन को दर्ज किया जाएगा।
- 9.6.10 विभिन्न विषयों में अधिगम क्षेत्रों के सापेक्ष ग्रेड का अंकन आंकलन सूचक अंकन पुस्तिका (चैकलिस्ट) में दी गई योगात्मक आंकलन की ग्रेड के समेकन के आधार पर दर्ज होगा।
- 9.6.11 व्यक्तिगत गुण व अभिवृत्तियों, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा से संबंधित कॉलम में सूचको के सापेक्ष आंकलन वर्ष में दो बार SA-2 एवं SA-3 के समय अधिगम क्षेत्रों के सापेक्ष सही (✓) का चिह्न/कोड (1/2/3) दर्ज किया जाएगा।
- 9.6.12 शिक्षक-अभिभावक- विद्यार्थी बैठक से सम्बन्धित टिप्पणी SA-2 एवं SA-3 के समय विद्यार्थियों की प्रगति को अभिभावकों

व बच्चों से साझा करते समय दर्ज की जाएगी।

9.6.13 नियमितता व ठहराव की टिप्पणी के साथ ही विद्यार्थी के शैक्षिक एवं व्यक्तित्व विकास के सम्बन्ध में समग्र टिप्पणी कक्षाध्यापक द्वारा अन्य विषय अध्यापकों से राय कर निर्धारित स्थान पर वर्ष के अन्त में दर्ज की जाएगी।

9.6.14 वर्षभर अध्ययन उपरान्त विद्यार्थियों की आगामी नामांकित कक्षा एवं विषयगत प्रस्तावित कक्षास्तर को निर्धारित कॉलम में दर्ज किया जाएगा।

9.7 विद्यार्थी वार्षिक आंकलन प्रतिवेदन :-

9.7.1 यह विद्यार्थी के सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र की टर्मवार प्रगति को दर्शाने वाला दस्तावेज है।

9.7.2 विद्यार्थी वार्षिक आंकलन प्रतिवेदन की प्रविष्टियों को विद्यालय के वार्षिक अभिलेख पंजिका में की गई प्रविष्टियों के अनुरूप ही दर्ज किया जाना है।

9.7.3 यह विद्यार्थी का प्रगति-पत्र है, जिसमें सभी प्रविष्टियाँ दर्ज करने के बाद सत्र के अन्त में उसे दिया जाना है।

9.8 शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी बैठक :-

9.8.1 यह बैठक SA-2 व SA-3 के समय आयोजित की जानी है जिसमें विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति को अभिभावक व विद्यार्थी से साझा किया जाना है।

9.8.2 बैठक उपरान्त विद्यार्थी एवं अभिभावक से प्राप्त टिप्पणी को अभिलेख पंजिका में यथा स्थान दर्ज करें।

9.8.3 एसएमसी की प्रत्येक बैठक में भी सदस्यों को बच्चों की प्रगति से अवगत करवाया जाना है।

10. गतिविधि आधारित अधिगम कक्ष Activity Based Learning (ABL) Room-

10.1 एबीएल कार्यक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सीखना सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रक्रिया की मुख्य आधारभूत मान्यता यह है कि-प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बच्चे के सीखने की अपनी गति होती है एवं अपना स्तर होता है। बच्चे के साथ उसकी गति और उसके स्तरानुसार गतिविधियों के माध्यम से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया की जाए तो बच्चे का सीखना सुनिश्चित होगा।

10.2 गतिविधि आधारित अधिगम के लिए विद्यालयों में कक्षा 1 व 2 के लिए एबीएल कक्ष का विकास राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रावधानों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अनुदान/स्थानीय जनसहयोग से प्राप्त राशि से निम्नानुसार करवाया जा सकता है-

10.2.1 बच्चों के श्यामपट्ट :- विद्यालय में तैयार किया जाने वाला कक्षा कक्ष 16x20 की साईज का अथवा विद्यालय का सबसे बड़ा कक्ष होना चाहिए। कक्षा-कक्ष के अन्दर की दीवारों पर फर्श से 3 फुट तक सीमेन्ट प्लास्टर कर श्यामपट्ट तैयार किया जाना है।

दीवार पर बने श्यामपट्ट के एक-एक फुट के भाग किए जाने चाहिए।

10.2.2 अंग्रेजी व हिन्दी की वर्णमाला पट्टी :- कक्षा-कक्ष की दीवारों पर बनाए गए श्यामपट्ट के ऊपर 6 इंच चौड़ाई की पेन्ट द्वारा एक पट्टी तैयार की जाएगी, जिस पर हिन्दी व अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण/अक्षर तथा उनसे शुरू होने वाले शब्दों के चित्र भी बनाए जाने हैं।

10.2.3 कथा चित्र का चित्रण :- कक्षा-कक्ष की दीवारों पर कथा चित्र प्राथमिकता से बनाए जाने हैं। कथाचित्र बनाए जाने का उद्देश्य इन पर चर्चा कर बच्चों की कल्पना शक्ति को विकसित करना है। एक कक्ष में कम से कम चार कथाचित्र बनाए जा सकते हैं।

10.2.4 बिन्दुपट्ट :- उपर्युक्त श्यामपट्ट में 3-3 इंच की दूरी पर बिन्दु के निशान बनाए जाने हैं। इन बिन्दुओं को जोड़ते हुए विभिन्न आकृतियाँ बना सकेंगे। इस प्रकार के बिन्दुओं को जोड़ते हुए लाइन अंकित कर बच्चों को एक लाइन में वर्णमाला लिखने का अभ्यास कार्य करवाया जा सकता है।

10.2.5 गिनती पहाड़े का चार्ट :- कक्षा-कक्ष की दीवारों पर गिनती व पहाड़े का ग्रिडनुमा चार्ट बनाया जा सकता है, जिससे गिनती के साथ चित्र बनाकर गिनती की अवधारणा को समझाया जा सकता है।

10.2.6 आकृतियों के नाम व चित्र :- विभिन्न प्रकार की सरल एवं ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे लाइन, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, अर्द्ध चन्द्राकार, घन, घनाभ, बेलन, गोला आदि से परिचय करवाने हेतु दीवार पर उनका चित्र बनाया जाना है। चित्र के साथ उनका नाम व नाप भी दिया जा सकता है।

10.2.7 रंगों के नाम व चित्र :- विभिन्न रंगों का परिचय कराने हेतु किसी एक आकार की विभिन्न रंगों से चित्रित करते हुए मय नाम के दीवार पर चार्ट के रूप में बनाया जा सकता है।

10.2.8 महीनों एवं सप्ताह के दिनों के नाम :- वर्ष के 12 महीनों के नाम व सप्ताह के दिनों के नामों को चार्ट के रूप में बनाया जा सकता है। महीने के नामों को गोल आकृति में बनाकर मौसम का भी चित्रण किया जा सकता है। इस प्रकार सप्ताह के दिनों को भी मिड डे मील के खाने के साथ अंकित कर समझाया जा सकता है।

10.2.9 गतिविधि आधारित शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली सामग्री- कक्षा 1 व 2 में बच्चे स्वयं गतिविधि करते हुए सक्रिय अधिगम कर सकें इस हेतु शिक्षक को उपलब्ध कराई जा रही शिक्षक सहायक सामग्री (टीएलएम), शिक्षकों को दी जाने वाली टीएलएम राशि/एसएमसी द्वारा प्राप्त अनुदान/स्थानीय जन सहयोग से राशि जुटाकर योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक शिक्षण सामग्री का निर्माण/क्रय किया जाना है।

गतिविधि आधारित शिक्षण हेतु सामग्री निम्नानुसार हो सकती है-

1. चार्ट, 2. फ्लेश कार्ड, 3. वाक्य कार्ड, 4. अंक व शब्दकार्ड,

5. चयनित व नियोजित खेल गतिविधियां आधारित सामग्री, 6. अंक व शब्द आधारित साँप-सीढ़ी चार्ट, 7. शिक्षक/विद्यार्थी किट, 8. अन्य प्रशिक्षण/शिक्षण मासिक बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार नियोजित सामग्री।

10.2.10 विद्यालयों में दीवारों पर बनाए गए नक्शे/चार्ट/चित्र/टेन्स-चार्ट इत्यादि से संबंधित क्विज/प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन समय-समय पर किया जावे जिससे विद्यालय में उपलब्ध सामग्री के बारे में बच्चों में समझ विकसित हो सके।

11. क्लस्टर कार्यशाला :-

11.1 क्लस्टर कार्यशालाओं का आयोजन निर्धारित क्लस्टर के विद्यालय में किया जाएगा।

11.2 इन कार्यशालाओं में स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य/संस्थाप्रधान मुख्य संबर्ध व्यक्ति के रूप में भूमिका निभाएँ एवं दक्ष प्रशिक्षक सम्भागियों को अकादमिक सहयोग प्रदान करेंगे।

11.3 कार्यशालाओं की मॉनिटरिंग पंचायत, ब्लॉक एवं जिले के शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जानी है।

11.4 इन कार्यशालाओं का आयोजन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में किया जाना है। जिसमें प्रथम समूह में हिन्दी व पर्यावरण विषय एवं द्वितीय समूह में गणित व अंग्रेजी विषय की कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

11.5 इस कार्यशालाओं में प्राथमिक कक्षाओं (1 से 5) को संबंधित विषय पढ़ाने वाले शिक्षक भाग लेंगे।

11.6 क्षमता संवर्धन हेतु आयोजित कार्यशालाओं में भाग लेने वाले शिक्षक अपने विषय से संबंधित योजना डायरी, पाठ्यक्रम पुस्तिका, चैकलिस्ट, अभिलेख पंजिका और अध्यापन करवाए जाने वाली कक्षा के किसी भी विद्यार्थी का पोर्टफोलियो भी आवश्यक रूप से साथ लेकर आएँगे, तदनु रूप ही उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

11.7 कार्यशाला में उपस्थित शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई शैक्षिक एवं प्रक्रियागत समस्याओं को समेकित करते हुए क्लस्टर प्रभारी संस्थाप्रधान द्वारा डाईट को सात दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।

11.8 कार्यशाला के लिए नियुक्त दक्ष प्रशिक्षक/आयोजक विद्यालय के संस्थाप्रधान/मॉनिटरिंग अधिकारी द्वारा कार्यशाला में उपस्थित शिक्षकों की अध्यापक योजना डायरी पर प्रति हस्ताक्षर कर उपस्थिति प्रमाणित की जाएगी।

11.9 इन कार्यशालाओं में दक्ष प्रशिक्षक द्वारा शिक्षकों की चुनौतियों पर कार्य किया जाएगा। जहाँ शिक्षक आपस में अपने अनुभव साझा करते हुए एक-दूसरे का सहयोग करेंगे।

11.10 इन कार्यशालाओं के अन्तर्गत शिक्षकों को निम्नानुसार सम्बलन प्रदान किया जाएगा-

11.10.1 बच्चों के स्तर पहचान करने में आने वाली समस्याओं पर कैसे

काम किया जाए।

11.10.2 समूहवार शिक्षण की योजना और प्रक्रिया को कैसे और बेहतर किया जाए।

11.10.3 कक्षा स्तर से न्यून दक्षता वाले बच्चों को कक्षा स्तर के अनुरूप लाने हेतु आवश्यकतानुसार शिक्षण योजना बनाकर उसका कक्षा में क्रियान्वयन कैसे किया जाए।

11.10.4 विषय शिक्षण के विभिन्न तरीके क्या हों, जिससे बच्चों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो।

11.10.5 रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन दर्ज करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाए।

11.10.6 किसी विशेष बिन्दु/उद्देश्य अथवा विषय पर कैसे काम किया जाए।

11.10.7 शिक्षण में प्रभावी प्रार्थना सभा एवं पुस्तकालय की उपयोगिता एवं आने वाली चुनौतियों पर कार्य किया जाए।

12. जिले व ब्लॉक स्तर पर अकादमिक सम्बलन की व्यवस्था-

12.1 सीसीई, सीसीपी और एबीएल के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर निर्धारित समिति में डाईट की भूमिका अकादमिक संस्था के रूप में है। अतः डाईट प्राचार्य जिले पर होने वाली बैठकों का समन्वयन करेंगे।

12.2 डाईट प्राचार्य प्रत्येक ब्लॉक के लिए अकादमिक अधिकारी (व्याख्याता/वरिष्ठ व्याख्याता) को ब्लॉक सीसीई प्रभारी के रूप में नियुक्त करें।

12.3 ब्लॉक में होने वाली समस्त गतिविधियों की मॉनिटरिंग, सम्बलन व अकादमिक समर्थन का निष्पादन ब्लॉक सन्दर्भ व्यक्ति (आर.पी.) के सहयोग से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाए।

12.4 सीबीईईओ./पीईईओ. (ग्रामीण/शहरी) अवलोकनकर्ता संस्थाप्रधान द्वारा भेजी गई पाक्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यवेक्षण/अवलोकन कर सुझाव निरीक्षण पंजिका में अंकित करते हुए संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर करवाए।

12.5 संबंधित ब्लॉक के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, मासिक कार्यशाला का आयोजन एवं मॉनिटरिंग का दायित्व डाईट प्रभारी, सीबीईईओ., पीईईओ. एवं ब्लॉक आरपी का होगा।

12.6 ब्लॉक पर होने वाले समस्त अकादमिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दक्ष प्रशिक्षक (एम.टी.), के साथ आरपी, राज्य सन्दर्भ समूह (एसआरजी.), राज्य कोर समूह (एससीजी.) सदस्य की भागीदारी सीबीईईओ. एवं पीईईओ. सुनिश्चित करें। राज्य के राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में उक्त दिशा निर्देशानुसार शिक्षण प्रक्रिया सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

● (सौरभ स्वामी) आइ.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान, बीकानेर।

भामाशाह प्रोत्साहन

विद्यालय के विकास हेतु भामाशाहों का सहयोग कैसे लें?

□ नरेन्द्र श्रीमाल

ह मारा राज्य शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में देश में दूसरा स्थान प्राप्त करना हमारे लिए एक गौरव की बात है। हम जानते हैं कि समस्त पंचायत स्तर पर स्थापित विद्यालयों के लिए विविध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को उपलब्ध करवाना हमारी राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता रही है। परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण चाहकर भी राज्य सरकार, समस्त विद्यालयों में आवश्यक भौतिक साधन-सुविधाएँ यथा आवश्यकतानुसार कक्षाकक्ष, विज्ञान प्रयोगशालाएँ, कम्प्यूटर लैब, बाउन्ड्रीवाल, पंखे, फर्नीचर आदि की पूर्ति नहीं कर पाती है। इस हेतु हमारा दायित्व है कि हम अपने स्तर पर स्थानीय भामाशाहों, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सार्वजनिक व निजी प्रतिष्ठानों से सहयोग लेकर राज्य सरकार की मंशानुसार विद्यालय का विकास करने में जुट जाएँ।

विद्यालय के विकास हेतु जनसहयोग जुटाना अपने आप में एक कला है। ऐसे विद्यालय जहाँ संस्थाप्रधान अथवा विद्यालय स्टाफ ज्यादा सक्रिय है वे इस कार्य को बखूबी निभा रहे हैं और जनसहयोग से समस्त भौतिक संसाधन जुटा कर विद्यालय का विकास कर रहे हैं। परन्तु कुछ विद्यालयों में इससे ठीक विपरीत परिस्थितियाँ हैं। उनके विद्यालय क्षेत्र में भी अनेक भामाशाह, जन प्रतिनिधि, सार्वजनिक व निजी प्रतिष्ठानों के होते हुए भी अपेक्षित जनसहयोग लेकर विद्यालय का विकास नहीं कर पाते हैं अतः मैं इस लेख के माध्यम से उनसे रूबरू हो रहा हूँ कि हम किस प्रकार अधिकाधिक जनसहयोग प्राप्त कर विद्यालय का विकास कर सकते हैं-

1. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम : प्रतिवर्ष विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन के लिए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें शिक्षक घर-घर सर्वे कार्य कर व बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर समस्त बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का कार्य करते हैं। यह कार्यक्रम भामाशाहों से संपर्क करने का भी सबसे

उचित समय होता है। सर्वे के दौरान ही गाँव के ऐसे प्रतिष्ठित व सम्पन्न व्यक्तियों की सूची तैयार करें जो विद्यालय के लिए कुछ आर्थिक सहयोग दे सकते हों। इसमें उन व्यक्तियों को भी सम्मिलित करें जो पूर्व में भी विद्यालय में आर्थिक सहयोग दे चुके हों। गाँव के नवयुवक मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों की पृथक से सूची तैयार करें। गाँव अथवा आसपास के क्षेत्र में यदि कोई बड़ा सार्वजनिक अथवा निजी प्रतिष्ठान हो तो उनके सम्पर्क सूत्र व दूरभाष नम्बर की सूची तैयार करें। गाँव के जनप्रतिनिधि सरपंच, वार्डपंच, विधायक व सांसद के सम्पर्क सूत्र व दूरभाष नम्बरों की सूची भी अवश्य तैयार कर लें।

2. विद्यालय स्टाफ की बैठक : विद्यालय स्टाफ की एक बैठक का आयोजन करें। इस बैठक में विद्यालय की छोटी से लेकर बड़ी आवश्यकता की एक सूची तैयार करें। इन आवश्यकताओं को उनकी प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित करें। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी उसे उसके आगे लिख दें। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक कार्ययोजना तैयार करें कि कौनसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कौनसा बजट अथवा एजेंसी यथा भामाशाह, समसा, ग्राम पंचायत, निजी अथवा सार्वजनिक प्रतिष्ठान, विद्यालय विकास, विद्यालय ग्रान्ट, स्टाफ आर्थिक सहयोग, सांसद व विधायक निधि आदि को काम में लेना है। इस हेतु प्रत्येक कार्य के लिए पृथक से प्रभारी नियुक्त करें।

3. विद्यालय विकास समिति की बैठक : समिति के सभी सदस्यों से दूरभाष पर संपर्क कर उनकी सुविधानुसार बैठक के लिए दिनांक व समय सुनिश्चित करें। बैठक के लिए आवश्यक तैयारी कर उन्हें सादर विद्यालय में आमंत्रित करें तथा बैठक में प्रत्येक समिति सदस्य की उपस्थिति सुनिश्चित करें। बैठक में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम तथा विद्यालय की समस्याओं पर बिन्दुवार चर्चा करें। समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक जन सहयोग जुटाने

हेतु तैयार भामाशाहों की सूची से उन्हें अवगत कराएँ तथा भामाशाहों से संपर्क करने का कार्यक्रम तय करें तथा तय कार्यक्रमानुसार भामाशाहों से संपर्क करें। भामाशाहों को विद्यालय में आमंत्रित कर विद्यालय की समस्याओं से अवगत कराएँ। एसएमसी की बैठक में विद्यालय के विकास हेतु प्रति विद्यार्थी लिए जाने वाले विद्यालय शुल्क के निर्धारण हेतु सर्वसम्मति से निर्णय कर बैठक की प्रोसेडिंग में सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करवा लें। इस प्रकार विद्यालय विकास हेतु कुछ राशि समस्त विद्यार्थियों (निर्धन विद्यार्थियों को छोड़कर) के अभिभावकों से विकास शुल्क के रूप में जमा कर सकते हैं।

4. नवयुवक मण्डल की बैठक: गाँव के नवयुवक मंडल व विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों की एक बैठक का आयोजन करें उसमें जन सहयोग जुटाने में अधिकाधिक सहयोग के लिए प्रेरित करें। आसपास के सार्वजनिक व निजी प्रतिष्ठानों से भी संपर्क कर उनका सहयोग लिया जा सकता है।

5. जनप्रतिनिधियों की बैठक: गाँव के जनप्रतिनिधियों, सरपंच, वार्ड पंच व प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बैठक का आयोजन कर विद्यालय की भवन संबंधी समस्याओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत समाधान करवाने हेतु पत्र व्यवहार व गाँव के प्रतिनिधि मंडल का व्यक्तिगत रूप से सांसद व विधायक महोदय से मिलने की तिथि आदि पर चर्चा करें तथा विधायक व सांसद मद से विद्यालय में कक्षा-कक्ष व कम्प्यूटर लैब के लिए निवेदन कर सकते हैं।

6. विद्यालय स्टाफ द्वारा आर्थिक सहयोग: विद्यालय स्टाफ भी विद्यालय विकास हेतु कुछ आर्थिक सहयोग कर ग्रामवासियों के समक्ष मिशाल रख सकता है।

7. विद्यालय विकास समिति का 80जी के तहत पंजीकरण: विद्यालय का 80जी के तहत तत्काल पंजीकरण कराएँ

तत्पश्चात भामाशाहों को विद्यालय विकास हेतु दान देकर आयकर में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने हेतु प्रेरित कर सकते हैं।

8. प्राप्त राशि का सदुपयोग व आय-व्यय विवरण में पारदर्शिता: विद्यालय विकास समिति प्राप्त जनसहयोग के आय-व्यय का ब्यौरा पूर्ण पारदर्शिता के साथ रखें तथा दानदाताओं को भी इसकी जानकारी दें कि उनके द्वारा किए गए दान के एक-एक पैसे का विद्यालय विकास में सदुपयोग किया गया है।

9. भामाशाह पट्ट का निर्माण : दानदाताओं को सम्मान देने व अन्य को भी दान हेतु प्रेरित करने के लिए विद्यालय में एक भामाशाह पट्ट का निर्माण कराया जा सकता है। इस पर भामाशाह का नाम, दान राशि/सामग्री का नाम, सामग्री की अनुमानित राशि व सत्र को दर्शाया जाना चाहिए।

10. विद्यालयी कार्यक्रमों में भामाशाहों को आमंत्रित कर सम्मान देना : विद्यालय में आयोजित विविध कार्यक्रम जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, वृहद् बालसभा वार्षिकोत्सव आदि में ग्रामवासियों के समक्ष भामाशाहों को माला, उपरना, पगड़ी, शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाना चाहिए ताकि अन्य ग्रामवासी भी दान के लिए प्रेरित हो सकें।

11. वृहद् बालसभा : विद्यालय में आयोजित प्रत्येक वृहद् बालसभा में पंचायत के अलग-अलग प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर विद्यालय विकास के लिए दान अथवा सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

12. वार्षिकोत्सव का आयोजन : इसी वर्ष 2020 में राज्य सरकार द्वारा विद्यालय में वार्षिकोत्सव के आयोजन की एक बेहतरीन योजना लागू की गई। इसके तहत विद्यालय में माह फरवरी-मार्च में वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गाँव के भामाशाहों व विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। उनके सम्मान में विद्यालयों में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में भामाशाहों व पूर्व विद्यार्थियों ने भी मुक्त हस्त से विद्यालय विकास हेतु दान दिया। इस कार्यक्रम को आने वाले वर्षों में भी किया जाकर विद्यालय विकास हेतु काफी राशि एकत्र की जा सकती है तथा विद्यालय की

प्रतिभाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है।

13. उच्च शैक्षिक गुणवत्ता व परिणाम: भामाशाहों व ग्रामवासियों को विद्यालय से जोड़ने के लिए विद्यालय को शैक्षिक व सहशैक्षिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु भरसक प्रयास करने होंगे। शत प्रतिशत बोर्ड परीक्षा परिणाम व खेल व विज्ञान संबंधी प्रतियोगिताओं में जिला अथवा राज्य स्तर पर विद्यालय को अपनी छवि स्थापित करनी होगी तभी हम विद्यालय विकास में अभिभावकों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग ले सकेंगे।

14. पत्र-पत्रिकाओं में समाचार: दानदाताओं द्वारा विद्यालय में दिए गए दान को हाइलाइट करने के लिए समाचार पत्रों में न्यूज देनी चाहिए तथा प्रकाशित न्यूज की कटिंग को विद्यालय टेग बोर्ड पर टेग करनी चाहिए।

15. निजी व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का सहयोग : भारत में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के नियम अप्रैल, 2014 के तहत जिन कम्पनियों का सालाना लाभ 5 करोड़ से अधिक होता है। उन कम्पनियों को सीएसआर पर खर्च करना अनिवार्य होता है। यह खर्च तीन साल के औसत लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत होना चाहिए अतः इस नियम के तहत आप अपने विद्यालय के आसपास अवस्थित निजी व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से सीएसआर स्कीम के तहत विद्यालय विकास के कार्य करवा सकते हैं।

16. सेवानिवृत्ति : विद्यालय में एक नई परम्परा प्रारम्भ करें जिसमें विद्यालय से सेवानिवृत्त होने वाला प्रत्येक कार्मिक विद्यालय के लिए कोई आवश्यक सामग्री दान करे।

17. विदाई कार्यक्रम : कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थी आपस में राशि एकत्र कर विद्यालय में आयोजित विदाई समारोह में विद्यालय के किसी एक छोटी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। इस हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित करें।

18. दान पेटी: जिस प्रकार बूँद-बूँद से घड़ा भरता है उसी प्रकार छोटी-छोटी राशि से एक बड़ी राशि एकत्र हो जाती है जो विद्यालय की किसी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो सकती है। इसलिए विद्यालय में होने वाले हर

आयोजन में दान पेटी को प्रदर्शित करें एवं इस पेटी में दान के लिए सभी को प्रेरित करें। गाँव का विद्यालय विद्या का मन्दिर है उसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति विद्यालय के विकास हेतु अपनी श्रद्धानुसार दानपेटी में दान करे, इस हेतु प्रेरित करें।

19. जनसहभागिता योजनाएँ : निम्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्यालय विकास के कार्य करवाए जा सकते हैं-

● **महात्मा गाँधी जनसहभागिता योजना:** ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रारम्भ इस योजना में 30 प्रतिशत जनसहयोग व शेष 70 प्रतिशत राज्य मद से जुटाकर विकास के कार्य करवाए जाते हैं। इस योजना की जानकारी भामाशाहों व ग्रामवासियों को देकर इस योजनान्तर्गत विद्यालय विकास के कार्य करवाए जा सकते हैं।

● **मुख्यमंत्री जनसहभागिता योजना :** यह राज्य वित्त पोषित योजना है। इसके अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों के विकास में जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना में विद्यालय द्वारा जनसहयोग से 40 प्रतिशत राशि जमा कराने पर शेष 60 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना की जानकारी भामाशाहों व ग्रामवासियों को देकर इस योजनान्तर्गत विद्यालय विकास के कार्य करवाए जा सकते हैं।

उपर्युक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय विकास के पुनीत कार्य में आज से ही लग जाएँ, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। विद्यालय में आमंत्रित भामाशाहों को पूर्ण मान-सम्मान देते हुए उन्हें विद्यालय विकास व विद्यालय की शैक्षिक-सहशैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से बताएँ। ये सभी उपाय विद्यालय विकास की यात्रा में मील के पत्थर साबित होंगे। इस सत्र से ही सभी संस्था प्रधान यह यात्रा प्रारम्भ करें तथा यह यात्रा तभी समाप्त करें जब तक कि हमारे राज्य के समस्त विद्यालय समस्त भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण नहीं हो जाएँ।

व्याख्याता
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराज की खेड़ी,
भीण्डर, उदयपुर (राज.)
मो: 9413752322

नवाचार

नो बेग डे : संभावनाओं की उड़ान

□ डॉ. रणवीर सिंह

दुनिया में जहाँ सब कुछ इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे छात्रों को विश्व स्तर पर योगदान देने के लिए नए कौशल और ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ये 21 वीं सदी के कौशल जैसे कि प्रभावी संचार, वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक सोच, जीवन कौशल, समस्या समाधान आदि, यह सुनिश्चित करते हैं कि छात्र बदलते समय में कामयाब हो सकते हैं। इस पहल में, राज्य सरकार एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहती है जहाँ छात्र अनुभवात्मक अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से इन कौशलों को प्राप्त कर सकें और अंतर्निहित क्षमताओं और बालकों में छिपी हुई संभावनाओं की उड़ान को पंख दे सकें।

शिक्षा का उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं वरन बालकों का समग्र विकास (Holistic Development) करना है। बालकों में आत्म विश्वास के विकास, शिक्षण को आनन्ददायी बनाने एवं विद्यालय के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा निर्धारित किया जाना चाहिए जिस दिन शिक्षण कार्य नहीं करवाकर अन्य शिक्षणोत्तर गतिविधियाँ नियोजित तरीके से आयोजित की जाएं एवं बालकों में अंतर्निहित क्षमताओं और संभावनाओं को उड़ान के लिए समुचित मंच और अवसर प्राप्त हो सके।

हमारी शिक्षा प्रणाली ने छात्रों को विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी क्षमता बढ़ाने और प्रकट करने के लिए समर्थन किया है। राजस्थान सरकार ने सामुदायिक बाल सभा, बस्ते का बोझ कम करने, त्योहारों और राष्ट्रीय महत्त्व के दिनों को सामूहिक रूप से मनाने, कैरियर डे इत्यादि नवाचारों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे प्रत्येक बालक के समग्र विकास (Holistic Development) एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के मामले में तेजी आई है। राज्य सरकार ने समुदाय, शिक्षक और छात्र के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और उनके अव्यक्त कौशल की पहचान करने के लिए, सीखने की पारंपरिक शिक्षण विद्याओं (Pedagogy) से आगे बढ़ना महत्त्वपूर्ण है।

जिसके लिए, सरकार ने साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेल और अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के संदर्भ में छात्रों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने की योजना बनाई है।

अवधारणा

माह में आने वाले प्रत्येक शनिवार को अलग-अलग अवधारणा आधारित विनिश्चय की गई गतिविधियों का आयोजन कर बालकों को शिक्षणोत्तर अनुभव साझा कर उनके अन्दर की प्रतिभा को प्रकट करने एवं नेतृत्व कौशल के विकास का अवसर प्रदान किया जाएगा।

अवधारणा के आधार पर माह के शनिवारों का वर्गीकरण :-

● प्रथम शनिवार-राजस्थान को पहचानें

इस दिन प्रार्थना सभा के बाद विद्यार्थियों को समूह में वर्गीकृत करते हुए राजस्थान के भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक-ऐतिहासिक धरोहर, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति से परिचित करवाने के लिए प्रश्नोत्तरी, प्रोजेक्ट कार्य, सर्वे कार्य एवं अन्य समसामयिक गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी।

● द्वितीय शनिवार - भाषा कौशल विकास एवं मूल्यपरक शिक्षा

विद्यार्थियों में भाषा सम्प्रेषण कौशल विकसित करने के लिए अंतःसदनीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में अक्षरों से अधिकाधिक शब्द निर्माण, हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू एवं अन्य प्रचलित भाषाओं में वाद-विवाद, कविता पाठ, निबन्ध लेखन, संक्षिप्तीकरण, चित्र से कहानी विकसित करना, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करना आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

● तृतीय शनिवार - खेलेगा राजस्थान, बड़ेगा राजस्थान

इस दिन प्रार्थना सभा के बाद विद्यार्थियों को समूह में वर्गीकृत करते हुए बालकों में शारीरिक सौष्ठव, मानसिक दृढ़ता, सह-अस्तित्व का विकास, दल भावना से कार्य करने के कौशल का विकास, नेतृत्व कौशल का विकास, निरोगी राजस्थान, परम्परागत खेलों को विकसित करने और देश के लिए भावी खिलाड़ी तैयार करने के लिए योजनाबद्ध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

● चतुर्थ शनिवार - मैं भी हूँ वैज्ञानिक : वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास

इस दिन प्रार्थना सभा के बाद विद्यार्थियों को समूह में वर्गीकृत करते हुए बालकों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने, स्वयं करके देखने एवं प्रमाणित करने के लिए कौशल विकास हेतु गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

● पंचम शनिवार - बाल सभा - मेरे अपनों के साथ

इस दिन प्रार्थना सभा के बाद विद्यार्थियों में नैसर्गिक प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रकृति से प्रेम, पर्यावरण संरक्षण, मूल्यपरक (Value Education) जीवन-कौशल शिक्षा के लिए कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर बालकों को क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए बाल सभा में सामुदायिक मंच उपलब्ध करवाया जायेगा। तत्पश्चात PTM (Parent-Teacher Meeting) का आयोजन किया जाएगा।

राज्य के द्वारा की जा रही पहल का क्रियान्वयन उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, इसके लिए एक राज्यव्यापी समान पाठ्यक्रम होना आवश्यक है। वर्ष के दौरान आने वाले प्रत्येक शनिवार के लिए गतिविधियों का तारतम्य स्थापित करते हुए उद्देश्य परक पाठ्यक्रम ही नहीं वरन शिक्षा अधिकारियों, संस्थाप्रधानों एवं शिक्षकों की प्रतिबद्धता भी

विशेष-शिक्षण

विशेष आवश्यकता वाले बालक और शिक्षक

□ कालुराम मीना

हम किसी कक्षा वर्ग के विद्यार्थी का बारीकी से अवलोकन करेंगे तो देखेंगे की एक कक्षा वर्ग में भिन्न-भिन्न मानसिक स्तर, सामाजिक पृष्ठभूमि, शारीरिक और मानसिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, संवेदना एवं भावना के स्तर पर पृथक-पृथक व्यवहार वाले बच्चे, अतिसक्रिय बच्चे, तीक्ष्ण और मंद अधिगम स्तर वाले बच्चे। इतनी विविधताओं से युक्त बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण करवाना एक सामान्य शिक्षक के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक विवेक सम्पन्न शिक्षक ऐसे सभी बच्चों की पहचान कर उनकी बौद्धिक आवश्यकता को पूरित कर पाते हैं।

आइए! हम बच्चों की विविधता को उनके व्यवहार से समझने की प्रक्रिया एवं बाल वैविध्य पर चिन्तन करते हैं।

दिव्यांग बच्चे : कुछ अक्षमताएं ऐसी होती हैं जो बच्चों में दूर से ही दिखाई दे जाती हैं लेकिन कुछ सूक्ष्म अक्षमताएँ भी होती हैं जैसे कि दृष्टि सम्बन्धी, श्रवण सम्बन्धी, मानसिक स्तर सम्बन्धी। अतः एक शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण के समय प्रत्येक बच्चे की गतिविधि को सूक्ष्मता से अवलोकित करे, बाल व्यवहार का गहन निरीक्षण करे और प्रत्येक बच्चे की सूक्ष्म से सूक्ष्म असक्षमता की पहचान कर तदनुसार शिक्षण की व्यवस्था करे। सामान्य रूप से दिव्यांग बच्चों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है:-

मानसिक रूप से कमजोर बच्चे: इनकी मानसिक क्षमता औसत से कम होती है। धीमी गति से सीखते हैं तथा अन्य बच्चों को तेजी से सीखते देखकर इनमें हीन भावना विकसित होने लगती है। अध्यापकों को ऐसे बच्चों के साथ विशेष कार्य करना चाहिए। इन्हें संवेदनात्मक सहयोग की अधिक जरूरत होती है। शिक्षण से इतर गतिविधियों में इनकी पर्याप्त भागीदारी रखना बहुत जरूरी है। इनकी हर छोटी सी उपलब्धि पर पर्याप्त पुनर्बलन प्रदान किया जाना

आवश्यक है। स्वास्थ्य परीक्षण में यदि चिकित्सकों द्वारा सुझाया जाए तो इनके उपचार हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जाए।

दृष्टि बाधित बच्चे : ये बच्चें अपनी अक्षमता को छिपाने का प्रयास करते हैं लेकिन श्यामपट्ट पर घूर कर देखना, श्यामपट्ट पर देखने के बजाय साथी की नोटबुक से देखकर लिखना, नकल करके भी गलत लिखना, ऐसे लक्षणों के आधार पर बच्चों की पहचान कर उनकी विशेष व्यवस्था की जाए। अग्रिम पंक्ति में बैठाया जाए, उनके लेखन व वाचन पर विशेष दृष्टि रखकर शिक्षण कार्य किया जाए तथा उनके द्वारा किए गए कार्य की समयबद्ध एवं विशेष जाँच करके बच्चों को संबलित किया जावे तथा स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक उपचार और विभागीय योजनाओं तथा समाजसेवी संस्थाओं से बच्चे को उपकरण, उपचार आदि से लाभान्वित कर उसे शिक्षा की मूल धारा में लाने का कार्य किया जाए।

श्रवण बाधित बच्चे : कुछ बच्चे आनुवांशिक रूप से या अन्य कारणवश बधिर या आंशिक रूप से बधिर होते हैं, शिक्षक कथन को भी वे भलीभांति सुन नहीं पाते। अतः उनका अधिगम नहीं हो पाता है। बच्चे संकोच वश अपनी समस्या को व्यक्त नहीं कर पाते हैं लेकिन उनके व्यवहार से जैसे कि एक ही वाक्य को बार-बार पूछना, प्रश्न का असंगत उत्तर देना। वक्ता के निकट जाकर सुनने का प्रयास करना। ऐसे आधारों पर बच्चे की पहचान सुनिश्चित करके बच्चे के अधिगम की उचित व्यवस्था एक शिक्षक को करनी चाहिए।

अस्थिरों से बाधित बच्चे : विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को यद्यपि विभागीय योजनाओं से समय-समय पर उपकरण आदि वितरित किया जाते हैं तथापि ऐसे बच्चों के प्रति शिक्षकों को और अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। इन बच्चों को दया की नहीं अपितु प्रेरणा और उत्साह की जरूरत है। शिक्षकों में इन

बच्चों के साथ भी सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करने की भावना आवश्यक है ताकि ये बच्चे हीन भावना से ग्रसित न हों।

इसके अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के बच्चे हमारी कक्षाओं में हो सकते हैं जिनकी विशिष्टता की पहचान शिक्षक समुदाय को अपने दैनिक शिक्षण कर्म के दौरान बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन कर करनी चाहिए। बच्चों की इस विशिष्टता पर मंथन करके ऐसे बच्चों के बारे में संस्थाप्रधान एवं विभागीय अधिकारियों से अवश्य विचार विमर्श हो ताकि समस्या का निदान एवं उपचार सम्भव हो सके।

मेरा यह मानना है कि अध्यापक जब तक प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत विशेषता से वाकिफ नहीं होगा तब तक सहज अध्यापन सम्भव नहीं हो सकता। शिक्षकों को अपनी अध्यापन योजना में सभी बच्चों के स्तरानुसार सीखने की विधियाँ एवं प्रक्रियाएँ समाहित करनी होंगी तभी हम प्रत्येक बच्चों को प्रतिदिन उसकी योग्यतानुसार नया सिखाने के सपने को साकार कर सकेंगे।

मैं समझता हूँ आज के दौर में जब शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार तथा शिक्षणेत्तर कार्यों की अधिकता है ऐसे में यह विचार उन्हें अनावश्यक और असम्भव प्रतीत हो सकता है लेकिन प्रत्येक विद्यालय में विशेष बच्चों की पहचान एवं उनके लिए विशेष कार्य योजना के लिए सप्ताह में एक कालांश का समय भी निर्धारित कर दिया जाए तो इस चुनौती का सामना हम भली-भांति कर सकते हैं। इस कार्य हेतु सभी शिक्षक कुशल प्रतीत नहीं हो तो संस्थाप्रधान कुछ शिक्षकों का दल बनाकर इस प्रकार के बच्चों की दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ अस्थिर बाधित या मानसिक रूप से गम्भीर विमंदित बच्चों को ही इस श्रेणी में रखा जा रहा है। विद्यालय अवलोकन के समय जब मैं दिव्यांग बच्चों के बारे में चर्चा करता हूँ तो अधिकांश अध्यापक यही जवाब देते हैं कि हमारे यहाँ एक भी दिव्यांग बच्चा नहीं है। इन स्थितियों से हम अध्यापकों

की मानसिकता को समझ सकते हैं कि हमारे विद्यालयों में अभी तक विशेष अधिगम अक्षमताओं वाले बच्चों पर किसी प्रकार का अभ्यास नहीं हो पा रहा है। शिक्षक प्रशिक्षणों में भी इस प्रकार के बालकों पर पर्याप्त शिक्षण सत्रों का अभाव है। हमें शिक्षकों को इस दिशा में जागरूक करके यह समझाना होगा कि ऐसे बच्चों को पहचान करने के साथ यह भी चिंतन करें कि हम इस प्रकार के शैक्षिक व अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं और इस सहायता के आयाम क्या हो सकते हैं? ऐसे बच्चों को जहाँ चिकित्सकीय आवश्यकता हो तो वहाँ चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाने के साथ ही उनके साथ कक्षा कक्षीय व्यवहार तय किया जावे। ऐसे बच्चों के घर परिवार व सामाजिक माहौल का अध्ययन एवं परिजनों की काउन्सलिंग हो तथा यह प्रयास करें कि दिव्यांग बच्चों के अभिभावक उन्हें भावनात्मक रूप से स्वीकार कर सकें तथा ऐसे बच्चों के साथ सहज व्यवहार कैसे करें? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।

बच्चे का घरेलू वातावरण एवं परिजनों का व्यवहार बच्चे की मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। यदि हम सब हमारे संयुक्त प्रयासों से ऐसे बालकों को मूलधारा में लाने में सफल हो पाते हैं तो इससे अधिक पुनीत कर्म अन्य कोई नहीं हो सकता। हमारे विद्यालयों में अध्ययनरत हजारों बच्चे जो संवेदना के स्तर पर आज भी स्वयं को सबसे अलग-थलग मानकर अवसाद की जिन्दगी जी रहे हैं। यदि हमारे शिक्षक, शिक्षण संस्थान और शिक्षा अधिकारी इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करें तो उनकी परिस्थिति को निश्चित रूप से परिवर्तित किया जा सकता है।

यदि हम प्रयास करें तो इस प्रयास में प्रशासन, राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएँ भी हमारे साथ सहयोग हेतु तत्पर हो सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से उन हजारों मुरझाए चेहरों पर सहज सरल मुस्कान रच सकते हैं। वह मुस्कान जिसके लिए हम और हमारा विभाग अथक प्रयास कर रहा है।

कार्यक्रम अधिकारी
अति. जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान, दौसा (राज.)
मो. 6377648107

शैक्षिक चिन्तन

प्राथमिक स्तर पर शिक्षण

□ अब्दुल कलीम खान दायरा

मा नव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के परिणामस्वरूप उसे समाज के नियम उप नियमों की पालना करना परम आवश्यक है। समाज के नियमों की पालना करने के लिए उसे पहले समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को जानने के लिए उसे विद्यालयों की शरण लेनी पड़ती है। जब तक वह यह नहीं जान पाएगा कि उसके व समाज के लिए क्या हितकर है और क्या नहीं?

अपने आप को समाज के लिए तैयार करने के लिए वह विद्यालय की ओर शरण लेता है। अब वह अपने जीवन का स्वर्ण युग विद्यालय में व्यतीत करना प्रारंभ कर देता है। प्राथमिक स्तर में बालक को शिक्षण कार्य करवाते समय बालक के सर्वांगीण विकास की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। बच्चे की कोमल भावनाओं का हमें आदर करना चाहिए। समुचित मात्रा में स्नेह और प्रेम करना चाहिए। बच्चों को उनके मन में उत्पन्न भाव और जिज्ञासाओं का उचित निराकरण करना चाहिए। बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा करवाते समय हमें उनकी रुचि का भी ध्यान रखना परम आवश्यक हो जाता है। छोटी-छोटी कविताओं के माध्यम से छोटे-छोटे खेलों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की रुचिप्रद गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो और वह अधिक सीखने की ओर अग्रसर हो सकें। जब बच्चे स्वयं कुछ करके सीखते हैं तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और यही आत्मविश्वास उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

यही ऊर्जा उनके अधिगम को और अधिक सरल और सुगम बना देती है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के समय बच्चों और शिक्षक दोनों के मध्य आत्मीय संबंध होना नितांत आवश्यक है। इस कारण ही बच्चे अपने आप को एक भयमुक्त वातावरण से परिपूर्ण मानते हैं और लगन के साथ वे संपूर्ण शिक्षण कार्य को सरलता, सुगमता और सहजता से प्राप्त कर सकते हैं।

प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य के दौरान हम बच्चों को विभक्त कर कुछ गतिविधियाँ करवा सकते हैं। जिससे बच्चे एक दूसरे साथी की मदद से देखकर व स्वयं करके आसानी से उस कार्य को सरल से सरलतम ढंग से कर पाते हैं। अपने अनुभव के अनुसार मैंने अपने शिक्षण कार्य के दौरान कुछ गतिविधियाँ विद्यालयों में संचालित करवाई। जिससे बच्चों ने काफी रुचि दिखाई। यहाँ मैं एक दो गतिविधियों के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक गतिविधि लेखन से संबंधित मैंने बच्चों को श्रुति लेख लिखवाने का प्रयास किया। शब्दों में आए हुए वर्णों को ताली बजाकर एक-एक वर्ण को अलग-अलग करते हुए बोल-बोल कर लिखवाया। इससे बच्चे बहुत ही जल्दी और आसानी से सुनकर लिखना सीख गए। उसके बाद मैंने मात्राओं का ज्ञान भी उसी प्रकार उच्चारण करवा कर लिखवाया, इससे बच्चों में सुनने की क्षमता का विकास हुआ। सुनकर समझने की और समझ कर लिखने की क्षमता का विकास हुआ।

दूसरी गतिविधि मैंने कक्षा 3 व 4 के विद्यार्थियों के मध्य करवाई। इसमें मैंने श्यामपट्ट पर दो बिना मात्रा के शब्द लिख दिए और प्रत्येक बच्चे से उनके मात्रा लगाकर नए सार्थक शब्द बनवाने का प्रयास किया। प्रारंभ में बच्चे कुछ हिचकिचाए। बाद में उनकी समझ में आ गया और उन्होंने उस एक बिना मात्रा के शब्द के विभिन्न प्रकार की मात्रा लगा-लगा कर नए सार्थक शब्दों का निर्माण किया। देखते ही देखते श्यामपट्ट पूर्ण रूप से भर गया। इस प्रकार बच्चों को शिक्षण के दौरान समुचित अवसर प्रदान किए जाएँ तो प्राथमिक स्तर पर बालकों की नींव मजबूत होगी और इसके आधार पर वे उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर अपने अधिगम स्तर को और अधिक ऊँचाई पर ले जा सकते हैं।

शिक्षक
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेवली,
पं. स. खंडेला, सीकर (राज.)
मो: 9784350681

डिजिटल लर्निंग

डिजिटल लर्निंग की जरूरत व महत्त्व

□ सुदेश कुमार यादव

शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, आधुनिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य संस्कारवान और कौशल युक्त नागरिक बनाना है। इस अर्थ में शिक्षा संस्कार और रोजगार प्राप्ति की सर्वाधिक विश्वसनीय प्रक्रिया है। शिक्षा चरित्र निर्माण एवं कौशल विकास की कुंजी है। शिक्षा बालक का समाजीकरण भी करती है एवं वह व्यक्ति में स्वतंत्रता, भाईचारे एवं समानता जैसे जीवन परक मूल्यों का भी सृजन करती है। शिक्षा बालक को तमाम सीमाओं और संकीर्णताओं से मुक्त करके उसके अंदर मनुष्य भाव का बीजारोपण करती है। शिक्षा के माध्यम से ही संस्कार, सामूहिकता, सहकार, संवेदनशीलता, समरसता की आधार भूमि तैयार होती है। शिक्षा के इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कक्षा शिक्षण की अपरिहार्य भूमिका होती है सीखना अधिगम की एक प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यंत सतत् रूप से चलती है और मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों में इसे अपनाता भी है। व्यक्ति का सीखना किसी उम्र का मोहताज नहीं होता व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। चाहे वह किसी व्यक्ति या अपने वातावरण से सीखे विद्यालय में साथियों एवं शिक्षकों के संपर्क में आकर वह जीवन के विभिन्न आयाम और तौर तरीके सीखता है, फिर वह तकनीकी जीवन के अगले पड़ाव में आजीविका के साधन जुटाने के तरीके सीखता है एवं इन सब में सबसे महत्वपूर्ण होता है नवाचारों से सीखना, नवाचार को रुचिपूर्ण तरीके से सीखने का सारथी माना जाता है।

1. नवाचार की आवश्यकता:- हमें यह तो पता है कि सीखना व्यक्ति में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यह मानव स्वभाव है कि वह किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु के साथ निरंतर नहीं बना रह सकता उसे हमेशा कुछ नवोन्मेष चाहिए होते हैं। जिसके फलस्वरूप उसका सीखना रुचिपूर्ण बना रहे। वैसे विद्वानों ने कहा है कि यदि परिवर्तनशीलता नहीं होगी तो

सीखने में जड़त्व आ जाएगा और यह बहुत विनाशकारी है इसलिए परिवर्तनशीलता बहुत आवश्यक है और इसी परिवर्तनशीलता को नवाचार कहा गया है।

2. डिजिटल लर्निंग के फायदे :- शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो तथा इसके साथ ही बालक का बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास हो इसके लिए शिक्षकों को ऐसे अवसर छात्रों को प्रदान करवाने चाहिए, जिनसे उनमें छिपी हुई प्रतिभा उजागर हो सकें न जाने किस क्षेत्र में वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार एवं नेतृत्व क्षमता के गुण विद्यमान हों लेकिन प्रतिकूल सामाजिक परिवेश के कारण वह विकसित नहीं हो पा रहा हो। ऐसे बालकों को उचित अवसर प्रदान करना हमारा दायित्व बनता है। उन्हें ऐसा शैक्षिक वातावरण उपलब्ध करवाना जिससे उनकी प्रतिभा खुलकर सामने आ सके। जिससे बालकों में एक विश्लेषणात्मक समझ विकसित हो सके। इसके लिये पारंपरिक शिक्षा पद्धति से हटकर डिजिटल लर्निंग जो कि श्रव्य दृश्य सामग्री की प्रक्रिया पर आधारित है। इस पर बल दिया जाए इससे कक्षा कक्ष में शिक्षण अत्यधिक रुचिकर व संवादात्मक हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सक्रिय रूप से सीखने, सकारात्मक शिक्षण वातावरण विकसित करने, बालकों की शिक्षण तकनीकी के द्वारा अपनी शैक्षिक एवं बौद्धिक गुणवत्ता में बढ़ोतरी करने एवं बोझ रहित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक कक्षाओं में लागू किया जाना चाहिए।

डिजिटल शिक्षा के उद्देश्य:- इस डिजिटल शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों के सीखने की गति में वृद्धि करना है। बालकों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास से शैक्षणिक कौशल में अभिवृद्धि होगी क्योंकि बालक श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से अधिकाधिक शिक्षण अधिगम कर पाएगा। यह शिक्षण रुचिकर होने के

साथ-साथ चिरस्थायी भी होगा संक्षेप में तकनीक की जानकारी शिक्षण व समाज का एकीकरण है। इसके द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास तो होगा ही इसके प्रयोग से बालकों के रचनात्मक कार्यों में भी अभिवृद्धि होगी।

डिजिटल लर्निंग द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता में अभिवृद्धि:- नागरिकों को अपनी संभावनाओं की सर्वोच्चता पर अधिक स्थापित करना गुणात्मक शिक्षा का प्रमुख कार्य है। परंतु वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक एवं सूचनात्मक होती जा रही है। शिक्षा में समग्रता का अभाव है। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु एवं शैक्षिक सुधारों पर बल देने हेतु डिजिटल शिक्षा पर बल दिया जाना अति आवश्यक है। वर्तमान में शिक्षा संक्रमण काल से गुजर रही है। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा तक सीमित न रह कर केवल प्रमाणन तक रह गया है। इसलिए इस शैक्षणिक परिवेश में सुधार करते हुए बालकों में गुणवत्तापूर्ण अभिवृद्धि करने हेतु डिजिटल शिक्षा को अपनाकर बालकों को सीखने की अधिकतम संभावनाएँ उपलब्ध करवानी चाहिए जब पूरी दुनिया के कदम अपने घरों की चारदीवारी तक सिमट के रह गए हैं। ऐसे में ई-लर्निंग के अनेक संसाधन हमारे मौजूद हैं और इनका प्रयोग करके शिक्षा तंत्र को सजीव बनाया जा सकता है।

शिक्षा में नवाचार:- मैं शिक्षा विभाग राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक हूँ। मैं शिक्षा में नवाचारों का प्रबल समर्थक हूँ। इसके सकारात्मक प्रभाव एवं परिणाम मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक उस कारीगर की तरह होता है जो बहुमंजिला आकर्षक इमारत की मजबूत नींव भरने का काम करता है और इसकी नींव को मजबूती से भरने के लिए नवाचार रूपी ईंटों पर बल देता है। नवाचार के माध्यम से हम बालक को कल्पनाशील बना सकते हैं एवं बालक जब किसी कार्य को स्वयं करके सीखता है तो वह

चिरस्थायी होता है एवं बालक रुचिपूर्ण तरीके से सीख पाता है एवं बालक खेल-खेल में तनाव मुक्त शिक्षण कर पाता है।

शिक्षा में नवाचार के कुछ तरीके जो मैंने अपनाएँ:- मैंने प्रारम्भ से ही प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को सिखाने के लिए बहुत से नवाचार किए जैसे टीएलएम. एवं चार्ट के माध्यम से सिखाना, इसके पश्चात बच्चों को एलईडी स्क्रीन पर स्वनिर्मित वीडियो के द्वारा मात्राओं का ज्ञान, अक्षर ज्ञान संख्याओं का ज्ञान, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, जिससे कक्षा का शिक्षण अत्यधिक रुचिकर हो गया। इसके अलावा प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को खिलौनों के माध्यम से सिखाने हेतु खिलौना बैंक स्थापित किया जिससे बच्चे खेल-खेल में सीख सकें। बच्चों द्वारा खेल-खेल में शब्दों को छाँटना व शब्दों को अपनी जगह व्यवस्थित करना ऐसे खेलों से बालकों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ एवं सीखने में वृद्धि हुई। इसके अलावा प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षण प्रारम्भ किया। जो बच्चों के लिए अत्यधिक रुचिकर था जिससे बच्चों में रोचकता, उत्सुकता व झिझक थी। लेकिन आईसीटी के प्रयोग से एवं उसका प्रस्तुतीकरण छात्रों के समक्ष करने से वे अत्यधिक सहज हो गए एवं धीरे-धीरे उनके बौद्धिक स्तर में भी उन्नति होने लगी। एक शिक्षक होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम अपने विद्यार्थियों को ऐसे नवाचारों से रूबरू करवाएं जिससे वह आने वाले समय में इस प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अपने आप को समायोजित कर सकें।

अध्यापक

राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बिल्लू,
मकराना, नागौर (राज.)

मो: 8769042187

भूल सुधार

1. माह सितम्बर 2020 के शिविरा अंक के चित्रवीथिका पर श्रीमान सौरभ स्वामी के स्थान पर श्रीमान सौरभ स्वामी पढ़ा जाए।
2. माह सितम्बर 2020 के शिविरा अंक में पेज नं 74 पर लेखक का नाम अमित शर्मा के स्थान पर अमिता शर्मा पढ़ा जाए।

वरि. सम्पादक

जल संरक्षण

क्यों आवश्यक है जल का संरक्षण एवं संग्रहण

□ प्रियंका पांडिया

वर्तमान समय में मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति, भौतिकतावादी चिंतन एवं अनास्थावादी दृष्टिकोण के कारण पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अति दोहन किया जा रहा है। हमारे देश में उपलब्ध पानी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा दूषित है, अर्थात् पानी की गुणवत्ता के हिसाब से हम 122 देशों में से 120 वें स्थान पर हैं। बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, अत्यधिक मात्रा में खनिज सम्पदा का दोहन, भू-जल दोहन, विषैले रासायनिक पदार्थों एवं उर्वरकों का जल स्रोतों में उत्सर्जन होने से जल संकट निरन्तर बढ़ता जा रहा है, इससे न तो कृषि के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है न ही पेयजल की उचित आपूर्ति हो रही है।

भारत में वर्षा और जल संरक्षण का विशेष अध्ययन करने वाले मौसम विज्ञानी पिशारोटी के अनुसार भारत तथा यूरोप में वर्षा के लक्षणों में कई महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित होते हैं। यूरोप में वर्षापर्यन्त धीरे-धीरे वर्षा लगातार होती रहती है, इसके विपरीत भारत में वर्ष के 8760 घंटों में से सिर्फ औसतन 100 घंटे ही वर्षा होती है और ज्यादातर समय मूसलाधार वर्षा होती है जिससे अधिकांश जल बह जाता है। अतः जल संग्रहण की आवश्यकता हमें यूरोपीय देशों से कई गुना ज्यादा है। हमारे यहाँ होने वाली मूसलाधार वर्षा मिट्टी काटती है एवं बहा ले जाती है तथा समुद्र तट डूबने लगते हैं। धीमी बारिश से जल जमीन में समा जाता है एवं भू-जल स्तर बढ़ता है, लेकिन तेजी से वर्षा के कारण न तो जल भूमि में रिसेगा और न ही एकत्र होगा। अतः स्वाभाविक रूप से कुछ ही समय बाद जल संकट विकराल रूप ले लेगा। बाढ़ की स्थिति एवं कम भू-जल दोनों ही विपदाओं को कम करने के लिए जीवनदायी जल का अधिकतम संरक्षण एवं संग्रहण अति आवश्यक हो गया है-

1. इसके लिए पहला महत्वपूर्ण प्रयास सघन वन एवं हरियाली है, क्योंकि वृक्ष ही वो महत्वपूर्ण कारक हैं जो वर्षा से होने वाली मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं।
2. दूसरा प्रयास यह हो कि वर्षा जल को तालाबों, पोखरों, कुंओं तथा घर में टैंक बनवाकर संग्रहित किया जाए। तालाबों एवं पोखरों के समीप सघन वृक्षारोपण किया

जाकर जल के वाष्पीकरण को कम किया जा सकता है ताकि वर्षापर्यन्त घरेलू एवं खेती के कार्यों हेतु इसका उपयोग किया जा सके।

लगातार बढ़ते शहरीकरण, पक्के निर्माण कार्य, सड़कें तथा सीमेंट युक्त फर्श होने से वर्षा जल जमीन में नहीं जा पा रहा है, जबकि हैण्डपम्प एवं नलकूपों द्वारा भूमिगत जल का लगातार दोहन किया जा रहा है। हाल ही में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के वैज्ञानिकों ने बताया कि भू-जल स्तर में पिछले 10-15 वर्षों में भारी गिरावट आई है।

सार्थक जल नियोजन के लिए अब यह जरूरी है कि निहित स्वार्थों के दबाव की परवाह न करते हुए इस बात को प्राथमिकता दी जाए कि ग्रामीण या शहरी व्यक्ति की प्यास बुझायी जा सके। पानी की इस बुनियादी जरूरत के पूरा होने के पश्चात ही हम दूसरे उपयोग की ओर बढ़ें तो अति उत्तम होगा। कृषि में रासायनिक उर्वरक एवं दवाइयों का उपयोग औद्योगिक प्रदूषण, फसल चक्र एवं खनन कार्यों से भी पेयजल उपलब्धता पर असर होता है। अतः इससे जुड़ी परियोजनाओं पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। हमारे देश में 19,000 गाँव ऐसे हैं जिनमें पीने का साफ पानी भी नहीं है। 16 राज्य ऐसे हैं जहाँ भू-जल में यूरैनियम तत्व की मात्रा खतरनाक स्तर तक है। समय रहते हमें तथा सरकार को जागरूक होना होगा। यूरैनियम की मात्रा को मापने के प्रयास किए जाने चाहिए तथा आमजन में इसके दुष्प्रभावों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। बड़ी आबादी में होने वाले नुकसान को रोकने में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सर्वाधिक भू-जल दोहन वाले कुछ राज्यों हेतु सरकार द्वारा 'अटल भू-जल योजना' नामक एक भू-जल संरक्षण कार्यक्रम बनाया गया है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा हरियाणा में 2022-23 तक लागू करने का प्रस्ताव है। सरकार के इस सराहनीय प्रयास के अतिरिक्त हम सभी नागरिकों को भी जल संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जागरूक हो जाना चाहिए।

वरिष्ठ अध्यापिका

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय
तलवंडी, कोटा (राज.)

मो: 9414286396

सामाजिक चिंतन

सामाजिक समरसता की स्थापना में भारतीय विचिन्तकों का योगदान

□ डॉ. राजरानी अरोड़ा

अरुण यह मधुमय देश हमारा
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता
एक सहारा। —जयशंकर प्रसाद

न्याय की संकल्पना प्राचीनकाल से ही राजनैतिक चिन्तन का विषय रही है परन्तु आधुनिक युग तक आते-आते इसमें मौलिक परिवर्तन आ गया है। पश्चिमी परम्परा के अन्तर्गत न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः 'न्याय परायण व्यक्ति' (Just man) अर्थात् सच्चरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता था। इसमें उन सदगुणों की तलाश की जाती थी जो व्यक्ति को न्याय की ओर प्रेरित करते हैं। भारतीय परम्परा में भी मनुष्य के धर्म को प्रमुखता दी जाती थी इन दोनों परम्पराओं के साथ यह मान्यता जुड़ी थी कि यदि सब व्यक्ति अपने-अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो समाज व्यवस्था अपने आप न्यायपूर्ण होगी। अब यह माँग की जाती है कि पहले समाज व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाने पर ध्यान देना चाहिए तभी व्यक्ति को आत्मविकास (Self Development) का अवसर मिलेगा। आज के युग में विशेषतः समाजवादी चिन्तन की प्रेरणा से यह सोचा जाता है कि 'न्यायपूर्ण समाज' कैसा होना चाहिए? इसका ध्येय बनी बनाई व्यवस्था को बनाए रखना नहीं है, बल्कि आधुनिक चेतना के अनुरूप सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है। जहाँ परम्परागत दृष्टिकोण का मुख्य सरोकार व्यक्ति के चरित्र (Individual Character) से था वहाँ आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय से है।

सामाजिक न्याय मुख्यतः समाज के वंचित वर्गों की दशा सुधारने की माँग करता है ताकि उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल सके। सामाजिक समरसता की स्थापना करने के लिए भारतीय महापुरुषों, राजनीतिज्ञों व समाज सुधारकों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। इसी क्रम में हम भारतीय विचारकों का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहेंगे जिन्होंने भारत को

सुखी व समृद्ध जीवन देने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। वर्तमान सुदृढ़ सामाजिक स्थिति के पोषक व पुरोधा जिनका उल्लेख विश्व विख्यात है।

महात्मा गाँधी : महात्मा गाँधी मूल रूप से एक आध्यात्मिक संत थे, जिनका मूल उद्देश्य धार्मिक जीवन व्यतीत करना था। वे मानवता की सेवा को ही वास्तविक धर्म समझते थे। उनका कहना था कि सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय चाहता है। वह प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ तक कि दुर्बल व्यक्ति का भी सामाजिक हित चाहता है और अच्छे जीवन के लिए यह आवश्यक भी है। सामाजिक वर्ग का वह दबा कुचला हिस्सा जिसे ऊपर उठाना ही न्याय की संकल्पना है। गाँधीवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है लेकिन वे केवल अहिंसात्मक साधनों का प्रयोग करने के पक्ष में थे।

समाज सुधार के क्षेत्र में गाँधीजी के विचार और कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं उनके अनुसार जीवन एक सम्पूर्ण इकाई है और हम उसे राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक आदि भागों में बाँट सकते हैं। उनका कहना था समाज सुधार का कार्य राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ-साथ चलना चाहिए। सामाजिक कुरीतियों को दूर करना नितान्त आवश्यक है। गाँधी में मार्क्सवादी अहिंसात्मक विचारों का रूप देखने को मिलता है। समाज सुधार की दृष्टि से अस्पृश्यता का अंत करना चाहते थे। देश को साम्प्रदायिक एकता के रूप में बाँधना उनका आदर्श था। राजाराम मोहन राय के बाद स्त्री सुधार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले महात्मा गाँधी थे। उनका कहना था कि स्त्रियों को कमजोर कहना उनके प्रति अन्याय और उनका अपमान है।

उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास है। वे भी सहसम्बन्ध के सिद्धांत (Theory of Correlation) का समर्थन करते थे। आज भी

शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए इस पर उच्च स्तर पर योजनाएँ बन रही हैं। प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में पढ़ाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। वे शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बल देते थे और स्वावलम्बन की शिक्षा से मानव जीवन को सुधारने के पक्ष में थे।

गाँधी और मार्क्स : दो महान विचारकों और उनकी विचारधाराओं (गाँधीवाद और मार्क्सवाद) की तुलना की जाए तो दोनों में आधारभूत अन्तर नहीं है उनका ध्येय एक ही है केवल साधनों में अन्तर है। कहा जाता है कि गाँधी जी हिंसा को निकालकर साम्यवादी थे। वर्गहीन, राज्यहीन, मानवतावादी दर्शन, पीड़ित पक्ष के समर्थक और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के संवाहक गाँधी जी देश के महानायकों में से एक थे। कार्ल मार्क्स की टिप्पणी सही है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के आगमन से सामंती व्यवस्था के टूटने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और अनजाने में ही भारत ने नये युग में प्रवेश किया जिसे मार्क्स अभिनव सामाजिक क्रान्ति के सूत्रपात के रूप में देखता है। 19वीं सदी में भारत में समाज सुधार आंदोलनों की प्रक्रिया तेज हुई जैसे- ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसायटी आदि। 20वीं सदी की हिन्दी कविता की शुरुआत 'भारत-भारती' से हुई थी। भारतेन्दु ने भारत की स्थिति का सुन्दर शब्दों में दर्द व्यक्त किया है-

जिसकी अलौकिक कीर्ति से उज्ज्वल हुई
सारी मही,
था जो जगत का मुकुट, है क्या हाय! यह
भारत वही।

दोनों विचारकों के सम्बन्ध में किशोरीलाल मशरूवाला लिखते हैं-'गाँधी और मार्क्स दोनों में सामान्य बिन्दु यह है कि दोनों मानव जाति के दबाये व सताये हुए, साधनहीन तथा अनभिज्ञ, गूंगे तथा भूखे वर्गों के लिए अत्यधिक चिंतित हैं।' कुछ असमानताओं के होते हुए भी समान रूप से सामाजिक उत्थान के लिए भरसक प्रयत्न किए जिसके

परिणामस्वरूप समाज में कई बदलाव देखने को मिले। मार्क्सवाद का दूसरा रूप साहित्य में प्रगतिवाद रहा (1936) जिसे भारत में स्थापित करने वाले मुंशी प्रेमचंद थे।

‘साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति होना चाहिए।’ – प्रेमचंद

अन्य साहित्यकारों में बालकृष्ण शर्मा नवीन, निराला, दिनकर, मेथिलीशरण गुप्त, सुमित्रानन्दन पंत आदि कवियों ने अपनी वाणी से समाज को जगाने का अथक प्रयास किया है। इन सुधि साहित्यकारों ने शोषण के विरुद्ध कलम उठाई जिसका आम जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक उदाहरण –

**कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ,
जिससे उथल-पुथल मच जाए।
एक हिलोर इधर से आए,
एक उधर से आए।।**

– बालकृष्ण शर्मा नवीन

इस प्रकार महात्मा गाँधी एक नए राष्ट्र की स्थापना करने में मील के पत्थर साबित हुए। आगे चलकर अन्य समाज सुधारकों ने देश के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिन्दी साहित्य के इतिहासकार डॉ. नगेन्द्र का मत है कि- ‘प्रगतिवाद समाज की साहित्यिक अभिव्यक्ति है।’ आज के समाज में बहुत से परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं जो गाँधी जी की अमूल्य देन कही जा सकती है।

शिक्षा के क्षेत्र में योगदान – गाँधी जी ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है। क्योंकि ‘प्राथमिक शिक्षा ही एकमात्र ऐसी शिक्षा है जो हमारी ग्रामीण जनता के एक छोटे से भाग को उपलब्ध है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम ग्रामीण जीवन को सुधारना चाहें तो हमें माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा से संबद्ध करना चाहिए हम देशवासियों के सम्मुख जो भी शिक्षा योजना प्रस्तुत करें वह मूलतः ग्रामवासियों के लिए होनी चाहिए।’ प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी अपनी योजना प्रस्तुत करते हुए गाँधी जी ने कहा- ‘मैं चाहता हूँ कि सम्पूर्ण शिक्षा किसी हस्तकला अथवा उद्योग के माध्यम से दी जाए।’ गाँधीजी बुनियादी शिक्षा व रोजगारपरक शिक्षा पर बल देते थे। अपनी शिक्षा योजना के अर्थ प्रबन्ध अर्थात् वित्त सम्बन्धी क्रियाओं के विषय में गाँधीजी के अत्यंत स्पष्ट

विचार थे। उनका कहना था कि, ‘यदि बालक अपने श्रम द्वारा अपनी शिक्षा संबंधी व्यय जुटाए तो वे आत्मविश्वासी तथा साहसी बनेंगे।’ शिक्षा से समाज में व्यापक परिवर्तन होता है। अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति भी भारतीय जनमानस पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखकर बनाई गई। जब देश के राजनैतिक ढाँचे में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो नई व्यवस्था के मूल में शिक्षा होती है तथा नई व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। शिक्षा का यह स्वरूप प्राचीनकाल में औपचारिक कम तथा अनौपचारिक अधिक था। आधुनिक समाज में शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों साधनों को प्रयुक्त किया जाता है। महान व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन लाते हैं उनके शिक्षा देने के साधन भिन्न-भिन्न होते हैं।

टैगोर ने शांति-निकेतन की स्थापना करके सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया। महात्मा गाँधी ने राजनैतिक चेतना जाग्रत करने के लिए कांग्रेस के मंच का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कर भारतीय समाज में क्रांति लाने का प्रयत्न किया ये सब शिक्षा के अन्तर्गत ही आते हैं। शिक्षा व्यवस्था अपनी विभिन्न स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से वांछित सामाजिक परिवर्तन को दिशा और गति प्रदान करती है।

डॉ. कामता प्रसाद पाण्डेय ने शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन की विवेचना करते हुए बताया है, ‘शिक्षा के तीन मुख्य कार्य हैं, जो सामाजिक परिवर्तन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं।’

1. संरक्षणात्मक (Conservative) कार्य: जिसके द्वारा समाज की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना मुख्य ध्येय होता है।

2. संरचनात्मक (Transmission) कार्य: जिसके द्वारा संरक्षित सांस्कृतिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करने का प्रयास किया जाता है।

3. उन्नयनात्मक (Progressive) कार्य: जिसके अन्तर्गत नवीन ज्ञान प्रदान करना मुख्य कार्य होता है। जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन एवं गतिशीलता आ सके।

इसी बात को स्पष्ट करते हुए स्टीड्स ने कहा है, ‘शिक्षा समाज संरक्षित रखने का एक

यंत्र से भी कहीं अधिक है। वह उसके वृद्धि या विकास का माध्यम है। शिक्षा समाज को तीन प्रकार से लाभान्वित करती है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक नियंत्रण कायम रहता है।’ इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा ही समाज का आधार है और इन महापुरुषों ने शिक्षा के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। सच ही कहा है- ‘शक्ति के बिना न्याय पंगु है। न्याय के बिना शक्ति अत्याचार का साधन है।’

भारत में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की शिक्षा

आर्थिक रूप से वंचित वर्ग – भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए गए हैं। भारतीय संविधान ने 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया था और इस लक्ष्य को 10 वर्षों में प्राप्त करना था। संविधान के लागू होने के 60-65 वर्ष बाद भी हम इस लक्ष्य को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए 1 अप्रैल 2010 में बच्चों के लिए इसे निःशुल्क लागू कर दिया गया है। केन्द्र सरकार ने राज्यों को प्राथमिक स्तर तक सभी छात्रों को मुफ्त किताबें देने के निर्देश दिए हैं जिसे कुछ राज्यों ने पूर्णतः और कुछ ने अंशतः लागू किया है इसमें विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से भी सहायता प्राप्त हो रही है। इस योजना से हर गरीब व्यक्ति शिक्षा से जुड़ सका है। हर वर्ग का बालक इस योजना का लाभ ले रहा है।

सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग – भारत में अनेक जातियाँ व जनजातियाँ हैं। कुछ समय पूर्व तक उन्हें अछूत माना जाता था। ये जातियाँ सामाजिक सुख-सुविधाओं से वंचित कर दी गईं। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग सामाजिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण आर्थिक दृष्टि से निर्बल व वंचित हो गया। भारत के संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 45 के तहत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से देश के सभी बच्चों को उपलब्ध कराने का प्रावधान भी दिया गया। इस देश में कई राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनाई गईं। क्रमशः 1968, 1986, 1991 तथा कार्य योजना 1992, 1993 भी थी जो शिक्षा को अनिवार्य बनाने में सहयोगी बनें। 1997 में 86 वाँ संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को

बच्चों का मौलिक अधिकार माना गया। इस प्रकार भारत में शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ।

जातियों और जनजातियों को अवसरों की समानता के लिए साधन-

संवैधानिक संरक्षण- अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग संस्थान, छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास, समाज कल्याण योजनाएँ, बालिका आवासीय विद्यालय, विदेश स्तर की छात्रवृत्तियाँ आदि के द्वारा इन को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार हर वर्ग की शिक्षा व्यवस्था को उन्नत करने में हमारे महापुरुषों का अथक प्रयास रहा है, अतुलनीय योगदान रहा है जिसके द्वारा समाज व देश का विकास हो रहा है। आज शिक्षा के माध्यम से हर वर्ग देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। सामाजिक न्याय की स्थापना में शिक्षा व शिक्षाविदों का अमूल्य सहयोग रहा है।

निष्कर्ष- निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इन समाज सुधारकों ने जो देश को राह दिखाई, हम आज भी उनका अनुसरण कर रहे हैं। समाज में अब कुछ-कुछ सुधार दिखाई दे रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो चाहे वह आरक्षण की बात हो या शिक्षा के अवसरों की, महिला हो या पुरुष सभी को समान अवसर मिल रहे हैं। विभिन्न योजनाएँ, छात्रवृत्तियाँ और अनेकानेक लाभकारी सरल तरीकों से समाज को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिससे देश के विकास की दिशा में अग्रसर है। वर्तमान पूंजीवादी परिस्थितियों में धर्म के अनुसार नहीं कर्म के अनुसार शक्ति संवर्धन हो रहा है। आम आदमी सरकारी योजनाओं से जुड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, कानून हर वर्ग की पहुँच तक आ रहा है और आम आदमी इसका लाभ ले रहा है। वे महापुरुष जो हमारा मार्ग प्रशस्त कर गए उन पुरोधाओं को हमारा शत-शत नमन। अन्त में कहना चाहूँगी-

**तन को दें आहार अन्न का,
मन को चिंतन का अधिकार।
तन-मन दोनों बढ़े अगर तो,
चमक उठे सचमुच संसार।।**

प्रधानाचार्य
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय
खण्डेला, सीकर (राज.)
मो: 9460863798

स्काउट गाइड

शिक्षा के क्षेत्र में स्काउटिंग का महत्व

□ चान्द मोहम्मद कलर

शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक सहगामी प्रवृत्ति है स्काउटिंग। जिससे जुड़कर हर एक आयु वर्ग के बालक-बालिका लाभान्वित होते हैं। 5-10 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक-बालिका कब और बुलबुल कहलाते हैं। 10 से 18 साल तक के बालक स्काउट तथा बालिका गाइड की संज्ञा प्राप्त करती है। इसी प्रकार 16 से 25 वर्ष तक के युवा बालक रोवर एवं बालिका रेन्जर कहलाती है। विभिन्न आयु वर्ग की रुचियों एवं आवश्यकता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम एवं गतिविधियाँ निर्धारित की गई हैं।

स्काउट गाइड प्रवृत्ति बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व में सहायक है। इनके पाठ्यक्रम में दक्षता बैजों के समावेश द्वारा विभिन्न सद्गुणों का संधारण किया जाता है। दक्षता बैजों का वर्गीकरण स्वास्थ्य, कौशल, स्वावलम्बन और चरित्र आधारित है। जिनसे प्रभावित होते हुए बालक-बालिका सम्पूर्ण विकास को प्राप्त कर एक सुयोग्य नागरिक बनता है।

1907 में राबर्ट स्टीफेन्सन स्मिथ बेडेन पावेल ने बाउन सी द्वीप पर 20 बालकों के साथ स्काउटिंग प्रारम्भ की जो वर्तमान में विश्व के लगभग 217 देशों में संचालित होकर विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है जो बिना जाति, धर्म, वर्ग, सीमाओं के सभी के लिए खुला अराजनैतिक संगठन है। सेवा की भावना का उद्योदय बाल मस्तिष्क में कर मानवीय संवेदनाओं का धारा प्रवाह समाज में बना रहे इस हेतु बालक-बालिकाओं के लिए शिविरों एवं विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

भारत स्काउट व गाइड की राज्य शाखा राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर राजस्थान शिक्षा विभाग की मुख्य सहशैक्षणिक गतिविधि है जिससे राजस्थान के शिक्षण संस्थान जुड़कर अपने बालक-बालिकाओं के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। शिविरों द्वारा विभिन्न गुणों का निर्माण एवं स्थायित्व बालक में पैदा

होता है जो पुस्तकीय ज्ञान न होकर धरातलीय है। भारत भ्रमण, बाहरी एवं धरातलीय क्रीडाओं, वन भ्रमण द्वारा प्रकृति का सामीप्य, मेलों आदि द्वारा सेवा कार्य, समाज सेवा शिविरों द्वारा समाज से जुड़ाव, सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं में योगदान द्वारा बालक-बालिकाएँ स्वयं को वर्तमान समय के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण समझने लगता है और अपने कर्तव्य बोध के साथ राष्ट्र निर्माण में संलग्न होता है।

2009 की राष्ट्रीय जम्बूरी अहमदाबाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि बालक जब स्काउटिंग में प्रवेश करता है तो अपनी गणवेश स्वयं के रुपयों से खरीद कर प्रवेश करता है और वो देने की भावना से संगठन में प्रवेश करता है और जो देने की भावना से प्रवेश करता है तो वो लेना नहीं चाहता।

स्काउट गाइड अपनी योग्यता वृद्धि के तहत राज्य पुरस्कार के रूप में राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित होता है तत्पश्चात राष्ट्रपति पुरस्कार की ओर अग्रसर होता है। राष्ट्रपति अवार्ड में भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा समारोह में सम्मानित किया जाता है। जिनका कई जगह सैद्धांतिक फायदा स्काउट गाइड को होता है।

बोनस अंकों को दरकिनार रखते हुए आओ हम बालकों के बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास में सहायक हो कर उनके साथ स्काउट गाइड प्रवृत्तियों से जुड़ें। 1956 के तत्पश्चात राजस्थान में राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन 3 से 9 जनवरी 2015 जयपुर में आयोजित होना प्रस्तावित था लेकिन किन्हीं प्रशासनिक कारणों से जम्बूरी नहीं हो पाना खेदजनक है फिर भी आगे हम प्रयासरत हैं जिसमें सात शार्क देशों सहित सम्पूर्ण भारत के लगभग 30,000 स्काउट गाइड भाग लेंगे। स्काउट भावनाओं सहित.....

स्काउटर
राजकीय माध्यमिक विद्यालय जैसलमेर (राज.)
मो: 9462367480



राजस्थान रा रूख

लेखक: अर्जुन दान चारण, प्रकाशन वर्ष: 2019, प्रकाशक: अर्जुन दान चारण, करणी कृपा, करमावास, बाड़मेर, मूल्य: ₹200।

‘राजस्थान रा रूख’ पुस्तक के लेखक श्री अर्जुनदान चारण, करमावास, बाड़मेर के वासिन्दा हैं। वन विभाग, राजस्थान सरकार के उपवन संरक्षक पद से सेवानिवृत्त हैं। आप वन विभाग के अनुभवी एवं परिश्रमी अधिकारी रहे हैं। वनों के विभिन्न प्रकार के पौधों, फलों एवं फूलों तथा पेड़ों के आप पारखी हैं। विभिन्न वन्य प्राणियों की रखवाली तथा वन्य प्राणियों की जनोपयोगिता के बारे में जागरूक पर्यावरण प्रेमी हैं। श्री अर्जुनदान चारण की हिन्दी और राजस्थानी साहित्य के पठन-पाठन की रुचि है। आपकी अनेक रचनाएँ राजस्थान एवं हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अनेक आयोजनों में आपने सक्रिय भागीदारी निभाई है। अडवों एवं चर-भर आप की दो राजस्थानी पुस्तकों का पूर्व में प्रकाशन हो चुका है। ये लघुकथाओं का संग्रह है। ‘राजस्थान रा रूख’ पुस्तक अपने आप में अलग है।



आदमी चारों तरफ अनेक पेड़-पौधों को आमतौर पर सरसरी दृष्टि से देखता है। परन्तु उसकी गहराई में नहीं जाता। इसकी उपयोगिता को नहीं जानता है। उस पेड़ का इतिहास नहीं जानता। उसकी जाति को नहीं जानता। इस कारण आम आदमी पेड़ों के रखरखाव पर उचित ध्यान नहीं दे पाता। खाद और पानी देने के प्रति क्रियाशील नहीं रहता। अपने आसपास या खेतों में पेड़ों की विभिन्न प्रजातियों को नहीं देखा। परन्तु जिसके घर में या खेत में नाना प्रकार के पेड़-पौधों की खुशबू आती है, वह स्थान रमणीक होता है। अमूमन मंदिरों में ऐसा पाया जाता है। ऐसे घर या

मंदिर में जाने पर मन प्रसन्न हो जाता है। जिस घर में हरियाली होती है, वह घर सभ्य एवं सुशोभित होता है। घर का वातावरण सौम्य एवं सुखद होता है। मन मस्तिष्क प्रसन्न रहता है।

इस पुस्तक की भूमिका ‘रूख-सतसई’ लेखक लक्ष्मणदान कविया द्वारा लिखी गई है। लेखक ने इस पुस्तक में 51 वृक्ष, 3 घास तथा 10 झाड़ियों का वर्णन किया है। सभी पेड़ों के देशी नाम, अंग्रेजी नाम तथा संस्कृत नाम देने से पेड़ की पहचान आम आदमी तक हो गई है। छात्रों, शोधार्थियों तथा पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी संदर्भ पुस्तक का काम करती है। लेखक ने अपनी पुस्तक माँ भगवती को समर्पित की है। माँ भगवती ने देशनोक ओरण की स्थापना करके बहुत बड़ी वन संपदा को बसाया एवं बचाया है। पुस्तक का श्री गणेश अनार से किया जिसका वैज्ञानिक नाम पुनिका ग्रेन्टम तथा संस्कृत नाम लोहित पुष्पक है। यह एक गुणकारी एवं लाभकारी फल है जिसके बीज भी गुणकारी होते हैं। अमरूद को बोलचाल में जामफल भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम सिडियम गुजावा है। पौधे की लम्बाई 4 से 7 मीटर तक होती है। फूल सफेद या गुलाबी होते हैं। खाने में स्वादिष्ट एवं गुणकारी होते हैं। पत्तियाँ भी आयुर्वेद दवा में काम आती हैं। आक रेगिस्तान में हर तरफ पाया जाता है। परन्तु उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। लेखक ने आक का मान बढ़ाया है। संस्कृत में इसे अर्क कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम केलोटोपिस प्रोसेरा है। ऊँचाई 2 से 3 मीटर होती है। पत्तों, फूल, दूध, बीज, रूई, छाल सबका सटीक वर्णन एवं उपयोग लिखा है।

मैन्जीफेरा इण्डिका अर्थात् ‘आम’ एक फलदार वृक्ष है। यह फल सर्वत्र पाया जाता है। आम फलों का राजा है। लम्बाई 10 से 20 मीटर तक होती है। कच्चे फल को कैरी कहते हैं। आम से अमचूर, आम पापड़, रस आदि गुणकारी चीजें बनती हैं। इसकी गुठली और फूल भी दवाइयाँ बनाने में काम आती हैं। इस प्रकार से सभी वृक्षों का वर्गीकरण वैज्ञानिक तरीके से किया है। विद्वान लेखक पौधों के पारखी हैं। पेड़-पौधों के साथ-साथ घास का भी वर्णन किया है। पश्चिमी राजस्थान में सेवण घास पशुओं का सर्वश्रेष्ठ आहार है। दुख की बात है कि यह घास विलुप्त

होती जा रही है। सेवण के संग्रह को ‘बागर’ कहते हैं जो वर्षों तक अकाल के समय काम आती है। हालांकि अब इसका प्रचलन कम होता जा रहा है। सेवण घास का अंग्रेजी नाम लेसियूइस हिरसुइस है। धामण भी इसी प्रकार मीठी एवं पौष्टिक घास है। लेखक ने सभी पेड़ व पौधों के बहुरंगी फोटो भी दिए हैं।

श्री चारण ने अंतिम कवर पर रोहिणी का पेड़ छाप कर पुस्तक का आकर्षण बढ़ा दिया है। यह सुदर्शन पेड़ है। लाल-लाल फूलों से लदा पेड़ बड़ा नयनाभिराम लगता है। इसकी लकड़ी कीमती होती है इससे फर्नीचर बनता है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर छापकर इस पेड़ का गौरव समझाया है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। संस्कृत में शमी वृक्ष कहते हैं। खेजड़ी राजस्थान का सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है। सांगरी की सब्जी गुणकारी होती है एवं राजस्थान की प्रसिद्ध सब्जी है। इस पेड़ के पत्तों के झड़ने से बनने वाली खाद जमीन को उपजाऊ बनाती है। इसके पत्तों में प्रोटीन होता है जो ऊँट, भेड़, बकरी आदि के लिए उपयोगी होती है।

श्री अर्जुन दान जी वन विभाग के ज्ञानी अधिकारी रहे हैं। किसान परिवार से जुड़े होने के कारण ग्रामीण जन जीवन में पेड़ पौधों के उपयोग का उचित तरीके से वर्णन किया है। अमलतास, अरंड, अर्जुन, आँवला, कूमठ, खीप, ग्वारपाठा गूदा, गुलमोहर, जामुन, धतूरा, नीम, पलाश, पीपल, फोग, बेर, रतनजोत, शीशम, सरेष आदि 51 पेड़, 10 झाड़ियाँ एवं 3 घास का आम आदमी के दैनिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर वर्णन किया है। सचित्र वर्णन ने पुस्तक को अधिक चित्ताकर्षक बना दिया है।

पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। विद्यार्थी एवं विद्वानों दोनों के लिए संदर्भ सामग्री है। वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए प्राथमिक शिक्षा है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए संदर्भ प्रश्नोत्तरी सार है। मायड़ भाषा राजस्थानी में लिखकर इस पुस्तक को अधिक लोकप्रिय बना दिया है। श्री चारण का स्थान अब विद्वान पर्यावरण प्रेमियों में हो गया है। मैं लेखक की सामग्री चयन की दृष्टि और सिलसिलेवार वर्णन तथा बहुरंगी चित्रों के साथ प्रकाशन के लिए

बहुत-बहुत बधाई देता हूँ तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

समीक्षक: **पृथ्वी राज रतनू**

(सचिव, सेवानिवृत्त)

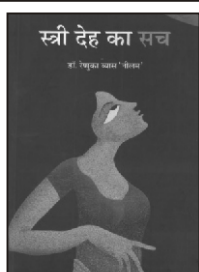
राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, बीकानेर

मो: 9414969200

स्त्री देह का सच

लेखक: डॉ. रेणुका व्यास 'नीलम', प्रकाशक: बोधि प्रकाशन, 22 गोदाम रोड, जयपुर-302006, संस्करण: 2019, पृष्ठ संख्या: 112, मूल्य: ₹ 200।

‘स्त्री देह का सच’ डॉ. रेणुका व्यास ‘नीलम’ का ऐसा निबंध-संग्रह है जिसके सभी सोलह निबंध स्त्री जीवन से जुड़े ज्वलंत प्रश्नों को बड़े बेबाक तरीके से उठाते हैं।



इंसानी तहजीब की पूरी तारीख पर नजर डालते हुए हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि समाज की धुरी होने के बावजूद औरत आज भी ऐसी निरीह प्राणी क्यों है कि जिस पर हर कोई अपनी हुकूमत जताना चाहता है? यह सच है कि हमारी तहजीब और हमारे संस्कार औरत के लिए आदर्श बेटी, आदर्श बहिन और आदर्श पत्नी के ऐसे मानदंड तय करते हैं जहाँ उसकी जबान बंद और आँखें नीची रहे। लेखिका सवाल उठाती है कि जब धर्म के सामने बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणी समान हैं तो फिर स्त्री के साथ दोगली दर्जे का बर्ताव क्यों? उनके अनुसार इसका जवाब हमारी पितृसत्तात्मक सोच में छिपा है।

तीन खंडों में बंटे इस निबंध संग्रह के पहले भाग में हमारी पितृसत्तात्मक सोच और सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था से जुड़े बहुत सारे मुद्दों पर बात की गई है। ‘अपनी तलाश में स्त्री’, ‘धर्म की आड़ में स्त्री शोषण’, ‘स्त्री देह का सच’, ‘आज के स्त्री के प्रश्न’, ‘21वीं सदी और नयी स्त्री’, ‘स्वतंत्रता और नैतिकता के सवाल’ ऐसे ही निबंध हैं। दूसरे खंड के निबंध बलात्कार, घरेलू हिंसा, मी टू अभियान, प्रकृति का शोषण और समाज में कम होती स्त्रियों की बात करते

हुए, हमारे समाज की कड़वी सच्चाइयों को न केवल खोलकर हमारे सामने रखते हैं, बल्कि उनके लिए जिम्मेदार कारणों पर भी विचार-विमर्श करते हैं। तीसरे खंड के शुरूआती दो बड़े निबंधों में आजादी से पहले स्त्री शिक्षा और स्त्री जागरण के इतिहास तथा पर्यावरण संरक्षण में स्त्रियों के योगदान को बड़ी तसल्ली से सिलसिलेवार पेश किया गया है। मीरा के काव्य में स्त्री-चेतना के बीजों की भी खूबसूरती से पड़ताल हुई है। अंतिम दो निबंध क्रमशः पत्रात्मक और आत्मकथात्मक शैली में हैं जो समाज में स्त्री की स्थिति का खुलासा भी करते हैं तो उसे राह भी सुझाते हैं।

लेखिका कहती हैं कि स्त्री को लंबे अरसे तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। सोचने की बात है कि जब किसी का अस्तित्व ही दांव पर हो तो वह कैसे अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकता है? स्त्री और पुरुष जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों की अपनी अहमियत है। स्त्री, स्त्री बनी रहे, उसमें स्त्रियोचित गुण बरकरार रहें यह बात अधिक महत्वपूर्ण है। पुरुष जैसी बनने या पुरुष के विरोध में खड़ी होने में उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसकी अहमियत इस बात में है कि वह समाज और जिंदगी में एक गरिमापूर्ण स्थिति प्राप्त करे। अपने गुणों जैसे-प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य और रचनात्मकता के साथ एक विवेकपूर्ण व्यक्तित्व की मालिक बने। जब डॉ. रेणुका व्यास कहती हैं कि ‘अपनी तलाश में निकली स्त्री को आज एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि स्त्री का सारा संघर्ष अमानवीय रीतियों-नीतियों और दोगली सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध है, पुरुष के विरुद्ध नहीं (अपनी तलाश में स्त्री-पृष्ठ 16) तो वे आज आधुनिकता की अंधी दौड़ सरपट भागती औरत को एक पल रुक कर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। वे स्त्री को उकसाती हैं कि वह विचार करे कि उसकी आजादी का असली मतलब क्या है?

आज के सरमायादाराना निजाम और बाजारवाद के बदलते समीकरण ने औरत को छद्म आजादी के ख्वाब दिखाकर उसके शोषण के नए रास्ते खोल दिए हैं। इस पर हमारे दिलो-दिमाग को झकझोरते हुए लेखिका का कहना है ‘यहाँ

स्त्री को सोचने की जरूरत है कि वह बाजार का उपयोग कर अपनी स्वतंत्रता का उद्घोष कर रही है या फिर बाजार स्त्री के शरीर का उपयोग करके धन कमा रहा है? क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों से आगे की राह निकलेगी।’ (आज के स्त्री प्रश्न-पृष्ठ 34)

डॉ. रेणुका व्यास की कलम ने स्त्री विमर्श के हर उस पहलू को उठाया है जो स्त्री चेतना को मथता है और हमें परेशान करता है। उनकी कलम की धार उस वक्त बहुत तेज और तंज में डूबी हुई होती है, जब वे समाज में औरत और मर्द के लिए दोहरे मानदंडों की बात करती हैं। ऐसे में पढ़ने वालों की आँखों में आँखें डाल कर वे सीधा सवाल दागती हैं-‘सोचने की बात है कि जब जीवन स्त्री-पुरुष दोनों के सहयोग से चलता है तो केवल स्त्री के लिए ही व्रत-उपवास की यह व्यवस्था क्यों? आज जब कन्या भ्रूण हत्या के कारण कन्याओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है और स्त्री के लिए जीने की स्थितियाँ अत्यंत विकट हैं तब भी क्या कोई भाई या पिता अपनी बहन या बेटी की लंबी आयु और सुखद जीवन के लिए ऐसा व्रत करता देखा जाता है? कल्याण-कामना करना अच्छी बात है, की जानी चाहिए, पर जब कल्याण-कामना का यह जिम्मा सिर्फ स्त्री के ही कंधे पर पड़े तो धर्म की नीयत पर शक होता है। क्या पुरुष को किसी भी रूप में स्त्री की कोई जरूरत नहीं?’ (धर्म की आड़ में स्त्री शोषण-पृष्ठ 23)

कहीं-कहीं तो जुमले इतने सार्थक और हमारे दिल के करीब हैं, कि पढ़कर लगता है कि ये हमारे ही दिल की आवाज हैं जिसे लेखिका ने अपनी कलम से लिख दिया है। वे लिखती हैं-‘लोग क्या कहेंगे? कहाँ जाऊँगी? बच्चों का और मेरा क्या होगा? ये सामाजिक और आर्थिक दबाव स्त्री के पाँवों को घर की दहलीज में बार-बार खींच लाते हैं और उसे पितृसत्तात्मक मानसिकता की हिंसा झेलने के लिए बाध्य करते हैं। ‘जा देखता हूँ कहाँ जाएगी? से शुरू हुआ पुरुष का घमंड आ गई ना धक्के खाकर पहुँचकर मूँछों को ताव देने की मुद्रा में सवाया हो जाता है। यही सवाया हुआ पुरुष का जोश स्त्री हिंसा को कभी न समाप्त होने वाली समस्या बना देता है। (घरेलू हिंसा-एक भयावह सच-पृष्ठ 64)

आज जिंदगी के हर मैदान में स्त्री शोषण की शिकार है। कानून और सरकारों की हिमायत के बावजूद स्त्री अपने और परायों से नए-नए जख्म खा रही है। हिंसा और अपमान झेलने के अलावा आज का सबसे बड़ा मसला स्त्री का यौन शोषण है। जिस पर लेखिका ने खुल कर लिखा है और पितृसत्तात्मक समाज की कुंठित सोच को बेनकाब किया है। यह बात एकदम सच है कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती हुई औरत, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की सड़ी-गली मानसिकता के लिए एक चैलेंज है। पितृसत्तात्मक मानसिकता की कुंठा, उसे अपमानित करके ही निकलती है। बलात्कार, यौन-हिंसा तथा अन्य प्रताड़नाएँ इसी मानसिकता का परिणाम है।

निबंध तभी कामयाब होते हैं जब वे हमें कोई नई सोच या फिक्क दें और हमारी समझ के दायरे को बढ़ाएँ। 'स्त्री देह का सच' के निबंध ये दोनों काम बखूबी करते हैं। लेखिका के प्रश्न सिर्फ समाज से ही नहीं हैं। वे स्त्री से मुखातिब हैं। लेखिका कहती हैं कि स्त्री खुद अपने बारे में क्यों नहीं बोलती? वह कब तक चुप रहेगी? (हालांकि अब खामोशी टूटने लगी है) यहाँ मुझे फैज एहमद फैज का एक शेर याद आता है। जिसमें उन्होंने दुनिया के तमाम मजलूमों और बेबसों को ललकारते हुए कहा था—

‘ऐ जुल्म के मारों लब खोलो,
चुप रहने वालों चुप कब तक?
कुछ हथ्र इनसे उठेगा,
कुछ दूर तो नाले जाएँगे।’

यह शेर स्त्री के लिए एकदम सटीक है।

डॉ. रेणुका की कलम पर सन् 1942 में जन्मी उपन्यासकार, कवयित्री और स्त्री-विमर्श पर बेबाकी से कलम उठाने वाली प्रख्यात लेखिका प्रभा खेतान का असर देखा जा सकता है। लेखक की तहरीर से उसकी शख्सियत पहचानी जाती है। डॉ. रेणुका व्यास की शख्सियत की बेबाकी उनके निबंधों में छुपी हुई है। आप उन्हें बोलते हुए सुनिए या उनके निबंध पढ़िए तो दोनों चुगली कहते हैं कि उनके पीछे एक बेबाक व्यक्तित्व मौजूद है। एक मिसाल देखिए— ‘मी टू के माध्यम से अगर आज स्त्री चिल्लाकर अपनी पीड़ा सबके सामने कह रही है, तो इसके चटखारे मत लीजिए। इसकी सच्चाई पर प्रश्न भी

मत उठाइए, बल्कि स्त्री की इस चीख के पीछे छिपी पीड़ा को समझिए। उनके तन और मन के घावों को महसूस कीजिए और प्रयास कीजिए स्त्री को ऐसा समाज देने का, जो उसके व्यक्तित्व का सम्मान कर सके। वरना हो सकता है यह चीख स्त्री के पास अपने अहिंसात्मक विरोध का अंतिम अस्त्र हो। स्त्री अपने अस्तित्व की लड़ाई में अब लौटकर पीछे तो नहीं जाएगी यह तो तय है। ऐसे में किसी मजबूर के अपनी रक्षा के अंतिम अस्त्र के असफल हो जाने का अर्थ तो आप जानते ही हैं ना। (मी टू के बहाने से पृष्ठ- 72)

सारांश के तौर पर हम कह सकते हैं कि डॉ. रेणुका व्यास की कलम ना केवल स्त्री विमर्श के अनछूए पहलुओं पर बात करने की सलाहीयत रखती है, बल्कि स्त्री से संबंधित हमारे समाज के दोहरे चरित्र और दकियानूसी, कुंठित दृष्टिकोण के खिलाफ भी बहुत ताकत से आवाज उठाती हैं। कहीं-कहीं उनकी कलम दोहराव की भी शिकार है यानी विचारों और मुद्दों को बार-बार दोहरा जाती है जिससे उनके निबंधों के पैनेपन पर असर पड़ता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ‘स्त्री देह का सच’ के निबंध समाज में स्त्री के दुख, शोषण और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाते हैं और आज की बदलती हुई स्त्री के तेवरों पर भी रोशनी डालते हैं। मुझे यकीन है कि यह निबंध-संग्रह अपनी तलाश में निकली स्त्री को जरूर राह दिखाएगा और समाज में उसकी स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आदमी और औरत की बराबर पर आधारित एक खूबसूरत समाज बनाने की दिशा में वैचारिक सहयोग करेगा।

अंत में इन निबंधों में, अपने हक के लिए लड़ती हुई स्त्री के साथ खड़े होते हुए मैं पाकिस्तान की मशहूर उर्दू शायरा रेहाना सुल्तान के शब्दों का हवाला देना चाहूँगी। स्त्री शोषण के खिलाफ, स्त्री की बुलंद आवाज को वे, बहुत खूबी से पेश करते करते हुए लिखती हैं—

‘मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक माँगती हूँ
इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए।’

समीक्षक: डॉ. असमा मसूद

C/o श्री लियाकत अली तंवर

महिला जागृति स्कूल के पीछे, सादुल गंज,
पंचशती सर्किल बीकानेर (राज.)-334004

मो: 9461161891

कब बरसेगा रैन... ?

□ सपन कुमार डे

Oh....Oh.....Oh.....

Season are the waiting when come to the rain.

Did you have any judgement,
What is my name?
Season are waiting.....

My name is the black cloudy. I am flying on sky.

When, I make the rain touch to the land

Oh....Oh.....Oh.....

Every where is the green valley like a Nagaland.

That is in our garden education section.

I prayer to the God always looking green.

Season are the waiting.....oh...oh....

Guard man Dey is write this very good song.

सुनने में लगता है अच्छा जैसे बीकानेरी नमकीन

ढाका मैम भी है बैचेन, कब बरसेगा रैन ?

Did you have any judgement when come rain?

My name is the.....

सुरक्षा गार्ड प्रशासनिक भवन निदेशालय
(पूर्व फौजी) नालबडी, बीकानेर
मो: 9784115239



अपनी राजकीय शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा सृजित एवं स्वरचित कविता, गीत, कहानी, बोधकथा एवं चित्रों को इस स्तम्भ में प्रकाशन हेतु नियमित रूप से संस्थाप्रधान/ बालसभा प्रभारी भिजवाएं। श्रेष्ठ का चयन करते हुए इस स्तम्भ में प्रकाशन किया जाता है।

-व. संपादक

मेरा मन पंछी

बेड़ियों में मत जकड़ो मुझे
बेड़ियां मुझे चुभती हैं
अरमानों के पंखों से
उड़ान मुझे भरनी है।
कैदी नहीं हूँ मैं
कोई कसूर नहीं मेरा
उंचे आसमान को छूने की
उड़ान मुझे भरनी है।
वो गगनचुंबी इमारतें
वो बहती समीर
वो गुजरते नजारे
और कल-कल करता नीर
प्यासे हैं नयन मेरे समंदर की गहराई के
इस प्यास को बुझाने की
उड़ान मुझे भरनी है।
नए नए लोग
नए नए ढंग, समंदर की लहर
पानी के रंग
दिल में मेरे चाह इन नजारों की
इन नजारों को देखने की
उड़ान मुझे भरनी है।

ईश्वर ने हमें पंख दिए
हवा में फैलाने को
सूरज की पहली किरण संग
वर्षा में चहचहाने को
फिर क्यों हमें तुम
पिंजरों में जकड़ते हो
क्यों कैदी बनाते हो
बिना किसी कसूर के
उम्र कैद की सजा सुनाते हो
पंछी हैं हम मुक्त गगन के
स्वतंत्रता हमारी पहचान है
इसी पहचान को पाने की
उड़ान मुझे भरनी है।
खोल दो ये पिंजरे
और ये हथकड़ियां
नभचर हैं हम नभ में ही तो जाएंगे
इस रंग बिरंगी दुनिया में
तब ही तो चहचहाएंगे
और इसी चहचाहट के लिए
उड़ान मुझे भरनी है ॥

फिजा, कक्षा 10

राजकीय माध्यमिक विद्यालय ठूंसरा, बारां (राज.)

बाल मन की रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करने, उनमें सृजन के संस्कार देने हेतु विद्यालय स्तर से ही कविता, कहानी लिखने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय अपने विद्यार्थियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को 'बाल शिविरा' में प्रकट करने का अवसर दे सकते हैं। हमें विद्यालयों के छोटे-छोटे बाल रचनाकारों की रचनाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है।

-वरिष्ठ संपादक





शाला प्रांगण से

अपने शाला परिसर में आयोजित समस्त प्रकार की बालोपयोगी एवं शैक्षिक गतिविधियों को पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है अतः आयोजित कार्यक्रमों का प्रतिवेदन बनाकर shivira.dse@rajasthan.gov.in पर भिजवाकर सहयोग करें।

-व. संपादक

नवाचार: एक कदम परिवर्तन की ओर...

अलवर- 31.12.2019 को विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती आशा सचदेवा (L1) के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए एकमात्र शिक्षिका श्रीमती सुरक्षा देवी ही अध्यापक का जरिया बनी। स्थिति अत्यंत दयनीय ना हो जाए इसलिए L2 के शिक्षकों को कक्षा 5 दायित्व सौंपा गया लेकिन कक्षा 6 से 8 के लिए L2 के विद्यार्थियों के लिए भी मात्र 2 शिक्षक स्टाफिंग पैटर्न में नियुक्त है। SRG होने एवं प्रशिक्षणों में भागीदारी निभाने के कारण अभिनव प्रयास करने शुरू किए। नजदीक में एक दिव्यांग बच्चों को अध्ययन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था की प्रशिक्षिका से संपर्क किया। उन्होंने (श्रीमती रेनु विश्वकर्मा) बताया कि उनके यहाँ करीब 25 विद्यार्थी विशेष आवश्यकता वालों को पढ़ाने हेतु बी.एड. का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमें जरूरत थी और वो आ गए। कक्षा 1 से 4 तक के 8 बैच बनाकर उन्हें प्रशिक्षणार्थियों का गणित फिर 8 को हिन्दी तथा अंतिम 8 को अंग्रेजी का जिम्मा सौंपा। डेढ़ दो घंटे के तीन दल बनाकर उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गयी। अंतिम एक घंटा खेलकूद कराया गया। 2 कालांश पश्चात रेस्ट का समय रखा गया। करीब एक माह यह कार्यक्रम चला। इस कार्यक्रम ने स्कूल के माहौल को ही बदलकर रख दिया। विद्यार्थियों का भाषायी कौशल निखरने लगा। बच्चे मुखरित होने लगे। गणित में गिनती, पहाड़े, जोड़, बाकी, गुणा एवं भाग की क्रियाएँ उनके लिए खेल के समान हो गईं। अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। हिंदी में बड़-चढ़कर किताब पढ़ने लगे तथा कविता पाठ करने लगे। खेलकूद में भी उनकी रुचि देखते ही बनती थी। शारीरिक शिक्षक श्री विजय कुमार सैनी ने भी अतिरिक्त रुचि दिखाई। उन्होंने कबड्डी, खो-खो, वॉलीबाल शुरू कर दिया। रिंग रूमाल छपट्टा में तो उनकी गतिविधियों को देखने अन्य स्टाफ भी आने लगा। इस तरह से इस समस्या से पार पा लिया साथ ही विद्यालय से अभिभावकों को भी मनोयोग से जोड़ने में सफल हुए। अभिभावकों ने भी खुले दिल से प्रशंसा की एवं विद्यालय के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की।

विद्यालय में भामाशाह द्वारा पौधे भेंट

पाली- सुमेरपुर ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोरडू में अध्यापक श्री गौरव सिंह घाणेराव की प्रेरणा से उनके माताजी द्वारा विद्यालय को 51 पौधे भेंट किए गए जिसमें कैली, तुलसी, ग्वारपाठा, मीठा नीम, मिर्च सहित कई पौधे शामिल हैं। विद्यालय में अध्यापकों द्वारा भामाशाह के सहयोग से एक बड़ा बगीचा तैयार किया जा रहा है जिसमें 500 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में संस्थाप्रधान सर्वश्री मांगलीम अध्यापक मुन्नालाल बिश्नोई, रामनिवास सोलंकी व शिवराम मीणा द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

हरित राजस्थान के तहत पौधे लगाए

जोधपुर- राउमावि. गाँधी सागर फ्लौदी में 73 वें स्वाधीनता दिवस के

अवसर पर प्रधानाचार्य श्री हरिप्रसाद सरावग के मार्गदर्शन में विद्यालय परिवार व ग्रामवासियों ने 150 से अधिक पौधे लगाकर हरित राजस्थान के लक्ष्य को पूर्ण करने का एक महान कार्य किया, जिसमें विद्यालय के व्याख्याता सर्वश्री शांतिलाल बिश्नोई, बुद्धाराम, विजेन्द्र कुमार, गंगाविशन, सहीराम, महेश कुमार, मुकेश कुमार, अब्दुल मलिक, भारमल राम, योगिता व सुनील बिश्नोई का सहयोग सराहनीय रहा। इस मौके पर प्रधानाचार्य श्री हरि प्रसाद सरावग ने इस बात से सभी को अवगत कराया कि पेड़ हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं तथा जीवन के मूल हैं इनके अभाव में जीवन की कल्पना करना भी असंभव है इसलिए हमें हमारी संतान के समान ही उनका लालन-पालन करके पर्यावरण को शुद्ध व हरित बनाने का प्रयास करना चाहिए।

शाला में मनाया शिक्षक दिवस समारोह

सिरौही- राजकीय उच्च माध्यमिक निचलागढ़ एवं अधीनस्थ पीईईओ. विद्यालयों का सामूहिक शिक्षक दिवस के अवसर पर शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष श्री नरसाराव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर शिक्षक की विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय सहयोग पर प्रकाश डाला और वर्तमान चुनौतियों के मौके पर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी पर सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य प्रणाली पर सभी शिक्षक साथियों ने कार्य करने का संकल्प दोहराया। व्याख्याता श्री गणेश कुमार ने अपने गुरुजनों को याद करते हुए कृतज्ञता प्रकट की। साथ ही अरावली पर्वत माला के आँचल में बसे भाखर की विषमताओं के बीच की चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्र निर्माण की बलिवेदी में शिक्षा रूपी आहुति देने का आह्वान किया। इस दुर्गम क्षेत्र में डिजिटल दुनिया आज भी दिवास्वप्न है फिर भी विद्यार्थियों को शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए तैयार करते हुए उन्नति के पथ प्रदर्शन में सहायक बन रहे हैं। अंत में प्रधानाचार्य श्री अमित सिंह वर्मा ने सभी शिक्षक साथियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न भेंट कर और माला पहनाकर अभिनंदन किया।

स्काउट गाइड के द्वारा वृक्षारोपण किया गया

झालावाड़- दिनांक 23.08.2020 को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय हरिगढ़ में राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व मास्क लगाकर ईको क्लब योजनान्तर्गत वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के मुख्यातिथि श्रीमान सी.ओ. स्काउट रामकृष्ण शर्मा, अध्यक्षता पर्यावरण प्रेमी समाजसेवक श्री गायत्री प्रसाद बोहरा, विशिष्ट अतिथि विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री प्रेमचंद दाधीच रहे। इस कार्यक्रम में कल्पवृक्ष के साथ-साथ पंचवटी के पौधे भी लगाए गए। पर्यावरण प्रेमी श्री गायत्री प्रसाद बोहरा ने वृक्षारोपण कर महत्त्व बताते हुए गाइड्स व बच्चों को प्रेरणा देते हुए बताया कि जब भी अपने घर पर मांगलिक अवसर हो एवं अपना जन्मदिन हो एक पौधा

अवश्य लगाना चाहिए। पौधे लगाने से अपनी जीवन आयु बढ़ती है। साथ ही आज जिस कोरोना जैसी महामारी से हम जूझ रहे हैं, वह भी नहीं आती है। क्योंकि ये सब महामारियाँ प्रकृति के असंतुलन से ही पैदा होती हैं। प्रकृति का संतुलन पौधे लगाने से ही हो सकता है। सी.ओ. स्काउट श्री रामकृष्ण शर्मा द्वारा गुप संभाल व निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात सभी स्काउटर, गाइडर व गाइड्स द्वारा एक-एक पौधा भी लगवाया गया। इस कार्यक्रम में स्काउटर सर्वश्री हरिओम लववंशी विद्यालय स्टाफ ओम प्रकाश सेन, मोहन सिंह चन्द्रावत, सियाराम धाकड़, श्रीमती सरोज मीणा, प्रियंका दुबे, कहकशा खानम, कविता नागर, शैलेन्द्र सेन व स्कूल की गाइड्स आदि ने पौधारोपण कर सराहनीय कार्य किया।

विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन



चित्तौड़गढ़- 31 अगस्त 2020 को राउमावि. पारसोली में हरित विद्यालय कार्यक्रम के तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के सहायक निदेशक श्री भीष्म महर्षि द्वारा पौधारोपण किया गया। उन्होंने विद्यालय के उत्कृष्ट परिणाम के लिए सभी स्टाफ साथियों को धन्यवाद दिया और विद्यालय के साथ अभिभावकों के जुड़ाव के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर उनके साथ आए शिविरा के सह संपादक श्री सीताराम गोदारा और श्री मान सिंह चौहान ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टाफ की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस मौके पर विद्यालय के सर्वश्री दिनेश चंद्र डिडवानिया, सपना जैन, अमृता मीणा, स्काउटर अजय सिंह राठौड़, अशोक कुमार मीणा, श्याम सुंदर मूँधड़ा, खुर्शीद अहमद, राधा व्यास, इंद्रा बाहेती, शकुन्तला बैरागी, पवन कुमार पंचोली उपस्थित थे। सभी अतिथियों का स्टाफ द्वारा स्वागत किया गया तथा सभी स्टाफ साथियों ने वृक्षारोपण के साथ-साथ उनके संरक्षण व संवर्द्धन की जिम्मेदारी ली।

वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

जोधपुर- ग्राम पंचायत निंबो का गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निंबो का गाँव, बालेसर में 11 जुलाई शनिवार को वृक्षारोपण का कार्य किया गया। पर्यावरण संरक्षण एवं कोविड-19 कोरोना जागरूकता के लिए चलाए गए अभियान में गिलोय, नीम इत्यादि प्रकार के पौधे का पौधारोपण किया गया एवं इनकी सार संभाल करने का संकल्प लिया गया। प्रधानाचार्य पूजा झाझडिया ने बताया कि पौधे धरती का सिंगार एवं धरती की सुंदरता होते हैं, यह वातावरण की शुद्धता प्रदान करते हैं। शारीरिक शिक्षक कैलाश जानी ने बताया कि वर्तमान की विकट परिस्थितियों को देखें तो लगता है कि शायद मानव ने कहीं न कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़



किया होगा। हमें पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति की सुंदरता के लिए धरती को हरा-भरा रखना चाहिए व अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इस अवसर पर व्याख्याता अलका कौशिक, मोहम्मद सलीम, वरिष्ठ अध्यापक किरण देवड़ा, शर्मिला बेनीवाल, महेंद्र रावल, प्रताप दान, मंजू रेखा कलाल, देवेन्द्र कंवर, धनाराम, जेटूसिंह सहित विद्यालय के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे।

शिक्षक दिवस पर राज्य के सरकारी स्कूलों में एक साथ

11 हजार पौधे लगाएँ



बीकानेर: शिक्षक संघ एलिमेंट्री सैकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा) के प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहरसिंह सलावद द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रकृति संरक्षण हेतु संघ के स्थापना दिवस एवं शिक्षक दिवस पर राज्यभर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। संघ के प्रदेश मीडिया चेयरपर्सन श्री धर्मेन्द्र कुमार धर्मी ने बताया कि इस अवसर पर राज्यभर में संघ पदाधिकारियों एवं शिक्षकों द्वारा हरित राजस्थान अभियान के तहत राज्यभर में 11 हजार पौधे राज्य के सभी जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों सहित सभी राजकीय विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण करके लगाए गए। राज्य के जिला/ब्लॉक मुख्यालयों पर संघ पदाधिकारियों ने वृक्षारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया।

स्वतंत्रता दिवस 2020

चूरू : रा.उ.मा.वि. बैनाथा जोगलिया, बीदासर में संस्थाप्रधान श्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में कोविड-19 महामारी के मध्येनजर सोशियल डिस्टेंसिंग एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए गरिमामयी ढंग से स्वतंत्रता दिवस 2020 समारोह मनाया। इस अवसर पर भामाशाह श्री रामचंद्र गोदारा द्वारा कक्षा-1-5 के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क इंग्लिश कर्सिव हैंडराइटिंग बुक वितरण एवं भामाशाह सर्वश्री पुरखाराम, दुर्गाराम, मांगीलाल, लादूराम एवं

भगवानाराम गोदारा द्वारा 50,000 रुपये विद्यालय के रंग-रोगन हेतु तथा 21,000 रुपये, मांगीलाल एवं सुरजाराम गोदारा द्वारा दी ट्री गार्ड हेतु विद्यालय को भेंट किए गए। भामाशाह श्री रामकिशन शर्मा द्वारा अनाथ एवं गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क विद्यालय गणवेश वितरण करने की घोषणा की। संस्थाप्रधान श्री श्रवण कुमार द्वारा सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त किया।

शिक्षा अधिकारी की अनूठी पहल

जालोर: जालोर के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा श्री मुकेश सोलंकी ने अपने सेवानिवृत्ति पर शहर के सभी शिक्षकों का मुँह मीठा करने के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वे स्वयं सेवानिवृत्त के दो दिन पहले शहर के लगभग सभी विद्यालय में स्वेच्छा से नमकीन व मिठाई लेकर पहुँचे और शिक्षकों के साथ बैठकर सभी का मुँह मीठा करवाया। सोलंकी की विनम्रता के सभी कायल हैं। सभी विद्यालय में कार्यरत मिड-डे-मील के कुक कम हेल्पर हेतु मिठाई के रुपये नकद देकर गए। जब वे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में लालपोल, जालोर में आए तो सभी अभिभूत हुए बिना नहीं रहे एवं स्टाफ ने एवं संस्थाप्रधान श्री संतोष माथुर ने पुष्पगुच्छ, साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत व अभिनन्दन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सोलंकी ने कहा कि जिले में शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए निरंतर परीक्षा परिणाम अच्छा आ रहा है। विद्यालय में विकास के लिए सभी शिक्षकों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री आर्य ने बताया कि श्री सोलंकी ने पहले अधिकारी है जिन्होंने ऐसा उदाहरण पेश किया है। श्री सोलंकी ने इससे पूर्व भी राजेन्द्र नगर स्कूल में एक हॉल का निर्माण करवाया है और अब एक सरस्वती मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। गरीब बच्चों को पुरस्कार, खेलकूद, सामाजिक व धार्मिक कार्यों में भी दान देते रहे हैं। श्री दलपत सिंह आर्य शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लालपोल, जालौर ने आभार व्यक्त किया।

श्री टांक को मिला कोरोना योद्धा सम्मान



राजसमंद-राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय राजसमंद द्वारा आयोजित कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंचौली कुंभलगढ़ के शारीरिक शिक्षक एवं सहायक लीडर ट्रेनर स्काउट राकेश टांक को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया। टांक द्वारा कोरोना महामारी के दौरान 26 मार्च 2020 से आमजन में सोशल डिस्टेंसिंग बनाने, मास्क निर्माण व वितरण, मास्क बैंक

निर्माण, क्वारेंटाईन सेन्टर पर प्रवासी साथियों को योग व प्राणायाम, सेनिटाइजर करने का कार्य, सेन्टर पर श्रमदान, वृक्षारोपण, पक्षियों के लिए चुग्गा पात्र व परिण्डा लगाने, राशन सामग्री वितरण के साथ कोविड-19 से बचाव के लिए जन जाग्रति लाने व हमेशा मुँह पर मास्क, 2 गज की दूरी व साबुन से बार-बार हाथ धोने का आह्वान करने आदि सेवा कार्य करने के कारण श्री टांक को राज्य संगठन आयुक्त श्री गोपा राम माली राज्य मुख्यालय जयपुर, सहायक राज्य संगठन आयुक्त श्री बाबू सिंह राजपुरोहित मण्डल मुख्यालय उदयपुर व सर्कल आर्गेनाइजर श्री छैल बिहारी शर्मा ने जिला मुख्यालय राजसमंद पर आयोजित सम्मान समारोह में श्री राकेश टांक को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया।

स्काउट प्रभारी और प्रधानाचार्य राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट), जयपुर द्वारा सम्मानित

राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मंडल मुख्यालय उदयपुर द्वारा जिला मुख्यालय राजसमंद पर कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिसमें राज्य संगठन आयुक्त श्री गोपा राम माली एवं सहायक राज्य संगठन आयुक्त श्री बाबू सिंह राजपुरोहित द्वारा कुम्भलगढ़ पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरवास के प्रधानाचार्य श्री गणेश राम बुनकर एवं स्काउटर श्री विक्रम सिंह शेखावत को उनके द्वारा कोरोना काल में किए गए सेवा कार्य, 1100 मास्क वितरण, भामाशाहों को प्रेरित कर एक लाख पचास हजार रुपये की राशि से खाद्यान्न वितरित करने, पक्षियों के लिए परिंडे और चुग्गा पात्र लगाने, लोगो में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, प्रवासियों को क्वारेन्टाइन करने, आरोग्य सेतु मोबाइल एप के द्वारा जन जागरूकता करने आदि सराहनीय एवं अनुकरणीय कार्य के लिए मंडल स्तरीय सम्मान स्वरूप प्रमाण पात्र एवं प्रतीक चिह्न प्रदान किया गया। राज्य संगठन आयुक्त ने उमरवास प्रधानाचार्य श्री गणेश राम बुनकर एवं स्काउटर श्री विक्रम सिंह शेखावत द्वारा विद्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया इस अवसर पर सी ओ. स्काउट राजसमंद सर्वश्री छैल बिहारी शर्मा, राधेश्याम राणा, राकेश टांक, कृष्ण कुमार यादव आदि उपस्थित थे।

भामाशाहों का सम्मान

भरतपुर- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिचूमर को विद्यालय परिसर में माँ सरस्वती मंदिर निर्माण हेतु स्थानीय ग्राम निवासी श्री शिवराम मीणा द्वारा 40000 रुपये का चैक प्रदान किया गया। विद्यालय की चारदीवारी हेतु श्री बृजेन्द्र जी ठेकेदार द्वारा 11,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की गई। श्री हिमांशु जी ठेकेदार द्वारा विद्यालय हेतु इन्वर्टर ल्यूमिनियस लागत 16,500 रुपये प्रदान किया गया। विद्यालय स्टाफ की तरफ से विद्यालय को प्रिन्टर लागत 17,000 रुपये प्रदान किया गया। समस्त ग्राम पंचायत पिचूमर निवासियों द्वारा विद्यालय की चारदीवारी हेतु 70,000 रुपये एकत्रित कर विद्यालय को दिए गए। सभी भामाशाहों का संस्थाप्रधान द्वारा शाला प्रांगण में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शाला स्टाफ व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

संकलन : प्रकाशन सहायक

समाचार पत्रों में कतिपय रोचक समाचार/दृष्टांत समय-समय पर छपते रहते हैं। इन्हें पढ़कर हमें विस्मय तो होता ही है, साथ ही हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। ऐसे समाचार/दृष्टांत चतुर्दिक स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं। आप भी ऐसे समाचारों का पुनर्लेखन कर संदर्भ एवं पेपर कटिंग के साथ शिविर में प्रकाशन हेतु हमें भिजवा सकते हैं।

-वरिष्ठ सम्पादक

बढ़ते ताप और गर्म हवा से जल्दी बूढ़े हो रहे जलीय जीव

चेन्नई- जलवायु परिवर्तन का असर मनुष्य के साथ जीव राशियों पर भी पड़ने लगा है। खासकर वे जीव (एक्टोथर्म) जो शारीरिक क्रियाओं के लिए सूर्य की गर्मी के भरोसे पर ज़िंदा रहते हैं उनके लिए कुछ ज्यादा ही नुकसानदेह है। जर्नल चेंज बायोलोजी में प्रकाशित शोध से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन का इन जीवों की उम्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। गर्म हवाएँ और बढ़ते तापमान के चलते इन जीवों की कोशिकाएँ तेजी से ग़ो कर रही हैं। इसके चलते जलीय जीव तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। यानि उनकी उम्र कम हो रही है। इन जीवों के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ ही इन पर हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है। इन जीवों में मछली, उभयचर और सरीसृप जीव शामिल हैं जो अपने शरीर के तापमान को स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकते इसके लिए उन्हें सूर्य के प्रकाश की मदद लेनी पड़ती है। यही वजह है कि तापमान में वृद्धि हो रही है।

अब लाइव देख सकेंगे कोशिकाओं में कोरोना संक्रमण

बेंगलूरु - भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएससी) के वैज्ञानिकों ने संक्रमित कोशिकाओं के भीतर वायरस की गतिविधियों को समझने के लिए एक नायाब विधि विकसित की है।

इससे कोशिकाओं के संक्रमण के दौरान उनकी लाइव तस्वीरें हासिल की जा सकेंगी। इस शोध का नेतृत्व करने वाली आइआइएससी में संक्रामक रोग अनुसंधान केन्द्र (सीआईडीआर) के प्रोफेसर शशांक त्रिपाठी ने पत्रिका को बताया कि अब तक कोशिकाओं में होते लाइव संक्रमण की फुटेज मिलना संभव नहीं था। यह खोज चिकित्सा जगत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे संक्रमित कोशिकाओं में वायरस प्रोटीन किस तरह बन रहा है और कैसे आगे बढ़ रहा है इसका पता चलेगा। इसके लिए एक रिपोर्टर वायरस चिह्नित किया गया है। शोध में अमरीका और इटली के वैज्ञानिकों के साथ आइआइएससी की छात्रा वहीदा खातून की भागीदारी रही।

मधुमेह रोगियों के लिए कारगर हैं इंसुलिन के पौधे की पत्तियाँ

चेन्नई- मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन पौधे की पत्तियाँ उम्मीद की किरण बन रही हैं। देशभर में इसके उत्पादन आदि को लेकर शोध किए जा रहे हैं। चेन्नई के डॉक्टर नंदकिशोर कपाडिया ने करीब 50 मरीजों को इंसुलिन की दो पत्ती सुबह व दो शाम को लेने की सलाह दी। 50 मरीजों में 40 में मधुमेह नियंत्रित हो गया। स्थिति यह हुई कि जो लोग इंसुलिन लेते थे, वे दवा लेने लगे, डोज कम हो गई और कुछ लोगों ने तो दवा लेनी भी बंद कर दी। डॉ. नंदकिशोर ने बताया कि इस पत्ते पर व्यापक शोध की योजना है।

एथिकल कमेटी की मंजूरी मिलते ही शोध की प्रक्रियाएँ शुरू हो जाएंगी। अभी तक इसका कोई दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। यह प्लांट नर्सरी में उपलब्ध है।

कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम से हड्डियों का बुरा हाल

सूरत- लॉकडाउन व वर्क फ्रॉम होम से वृद्ध ही नहीं, युवाओं में भी हड्डियों के स्वास्थ्य (बोन हेल्थ) की समस्या बढ़ गई। डॉक्टरों का कहना है कि घर पर बैठे रहने से सबसे ज्यादा असर कुल्हे, कमर, रीढ़ व गर्दन की हड्डी पर पड़ा है। अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना 150 में से 20-25 मरीज इन्हीं जोड़ों के दर्द के होते हैं। आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. धीरज रस्तोगी ने बताया कि शरीर में हड्डियाँ लगातार बदलती हैं, नई हड्डी बनती है और पुरानी टूटती है। इससे आपका बोन माँस बढ़ता है। अधिकतर लोग 30 की उम्र में अधिकतम बोन माँस पा लेते हैं। इसके बाद हड्डी टूटती-बनती तो है, लेकिन बोन माँस बनने से ज्यादा घटता है।

नियर एंड डियर भावनात्मक अहसास से रोक सकते हैं

आत्महत्या

अहमदाबाद- कोरोना के चलते बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। ऐसे लोगों के मन में बार-बार आत्महत्या के विचार आते हैं। ऐसे में परिवार के लोगों और निकटतम को आगे आकर भावनात्मक अहसास कराना चाहिए ताकि डिप्रेशन का शिकार तत्काल कुछ हद तक सामान्य हो सके। विशेषज्ञों का कहना है कि नियर एंड डियर से एक इमोशनल वेंटिलेशन पैदा होता है, जो निराशा में डूबे व्यक्ति को उबारने में अच्छी तरह सक्षम है। ऐसे में आत्महत्या की घटना को रोका जा सकता है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से भी नकारात्मक विचारों को हावी होने से रोका जा सकता है। आप अपनी जिंदगी के खुशनुमा पलों को याद कर भी तनाव कम कर सकते हैं। अहमदाबाद के मेंटल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एवं मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. अजय चौहान का कहना है, खुदकुशी रोकने के लिए निकटतम व प्रिय व्यक्ति को आगे आना चाहिए।

पर्यावरण ही नहीं खाद्य शृंखला भी बदल देगा

ओजोन का छेद

ओजोन परत पृथ्वी का ऐसा कवच है, जो सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें डेढ़ करोड़ वर्ग किलोमीटर से बड़ा छेद असल चिंता है। ओजोन का छिद्र दक्षिणी गोलार्द्ध में है, इसलिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में भी बदलाव आ रहा है, जिससे न केवल स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि खाद्य शृंखला भी बदल रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से पौधों में 6 फीसदी की उत्पादकता कम हुई है। इस छेद का आकार बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। हालांकि 1987 में हुए मॉन्ट्रियल समझौते के तहत 1996 में क्लोरोफ्लोरो कार्बन का इस्तेमाल बंद हो गया था, तब से इसमें थोड़ा-थोड़ा सुधार दिखा है। समझौते में सदी के मध्य तक ओजोन छिद्र ठीक होने की संभावना है। उधर इसी वर्ष अप्रैल में उत्तरी गोलार्द्ध में आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन का छेद काफी हद तक बंद हो गया।

संकलन : प्रकाशन सहायक

नागौर

रा.उ.मा.वि. खजवाना में श्री कालूराम द्वारा 53,000 रुपये की लागत से मंच विस्तार व टीन शेड के लिए सहयोग किया, श्री प्रकाश लेगा द्वारा हॉल मरम्मत हेतु 11,000 रुपये विद्यालय विकास में सहयोग, श्री भंवर लाल जाट (प्रधानाचार्य खजवाना) से अंग्रेजी व्याकरण की पुस्तकें विद्यालय के बच्चों को सप्रेम भेंट जिसकी लागत 25,000 रुपये, विद्यालय स्टाफ द्वारा प्राथमिक भवन का जीर्णोद्धार करवाया गया जिसकी लागत 1,10,000 रुपये, श्री मूलाराम (सरपंच प्रतिनिधि) द्वारा हर्बल वाटिका निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 1,00,000 रुपये अनुमानित, श्री माणक जाखड़ से 2,100 रुपये कार्यक्रम आयोजन हेतु सहयोग, श्री नोरत जाखड़ से 2,100 रुपये कार्यक्रम आयोजन हेतु सहयोग दिया गया। **रा.उ.प्रा.वि. सिरसी मूँडघसोई पं.स. नावां** को श्री हरिनारायण ओला सेई शॉप प्राइवेट लिमिटेड, मोतीराम की ढाणी सिरसी ने शाला परिवार को एक कम्प्यूटर सैट व प्रिंटर भेंट किया जिसकी लागत 32,000 रुपये।

डूंगरगढ़

रा.उ.मा.वि. रामगढ़ को श्री भंवर लाल जैन (से.नि. व्याख्याता) से विद्यालय को एक प्रिंटर HP Laser Jet M1005 MP सप्रेम भेंट किया गया।

सीकर

रा.मा.वि. सलेदीपुरा पं. स. खण्डेला को विद्यालय विकास हेतु स्थानीय स्टाफ द्वारा निम्नलिखित सहयोग राशि विद्यालय को भेंट श्री प्रभाती लाल (अध्यापक) से 18,500 रुपये, श्री बजरंग लाल सैनी (व.अ.) से 11,000 रुपये, श्री मूलचंद सैनी (व.अ.) 5,100 रुपये, श्री श्याम सुन्दर कलोरिया (अध्यापक) से 5,100 रुपये, श्री सुभाष चन्द निठारवाल (व.अ.) से 5,100 रुपये, श्री आशा मीणा (व.अ.) से 5,100 रुपये, श्री सुगनाराम पंवार (अध्यापक) से 5,100 रुपये, श्री महेश कुमार (प्र.अ.) से 3,100 रुपये, श्री धीरज सैनी (क.लि.) से 3,000 रुपये, श्री शौकीन कुमार मीणा (शा.शि.) से 2,750 रुपये, श्री प्रो. पूर्णमल मीणा (एसोसिएट प्रोफेसर) से 31,000 रुपये, श्री गुलाबचन्द अग्रवाल (समाजसेवी) से 21,000 रुपये, श्री मंगलचन्द राठी (प्रधानाचार्य) से 11,000 रुपये छत रिपेयरिंग (टाइल्स) लगवाने हेतु प्राप्त हुए, श्री प्यारे लाल मीणा (व्याख्याता) से इनवर्टर मय बैटरी विद्यालय को भेंट जिसकी लागत 21,000 रुपये, श्री ओंकारमल कलोरिया (से.नि. प्रधानाचार्य) से 10 स्टूल एवं टेबिल सेट प्राप्त जिसकी लागत 11,000 रुपये, श्री भागीरथ मल जाखड़ (जाखड़ पेट्रोल पम्प) द्वारा विद्यार्थियों को 31 स्वेटर भेंट जिसकी लागत 7,100 रुपये, श्री संजय कुमार कुमावत से 10 ट्री गार्ड प्राप्त जिसकी लागत 2,100 रुपये।

भामाशाहों के अवदान का वर्णन प्रतिमाह इस कॉलम में कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी इसमें सहभागी बनें। -**व. संपादक**

रा.बा.उ.मा.वि. खण्डेला को श्री अमित कुमार शर्मा द्वारा 100 बालिकाओं को पोशाक भेंट जिसकी लागत 25,000 रुपये, श्री दशरथ गोयल द्वारा फिल्टर पानी बालिकाओं के लिए जिसकी लागत 35,000 रुपये बालिकाओं द्वारा बिजली के द्वारा स्वचालित घण्टी विद्यालयों को भेंट जिसकी लागत 13,000 रुपये, श्री सत्यनारायण शर्मा (से.नि. व्याख्याता) से इनवर्टर मय बैटरी प्राप्त जिसकी लागत 18,500 रुपये।

अजमेर

रा.उ.मा.वि. मेहरुकलां, केकड़ी को श्री घासीलाल कुमावत (व्याख्याता इतिहास) सेवानिवृत्ति होने के उपलक्ष्य में विद्यालय विकास हेतु 31,000 रुपये का सहयोग प्रदान किया गया।

टोंक

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल टोडारायसिंह में प्रधानाचार्य व समस्त स्थानीय शाला स्टाफ द्वारा माँ शारदे के मन्दिर का निर्माण करवाया गया व मूर्ति स्थापना की गई, मूर्ति स्थापना

हमारे भामाशाह

से पूर्व हवन व यज्ञ कर उपखण्ड सहित देशभर में व्याप्त कोरोना महामारी से मुक्ति हेतु खुशहाली की प्रार्थना की गई।

उदयपुर

रा.उ.मा.वि. शोभापुरा को राउण्ड टेबल इण्डिया ट्रस्ट-234 द्वारा चार कक्षा-कक्ष का निर्माण व फर्नीचर सहित कार्य करवाया गया जिसकी लागत 23,00,000 रुपये।

बाड़मेर

रा.उ.मा.वि. आलमसर (चौहटन) को इस विद्यालय की अध्यापिका (L-II) श्रीमती अनीता कालोरिया द्वारा निम्नलिखित योगदान दिया- एक लेपटॉप जिसकी लागत 31,500 रुपये, स्टील के बर्तन व शिक्षण सामग्री जिसकी लागत 8,400 रुपये, फर्माटा पंखे-दो जिसकी लागत 4,300 रुपये, 15 प्लास्टिक कुर्सियाँ जिसकी लागत 8,250, अक्षय पेटिका में 2,500 रुपये।

बाँसवाड़ा

रा.उ.मा.वि. कूपड़ा के प्रधानाचार्य विजय कृष्ण वैष्णव के आह्वान पर विद्यालय के व्याख्याता, व.अ., अध्यापक से 33,000 रुपये एकत्र कर

विद्यालय में कोरोना के बचाव हेतु 10 हेण्ड सेनेटाइजर स्टेण्ड, 1,000 मास्क, स्क्रीनिंग मशीन, हाईपोक्लोराईड छिड़काव मशीन, हेण्ड सेनेटाइजर क्रय कर विद्यालय को भेंट किया।

भरतपुर

रा.उ.मा.वि. हेलक (कुम्हेर) को सर्वश्री उपेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र चौधरी, प्रेमसिंह, श्रीराम चौधरी द्वारा इनवर्टर मय बैटरी विद्यालय को सप्रेम भेंट जिसकी अनुमानित लागत 17,500 रुपये, सर्वश्री राजाराम पटेल सिंह सैह, महेश चन्द मीणा, धर्मेन्द्र चौधरी, रामकुमार सिनसिनवार, चरणजीत सिंह से वाटर कूलर प्राप्त जिसकी लागत 24,500 रुपये, सर्वश्री जगदीश प्रसाद शर्मा, योगेन्द्र सिंह, कुँवर सिंह (पी.टी.आई.) हरिओम, टीकेन्द्र, लोकेश, दुष्यन्त सिंह (पी.टी.आई.) से एक टेबिल टेनिस प्राप्त जिसकी लागत 17,500 रुपये, सत्र 2017-18 के कक्षा 12 वीं के छात्रों द्वारा एक स्पीकर बॉक्स प्राप्त जिसकी लागत 5,500 रुपये, सत्र 2018-19 के कक्षा 12वीं के छात्रों एक स्टील अलमारी प्राप्त जिसकी लागत 6,370 रुपये, सत्र 2019-20 के कक्षा 12वीं के छात्रों द्वारा एक स्टील अलमारी प्राप्त जिसकी लागत 6,640 रुपये, सर्वश्री रामकुमार सिनसिनवार, श्री चरणजीत सिंह से तीन सिलिंग फैन् प्राप्त जिसकी लागत 4,400 रुपये, सर्वश्री रामकुमार सिनसिनवार, चरणजीत, अमित कुमार (प्रधानाचार्य) से कक्ष हेतु खिड़की के दरवाजे के पर्दे 16 नग प्राप्त हुए जिसकी लागत 2,900 रुपये, श्री भीम सूबेदार से 5 सीलिंग फैन् प्राप्त जिसकी लागत 7,000 रुपये, सर्वश्री जगदीश सिंह (से.नि.), देवकीनन्दन से 100-100 मीटर की 2 दरी पट्टी प्राप्त जिसकी प्रत्येक की लागत 3,200-3,200 रुपये, सर्वश्री यादराम शर्मा (व.अ.), राजपाल से.नि. प्र.शा.स., रामकुमार सिनसिनवार, चरणजीत सिंह, कैलाश चन्द गुप्ता से एक-एक ग्रीन बोर्ड (6x4) प्राप्त जिसकी प्रत्येक की लागत 1,800-1,800 रुपये, श्री अमित फौजदार S.T.C. प्रशिक्षु से एक सीलिंग फैन् प्राप्त जिसकी लागत 1,600 रुपये, श्री मोहनलाल कोली से एक माइक सैट प्राप्त जिसकी लागत 1,400 रुपये।

अलवर

रा.उ.मा.वि. मुबारिकपुर (रामगढ़) में श्री त्रिलोक सिंह द्वारा 5 लाख रुपये की लागत से कक्षा-कक्ष का निर्माण करवाया गया, श्री मदन गोपाल (व.अ.) से एक इनवर्टर प्राप्त हुआ, श्री इब्राहीम खाँ से 11,000 रुपये नकद प्राप्त, सम्पूर्ण स्टाफ द्वारा श्रमदान कर एक सुन्दर सी फुलवारी का निर्माण करवाया गया, साथ ही स्टाफ में लॉकडाउन समय का सदुपयोग करते हुए रेम्प व चबूतरे का निर्माण कराया तथा सम्पूर्ण प्रांगण में सुन्दर पेड़-पौधे लगवाए गए।

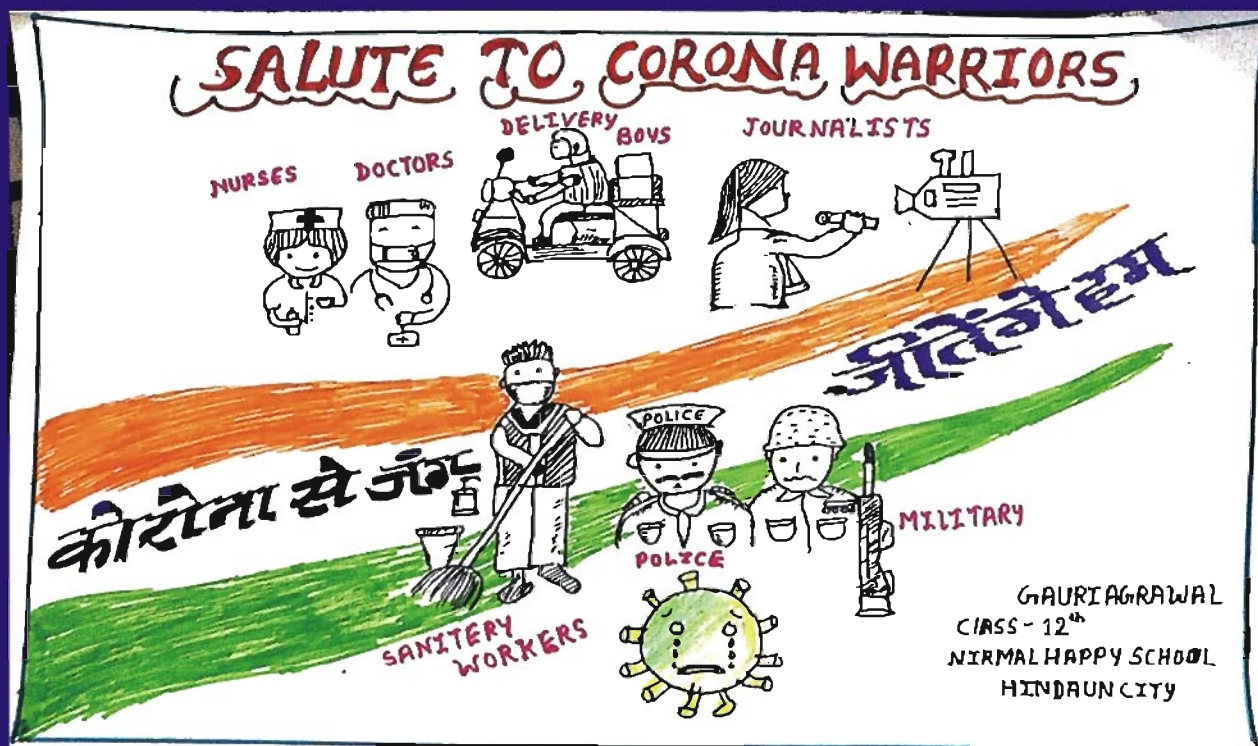
संकलन : प्रकाशन सहायक



**अनन्या कक्षा- 12 राउमावि., भदादाबाग,
तुलाबपुरा, भीलवाड़ा**



अर्श व्यास कक्षा- 2 राउमावि.,
जुना गुलाबपुरा, भीलवाड़ा



चित्रवीथिका : अक्टूबर, 2020

माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह जी डोटसरा राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कावेरी पथ, मानसरोवर जयपुर के प्रथम वार्षिकोत्सव में बच्चों के साथ उनका उत्साह बढ़ाते हुए।



राउमावि. 12 एजी, मिर्जेवाला मेर, (टिब्बी) हनुमानगढ़ में स्थानीय कुम्हार समाज द्वारा विद्यालय भवन निर्माण हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से 3,41,000 रुपये का चैक भेंट करते हुए शाला स्टाफ व समाजबन्धुगण।



शिक्षा निदेशालय माध्यमिक एवं प्रारम्भिक में राजस्थान राज्य स्काउट एवं गाइड मण्डल मुख्यालय बीकानेर द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु निःशुल्क काढ़ा वितरण कार्यक्रम निदेशालय परिसर में आयोजित किया गया। स्थानीय कार्यालय में माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री सौरभ स्वामी एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुभाष महलावत के साथ ही अन्य सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को स्काउट्स टीम द्वारा सहर्ष काढ़ा वितरण करते हुए एवं काढ़ा ग्रहण करते हुए अधिकारी एवं कार्मिकगण।